राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का २२ वां दिवस [संख्या १९

सोमवार, दिनांक ९ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २.३१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, उद्योग, शिक्षा, खनिज, सामान्य प्रशासन, राजस्व, उपनिवेशन, विकास, सिंचाई, कृषि एवं सहकारी-विभाग]

प्रश्न संख्या ५५१

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका में गबन

५५२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत नापासर पहले नगरपालिका थी ?

(२) क्या नापासर नगरपालिका को गबन, गलत तरीके से अपने रिश्तेदारों को जमीन बेचने आदि के गम्भीर आरोपों के कारण भंग कर दिया गया था ?

(३) गबन किसने किया और गबन करने वाले के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या गबन का यह केस पुलिस विभाग को सौंपा जायेगा ?

(५) क्या सरकार को यह मालूम है कि गबन करने वाला तत्कालीन चेयरमैन नगरपालिका आज न्याय पंचायत नापासर के पद पर आसीन है ?

(६) क्या सरकार वर्तमान चेयरमैन न्याय पंचायत, नापासर को गबन के आरोप में जो सिद्ध भी हो चुके हैं और गजट में प्रकाशित होकर सन् १९५८ की विधान सभा में तत्कालीन मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, इस पद से हटाने का विचार कर रही है ?

Page No 2

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) गबन करने के आरोप की जांच की जा रही है।

(४) जांच समाप्त होने पर इस सम्बन्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(५) जी हां, तत्कालीन चेयरमैन नगरपालिका न्याय पंचायत नापासर के अध्यक्ष हैं। किन्तु वे गबन के दोषी हैं इसका निर्णय जांच पूरी हो जाने के बाद ही हो सकता है।

(६) गजट में सन् १९५९ में प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति का चेयरमैन के विरुद्ध गबन के आरोपों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष, न्याय पंचायत को उनके पद से हटाने के सम्बन्ध में निर्णय जांच के बाद ही लिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आपने कहा है कि जांच जारी है तो यह कब से जारी है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जांच तो कई दिनों से जारी है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने अर्से से?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो मैं निश्चित समय नहीं कह सकता, लेकिन काफी अर्से से जारी है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): इसमें कितनी धन-राशि गबन की है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ आरोप था, कोई चेयरमैन पर तो था नहीं। यह राशि फिर जांच से मालूम पड़ेगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है कि गबन हुआ है, तो फिर क्या कारण है कि जांच चालू नहीं हुई? डाइरेक्ट एक्शन लेने मे गवर्नमेन्ट को क्या एतराज है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : स्वायत्त शासन मंत्री ने क्या कहा, यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या ५५३

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

गंगानगर शूगर मिल

५५४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर शूगर मिल के निम्नलिखित आंकड़े पिछले तीन वर्षों के बताने की कृपा करें :—

(१) क्रशिंग ऑफ शूगरकेन (Crushing of Sugarcane)

(२) प्रोडक्शन ऑफ शूगर

(३) बोनस टू एम्पलाईज

(४) मेनुफेक्चरिंग कोस्ट ऑफ शूगर

Page No 3

राजकीय उद्योग मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वांछित आंकड़े निम्नानुसार है :

	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
१-	६,२६,११८ क्विण्टल	८,६१,३४४ क्विण्टल	७,३१,१४६ क्विण्टल
२-	८१,८३४.१३ क्विण्टल	७५,३७२.५३ क्विण्टल	६३,१३०.२० क्विण्टल
३-	रू० ६४,०००)	रू० २८०००)	अभी घोषित नहीं किया गया है।
४-	रू० २८.५० प्रति मन	रू० ७९.३२६ प्रति क्विण्टल।	अभी निर्धारित नहीं हो सकी हैं। केवल शुगर सैक्शन में।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि बोनस की रकम १९६१-६२ की है, उसमें कुछ हिस्सा रिज़र्व फण्ड में आपने जमा किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना नहीं।

श्री केदारनाथ : १९६१-६२ के साल की जो बोनस की रकम थी उसका कुछ हिस्सा रिज़र्व फण्ड में आपने जमा किया था जो कि मजदूरों को बंटना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर फैक्टरी की कैपेसिटी सरकार ने और बढ़ाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, एक हजार टन की है।

श्री भीमसेन : कैपेसिटी तो बढ़ी है, लेकिन उसके बाद में शुगर का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शुगरकेन कम था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : बोनस का हिस्सा अगर रिज़र्व फण्ड में जोड़ लिया होगा तो क्या उसको निकाल कर बोनस में मजदूरों को दे दें, अगर यह सही है तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे अभी जानकारी नहीं है, इसलिए यह सवाल हाईपोथेटीकल है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सरकार को जो रकम मजदूरों को देनी थी वह सरकार के रिज़र्व फण्ड में दे दी है, उसके बारे में जानकारी होने के बाद में तो सरकार उनको दे देगी ?

श्री अध्यक्ष : बोनस की रकम नहीं होती है। सारा मुनाफा वगैरह देख कर फिर बोनस डिक्लेयर करते हैं। बोनस की रकम तो प्रोफिट देने के बाद डिक्लेयर करते हैं।

श्री भीमसेन : सरकार ने शुगर फैक्टरी की कैपेसिटी बढ़ाई है और फिर शुगरकेन का प्रोडक्शन कम हुआ है। सरकार क्यों नहीं बोनस देती जिससे सही माने में प्रोडक्शन बढ़े और कमी न रहे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर सरकार ने और मिल ने कुछ कदम उठाये हैं।

प्रश्न संख्या ५५५

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

Page No 4

राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की छपाई

५५६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की छपाई के लिए राजस्थान के कौन कौन स प्रेस मन्जूर शुदा हैं ?

(२) कितनी कैपेसिटी के प्रेस को इस कार्य के लिए मन्जूर किया जा सकता है ?

(३) इन प्रेसों की छपाई की रेट क्या है ? किस वर्ष के बाद इन दरों को रिवाइज़ नहीं किया गया है ?

(४) क्या इस वर्ष स्कूलें खुलने के पूर्व ही राष्ट्रीयकृत पुस्तकें सरकारी व मंजूर शुदा प्रेसों में छप कर खुले बाजार में छपी हुई दरों पर प्रचुर व उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की छपाई के लिए प्रतिवर्ष टैन्डर मांगे जाते हैं, और प्रतिवर्ष टैन्डर देने वाले मुद्रणालयों में से उनकी दरों के आधार पर तथा उनकी मुद्रण-कार्य में योग्यता एवं उनके पास उपलब्ध छपाई सम्बन्धी मशीनों और अन्य सुविधाओं के आधार पर चयन किया जाता है। स्थायी रूप से कोई प्रेस मन्जूर शुदा नहीं है।

(२) गत वर्ष से ऐसे मुद्रणालयों को काम दिया जाता है जिसके पास २०"×३०" नाप की कम से कम दो सिलेन्डर मशीनें हों। इस प्रकार एक प्रेस की कार्य-क्षमता एक घंटे में कम से कम ४०,००० पृष्ठ २०"×३०"/१६ छापने की होनी चाहिए।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) निम्नांकित पुस्तकों के अतिरिक्त सभी राष्ट्रीयकृत पुस्तकें स्कूलें खुलने के पहले प्रचुर व उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध थीं।

(१) हिन्दी कक्षा ६

(२) संगीत चन्द्रिका कक्षा ६

(३) संगीत चद्रिका कक्षा ७

(४) संगीत चन्द्रिका कक्षा ८

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपने जो जवाब दिया है कि २०"×३०" के दो सिलेंडर जिनके पास हों और जिनकी एक घन्टे में ४०,००० पृष्ठ छापने की क्षमता हो उसी प्रेस को छपाई का काम दिया जाता है, तो क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि यह जो मिनिमम कैपेसिटी आपने एक प्रेस की रखी है यह राजस्थान के प्रेस ओनर्स की आर्थिक हालत को देखते हुए बहुत ज्यादा है और बहुत कम प्रेसेज़ ही इस कारण से आपकी इन राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की छपाई का काम ले पाते हैं

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है। यह अनुपात जो हमने रखा है वह इस आधार पर रखा है कि छपाई के काम में विलम्ब न हो सके और यथा-समय प्राप्त हो सके। इसी आधार पर हमने इसको आधारित किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि ऐसी प्रेसेज़ कितनी हैं जिनके पास २०"×३०" के एक ही सिलेन्डर हैं और इस कारण से वह आपकी इस केटेगरी में नहीं आने के कारण कार्य करने में असमर्थ रहे और राजस्थान के बाहर के प्रेसेज़ को छपाई का काम देना पड़ा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राज्य सरकार ने इसका मूल्यांकन किया है और उसी आधार पर राजस्थान के कुछ प्रैसेज को हम छपाई का काम देते हैं इन आधारों को मानते हुए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार ने कभी इस बात का विचार किया है कि इन आधारों के कारण राजस्थान राज्य की छपाई का कितना प्रतिशत राज्य की बाहर की प्रैसेज को देना पड़ता है और इस कन्डीशन को रिलेक्स करके एक सिलेन्डर की कन्डीशन कर दें तो आपका ८० प्रतिशत काम इस राजस्थान में ही हो सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है कि छपाई का काम राजस्थान के बाहर देना पड़ता है, लेकिन हम इस कन्डीशन को रिलेक्स कर दें तो हमारी पुस्तकों की उपलब्धि का प्रश्न आधारभूत पैदा होता है और इसीलिए हमने रिजिड प्रिन्सिपल अख्तियार किया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रैसेज वक्त पर अपना काम दे सकें, इसके लिए तो सरकार दूसरे कदम उठा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम लेते हैं। एक सिलेंडर जिनके पास है वह अपनी कैपेसिटी से काम लेगा जब कि अभी दस-पांच प्रैसेज ही काम कर रहे हैं उसकी जगह ४०—५० प्रैसेज काम करेंगे। यह आपकी मान्यता है कि काम समय पर नहीं दे सकते, यह उचित नहीं है। वे अपनी औकात के अनुसार जल्दी काम देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें और राजस्थान का पैसा जो बाहर जा रहा है उसको कम से कम राजस्थान के प्रैसेज को मुहैया कराने का प्रयत्न करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए हम यह भी सोच रहे हैं कि शीघ्र ही इस कार्य को प्रेसेज को दिया जाय और अगर रिलेक्सेशन करने का कोई सवाल हो सका तो हम इस प्रश्न को बोर्ड के सामने वापिस पुनर्विचार के लिए रखेंगे।

प्रश्न संख्या ५५७

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत।

सरफेस रेन्ट की वसूली

५५९ श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि नीचे लिखी लीजों स उस एरिया का सरफेस रेन्ट जहां पर कि खानों की खुदाई हुई है वसूल नहीं किया गया :—

(क) गोठन लाइम सिन्डीकेट

(ख) मेसर्स केशवसिंह शिवजीसिंह सोजतमंडल क्षेत्र व अटबड़ा क्षेत्र

(ग) मूंडवा क्षेत्र

Page No 6

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) क्या यह सच है कि लीज़ एग्रीमेन्ट की शर्तों व माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अनुसार सरफेस रेन्ट देना लीज़ होल्डर के लिए लाजमी है ?

(३) उक्त अर्से में यानी १९५५ से १९६२ तक उक्त लीज़ होल्डर्स का सरफेस रेन्ट कितना होता है व कितना वसूल किया गया है व बकाया वसूल न करने का क्या कारण है ?

(४) क्या लीज़ एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार लीज़ होल्डर्स को खान खोदने के पहिले कलेक्टर व इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स को इत्तला देना जरूरी है ? यदि हां, तो उपरोक्त लीज़ होल्डर्स ने कब कब कितने क्षेत्र की खानें खोदने की मांग की और नहीं की तो क्या राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कानून की अवहेलना करने पर उन उपरोक्त लीज होल्डर्स पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए अगले टर्न पर ले लिया जाय ।

सरकारी होस्टल की व्यवस्था

५६०. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सरकारी होस्टल, जयपुर में कुल कितने कमरे हैं और सरकार की तरफ से इसकी व्यवस्था के लिए किस किस श्रेणी का कितना स्टाफ रहता है ?

(२) सन् १९६२-६३ में सरकारी होस्टल, जयपुर में राजकीय खर्चे से कितने लोगों को भोजन कराया गया है ? यदि नहीं, तो १९६३–६४ के बजट में पेज नं० १५८ पर दिखाये हुए ६२–६३ के संशोधित अनुमान में २८,४४०) रु० की रकम कहां और किस प्रकार खर्च हुई ? विवरण सहित बताने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि २ वर्ष पूर्व सरकारी होस्टल, जयपुर में चलने वाले केंटीन को ठेके पर नहीं देकर सरकार ने खुद चलाया था ? यदि हां, तो उसमें लाभ रहा या हानि ? यदि हानि, तो किस कारण से कितनी रही ?

(४) क्या यह भी सही है कि बार-बार मांगने पर भी उन दिनों में कैन्टीन में नौकरी करने वाले रूम बॉयज का वेतन सरकार के द्वारा नहीं चुकाया गया है ? यदि हाँ, तो कब तक चुका दिया जायेगा ?

(५) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कैन्टीन का हिसाब दुरुस्त नहीं है और इसको दुरुस्त कराने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ?

उप-मंन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सरकारी होस्टल, जयपुर, तथा पुरानी रेवेन्यू बोर्ड बिल्डिंग में ११२ कमरे हैं और सरकार की तरफ से इसकी व्यवस्था के लिए निम्न श्रेणी का स्टाफ रहता है :-

१. सुपरवाइज़र	—	१
२. कनिष्ठ लेखक	—	३
३. चपरासी	—	३
४. फर्राश	—	१३
५. चौकीदार	—	३
६. स्वीपर	—	५

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) सन् ६२–६३ में राजकीय खर्चे से किन्हीं लोगों को भोजन नहीं कराया गया क्योंकि इसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा कर दी गई थी। बजट में जो धनराशि संशोधित रूप से रखी गयी थी गत वर्ष के चुकारे के लिए थी।

(३) जी हां। इस समय के हिसाब को दुबारा बनाया जा रहा है जिसके पूरा हो जाने के बाद ही लाभ-हानि का पता हो सकेगा।

(४) जी नहीं। केवल उन रूम बॉयज़ का आखिरी महीने का चुकारा नहीं किया गया है जो अस्थायी नौकर थे और उन्होंने यह लिखने से इन्कार किया है कि यदि कोई रकम उनसे वसूल तलब हिसाब पूरा होने पर निकलेगी तो वे देने के जिम्मेदार होंगे।

(४) जी हां, हिसाब पूर्ण रूप से तैयार कराया जा रहा है व सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए दो पार्टियां लगा रखी हैं। और आशा है शीघ्र ही वे कार्य खत्म कर देंगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): समय पर सरकारी हिसाब ठीक ढंग से नहीं रखा गया, तो इसके लिए सम्बन्धित ऑफिसरों और सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सारे मामले एन्क्वायरी में हैं। एपार्ट फ्रोम दिस, उनके खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): हिसाब तो आप तैयार नहीं कर सके और बोएज़ को वेतन दिया नहीं, यह कहां तक उचित है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: केवल उन्हीं लड़कों को तनख्वाह नहीं दी गई है जो कि यह लिखकर देने को तैयार नहीं थे कि जब पूरा हिसाब होकर यदि कोई उनकी देनदारी निकले तो वे देने के लिए जिम्मेदार होंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों की एक महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, बाकी की नहीं रुकी हुई है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सन् ६० में उन्होंने सर्विस नहीं की और उसके बाद में ६३ के अन्त तक वेतन नहीं देते हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह मैं मानता हूं............

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: पूरे हिसाब में गड़बड़ है। आपका हिसाब नहीं लिखा गया। उसमें कई घोटाले हैं। आपकी यह स्थिति है, और रकम बोएज़ को देनी पड़ेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि घोटाले के पैसे देने की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है। उसके अ.की रकम के लेने देने का प्रश्न है। घोटाले को जिम्मेदारी बोएज़ पर डालने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वे वेतन मांग रहे हैं तो उनको बता देना चाहिए कि उनको कितना देना है, महीने के आखीर में मालूम होना चाहिए कि उनको इतना देना है तो वे दे देंगे। दो साल तक आप हिसाब नहीं करेंगे!

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दो पार्टियां लग चुकी हैं; क्योंकि दो मैनेजरों के वक्त का सवाल है। एक तो नटवरलाल मैनेजर के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वक्त का सवाल है, उसकी पार्टी का कार्य कम्प्लीट हो चुका है; लेकिन बुधसिंह के समय का पूरा नहीं हुआ। उसमें थोड़ा समय और लगेगा। जब दोनों हिसाब कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद निश्चित अवस्था आती है कि किससे लेना है और किसको देना है, नफा है या नुकसान है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : कितने लोगों को पेमेन्ट करना है केन्टीन का और जिन लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है वे कितने लोग हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपको समझ नहीं सका। अगर रूम बोएज् की बात है तो केवल कुछ रूम बोएज् की लास्ट मन्थ की सैलेरी बाकी है। आज भी वे लिखकर देदें कि अन्तिम हिसाब होने पर कोई हमारे जिम्मे रकम होगी तो देने के लिए जिम्मेदार हैं; तो रकम उनको दी जा सकती है, वर्ना एक पार्टी का थोड़ा सा हिसाब बाकी है और आशा की जाती है कि बहुत जल्दी वह फाइनेलाइज होकर सभी हिसाब नफे और नुकसान का पता लग जायगा और जिनको रकम देनी है वह दे देंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : खाली रूम बोएज् की बात नहीं है। दो, सवा दो महीने का हिसाब नहीं लिखा गया है और सारे माननीय सदस्य जो कि पहले के सदन के थे उनका भी हिसाब रोक रखा है और उनसे कहा जाता है कि एक रुपये के स्टाम्प पर लिखकर दो तो सैलेरी मिलेगी। १९६२ की फरवरी का उनका पेमेन्ट अलग करना है। मैं इसको अपमान मानता हूं माननीय सदस्यों का। हिसाब सरकार ने नहीं लिखा, इन्तजाम में गड़बड़ हुई है और माननीय सदस्यों से एक रुपये के स्टाम्प पर लिखवाया जाता है; रूम बोएज् का ही सवाल नहीं है कि उनको वेतन नहीं दिया गया है। यह कोई अच्छी बात नहीं होती। हिसाब की आपकी पार्टियां लगी हुई हैं और साल भर का नहीं ६२ मार्च के बाद ढाई महीने की केन्टीन का सवाल है। हिसाब वह बना नहीं तो माननीय सदस्यों से स्टाम्प पर लिखवाया जाता है। उनको कहा जाता है कि एक रुपये के स्टाम्प पर लिख कर दो कि आपके जिम्मे कोई रकम होगी तो आप दे देंगे। हिसाब कुछ है नहीं। हिसाब बनावटी बनाया जा रहा है और गुमनाम खाते खोले जा रहे हैं। केश मीमोज् का कहीं पता नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को जो जानकारी हो वही कहें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लेकिन यह क्यों रोकी जाती है, माननीय सदस्यों से कहा जाता है कि लिखकर दो।

श्री अध्यक्ष : आप तथ्य की बात कहें। इधर–उधर की बातें क्यों करते हैं ?

श्री गंगासिंह।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कितने दिनों में दे देंगे ? माननीय सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कह चुके हैं कि जांच हो रही है, पार्टियां लगी हुई हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न यह था…………

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण था, प्रश्न नहीं था।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं प्रश्न है उसको और बता दें।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन।

जागीर कार्य

५६१. श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल): Will the Revenue Minister please reply:-

(a) How much Jagir work is pending in the Court of Deputy Collector Jagir, Nagaur?

(b) Is it a fact that only half of the Jagir work has been finished so far and atleast two years are still required to finish the whole work?

(c) Is it a fact that though work in the court of Deputy Collector Jagir has not decreased still the staff has been reduced to halt?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (a) Information has been placed on the table of the House.

(b) It cannot be said as to whether only half of the Jagir work has been finished so far and how much time will it take to complete the pending work.

(c) The staff has been reduced to about half because the work has decreased.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री गंगासिंह : वहां से डिप्टी कलेक्टर, जागीर की पोस्ट उठाई जा रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारा जागीर डिपार्टमेंट लिक्वीडेशन में जा रहा है।

श्री गंगासिंह : आपने जो केसेज बताये हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ अर्से के लिए डिप्टी कलेक्टर, जागीर की पोस्ट रखना क्या मुनासिब नहीं होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिप्टी कलेक्टर, जागीर का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस वर्क का इन्तजाम वहीं पर कर दिया जाय, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री गंगासिंह : सवाल यह है कि स्टाफ कम कर दिया गया है तो क्या स्टाफ बढ़ा दिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम जब डेलीगेट होगा तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए जिस स्टाफ की आवश्यकता होगी वह आवश्यकतानुसार स्टाफ तो रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयपाल।

पंचायत समिति सीमलवाड़ा की जीप की मरम्मत

५६२ श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति सीमलवाड़ा के जीप की मरम्मत पर सन् १९६१ से अगस्त, १९६३ तक कितना खर्च हुआ ?

Page No 10

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : कुल ११,८६२.१८ नये पैसे खर्च हुए हैं।

श्री विजयपाल कटारा : क्या राज्य सरकार के ऐसे नियम हैं कि गवर्नमेंट की गाड़ी की गवर्नमेंट गैराज में ही रिपेयर की जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह पंचायत समिति की गाड़ी है।

श्री विजयपाल कटारा : पंचायत समिति ने जो अट्टम-शट्टम खर्च किया है जीप पर पैसा, तो इसके लिए सरकार जांच करने को तैयार नहीं है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और आपके ध्यान में है तो सरकार जरूर जांच करेगी।

श्री विजयपाल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले भी मैंने सूचना सदन में रखी थी इन्क्वायरी के लिये, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वह मोटर कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा जाती है और कभी सब्जी खरीदने के लिये जाती है और रूल्स की अवहेलना करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बजट में सीमा निर्धारित है क्या या नियम आपने बना रखे हैं क्या कि साल भर में इतना ही खर्चा कर सकते हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, नियम की कोई बात नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाका है इसलिये मरम्मत ज्यादा करवानी पड़ती है।

श्री विजयपाल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वहां कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, सपाट एरिया है। मैंने सूची मांगी थी लेकिन दी नहीं गई।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मसला कई जगह का है। जीपोंका बहुत दुरुपयोग होता है, बार बार रिपेयर्स होती हैं। यह तो बताना चाहिये कि फलां पार्ट रिप्लेस किया गया है। इसके लिये कुछ नियम भी बनने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

कनेरा मिडल स्कूल के अध्यापक

५६४. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कनेरा मिडिल स्कूल में कुल कितने अध्यापक हैं और स्ट्रेन्थ कितनी होनी चाहिये ?

(२) कनेरा मिडिल स्कूल में नियुक्त अध्यापक वहां कितने कितने समय से काम कर रहे हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) कनेरा मिडिल स्कूल मे कुल ११ अध्यापक, प्रधानाध्यापक सहित हैं। इस स्कूल की स्ट्रेन्थ ११ अध्यापकों की है।

२. अध्यापक का नाम	कार्य करने की तिथि।
१. श्री भंवर लाल सोनी प्रधान अध्यापक	१.७.६०

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

२. श्री सोहनलाल जोशी सहायक अध्यापक	२१.८.६२
३. श्री मोहनलाल नागदा सहायक अध्यापक	११.७.५८
४. श्री सीताराम जोशी सहायक अध्यापक	१२.७.५८
५. श्री रामप्रसाद शर्मा सहायक अध्यापक	१४.५.५६
६. श्री मोहम्मद रफीक, सहायक अध्यापक	३१.८.६२
७. श्री नूर मोहम्मद, सहायक अध्यापक	८.१.५२
८. श्री सम्पतकुमार डांगी सहायक अध्यापक	१.७.६०
९. श्री मदनलाल मडगतिया सहायक अध्यापक	१.५.६३
१०. श्री मांगीलाल बापना, सहायक अध्यापक	१.५.६३

११. अगस्त मास में ही एक अतिरिक्त अध्यापक का स्थान इस शाला को दिया गया है। अतिरिक्त दिये गये स्थान की पूर्ति करदी गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : जिन अध्यापकों को ५-६ साल हो गये उनका स्थानान्तरण सरकारी नियमों के अनुसार क्यों नहीं किया जाता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जितने अध्यापक एक जगह अधिक समय तक रहते हैं उतना ही काम करते हैं, उनके बारे में असंतोष या शिकायत नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : जिनकी ट्रान्सफर वगैर शिकायत के बहुत जल्दी हो जाती है उनके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राय का प्रश्न नहीं है।

भूतपूर्व अलवर नरेश द्वारा पेड़ कटवाना

५६५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अलवर के भूतपूर्व नरेश महाराजा तेजसिंह ने इटाराना की रूंध के अधिकतर पेड़ कटवाकर बेच डाले हैं ?

(२) क्या यह सही है कि महाराजा ने सरकार से इन पेड़ों को हटाने की अथवा बेचने की कोई इजाजत हासिल नहीं की थी ?

(३) क्या यह सही है कि जागीरदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद यह रूंध राजस्थान सरकार की सम्पत्ति बन गई है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने महाराजा द्वारा इस सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने और बेचने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की ? अगर की है तो कब और क्या ?

(५) क्या महाराजा द्वारा बिना इजाजत पेड़ काटना टीनेन्सी एक्ट तथा लैंड रेवेन्यू एक्ट की पेड़ काटने पर पाबन्दी लगाने वाली धाराओं की खिलाफवर्जी नहीं है ? अगर हां,

Page No 12

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं, इस प्रकार की शिकायत थी कि महाराजकुमार ने उक्त रूंध में से पेड़ कटवा डाले हैं, पर जायज काटना साबित नहीं हुआ।

(२) जब नाजायज तौर पर पेड़ काटने का आरोप ही साबित नहीं हुआ तो इजाजत हासिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं। जागीर कमिश्नर ने अपने निर्णय दिनांक ३१. १२. ६२ में इटारना रूंध को महाराजकुमार, अलवर की निजी सम्पत्ति घोषित कर दी है।

(४) जी नहीं। इस मामले में वन-विभाग द्वारा एस. डी. एम. अलवर के कोर्ट में शिकायत की गई, लेकिन चूंकि महाराज कुमार के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ, केस ९. १२. ६१ को दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

(५) महाराजकुमार द्वारा इन दोनों एक्टों की खिलाफ़वर्जी साबित नहीं हुई। कोई कार्यवाही आगे करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है कि क्या महाराजकुमार ने एक्ट की तहत जैसे साधारण नागरिक को हरे पेड़ काटने के लिये इजाजत लेनी पड़ती है उस तरह से इजाजत हासिल की या नही ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर रहा था कि एस. डी. एम. के यहां पर इस प्रकार का मुकदमा चला उनके विरुद्ध और ९. १२. ६१ को वह मुकदमा खारिज हो गया, यह मैंने अपने जबाब में कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह डाइरेक्ट रिप्लाई नहीं है कि एस. डी. ओ. ने इजाजत हासिल करने की जरूरत नहीं थी इस कारण मुकदमा खारिज किया या किस कारण से किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुकदमे के क्या कंटेन्ट्स थे, यह मुझे मालूम नहीं है; लेकिन मेरी सूचना के अनुसार उनके खिलाफ पेड़ काटने का आरोप था उसको एस. डी. एम., अलवर ने ९. १२. ६१ को दाखिल दफ्तर कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या (२) में डाइरेक्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने पेड़ काटने की इजाजत हासिल की या नहीं या उनको कोवेनेन्ट के तहत इजाजत हासिल लेने की जरूरत नहीं थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक इजाजत हासिल करने का प्रश्न है वहां तक इजाजत हासिल नहीं की। इजाजत नहीं हासिल करने के सम्बन्ध में उन पर मुकद्मा चला, वह दुर्भाग्य से ९. १२. ६१ को खारिज हो गया। मैं आगे जानकारी कर रहा हूं कि इस तरह खारिज होने का क्या कारण था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या नरेशों को साधारण नागरिक की तरह इजाजत लेने की आवश्यकता नही होती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी इस प्रकार की मान्यता नहीं है। ९. १२. ६१ को वह

Page No 13

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मुकदमा खारिज हो गया था, इसलिये वहां उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं चली और सरकार ने अपील कर दी है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रही है, जिसका फाइनेलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन ९.१२.६१ को मुकदमा अदम सबूत में खारिज किया है। किस ऑफिसर की गलती रही और क्यों नहीं हाजिर हुआ, इसकी जानकारी की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस ऑफिसर की वजह से यह खारिज हुआ इसके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने पहले ही निवेदन किया कि जानकारी कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अदम सबूत में खारिज हुआ है, तो क्या आप एप्लाई करने दुबारा नहीं जा सकते ?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

उदयपुर डिवीज़न में पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत संस्थान

५६६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या पुरातत्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिवीज़न में पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कौन कौन संस्थान हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) किन किन स्थानों के लिये कितनी कितनी रकम मन्जूर हो चुकी है और वह रकम उन पर लग चुकी है और किस किस स्थान पर रकम मन्जूर तो हो गई लेकिन अभी तक नहीं लगी है ?

(३) क्या यह भी सही है कि गिरवा तहसील में जगत ग्राम में अम्बा माता का मन्दिर बहुत ही प्राचीन है और वह इसी विभाग के अन्तर्गत है जिसके लिये १९६१ या इसके आस पास २,५००) रु० की रकम मन्जूर हो चुकी है ? क्या रकम वहां खर्च नहीं की गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक ४०८ ए.एम ६२ दिनांक २७.३.६२ के द्वारा जगत पंचायत का सूचित किया है कि सन् १९६१–६२ के बजट में निर्देशक पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने २,५००) की स्वीकृत दी है ?

(५) क्या यह भी सही है कि उदयपुर के पास अम्बरिकजी नाम के स्थान पर जहां से चीखा का घाटा आरम्भ होता है कोई मेला लगता है और वहां भी प्राचीन मन्दिर है ? यदि हां, तो वह इस विभाग के अन्तर्गत लिया गया है या नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : १. उदयपुर डिवीज़न में पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत १. उदयपुर संग्रहालय, (२) अहाड संग्रहालय, (३) मर्दाना महल (४) पुरातत्व वीथिका डूंगरपुर (५) संग्रहालय एवं सरस्वती भंडार कोटा (६) पुरातत्व संग्रहालय, झालावाड़– संस्थान हैं।

(२) जिन स्थानों पर रकम स्वीकृत की गई है उनकी सूची मय पूर्ण जानकारी के संलग्न है।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

Page No 14

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(५) जी हां, इस मन्दिर को सुरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री जोधसिंह : मेरा निवेदन है कि आपने मर्दाना महल, उदयपुर के लिये १० हजार, इकलिंगजीके मन्दिर के लिये ४ हजार और चावंड मंदिर के लिये ५ हजार रूपये मंजूर किये और जगत के मंदिर के लिये ३ हजार रूपये मंजूर किये। यह रकम कब मंजूर हुई और अब तक क्यों नहीं खर्च हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जगत के मंदिर के संबंध में जो कुछ रकम स्वीकार हुई वह पी. डब्ल्यू. डो. की उदासीनता के कारण खर्च नहीं हो सकी। दुबारा फिर मंजूर हुई लेकिन खर्च नहीं हो सकी। तिबारा फिर हुई, लेकिन फिर भी खर्च नहीं हुई। इसके अंदर १५००) रु. में मंदिर की सफाई वगेरह करानी थी। हम आग्रह कर रहे हैं पी. डब्ल्यु डी. से कि जो रकम स्वीकृत हुई हैं वह खर्च की जाय।

श्री जोधसिंह : मेरा निवेदन है कि जगत और चावंड के मंदिर पर रूपये नहीं लगाये, क्यों नहीं लगाये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

संधनन शुल्क सम्बन्धी वर्गीकरण

५६७. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Revenue please state :--

Whether Government has been apprised of the the fact that classification of the State into three Zones, namely the Project, Fertile and Desert Zones, for the purpose of levying fees for the consolidation of holdings has resulted in very considerable and inequitable burdens being put on the peasants of some parts as those comprising the Panchayat Samitis of Rohat and Pali which have been included in the fertile Zone and where the consolidation fee amounts to two and three or even four times the land revenue while in the adjacent Panchayat Samiti of Ahor, which has been kept in the Desert Zone (though it is considerably more fertile than that of either Pali or Rohat), the consolidation fee is as low as one-fourth of that fixed for those Samitis ?

Does the Government propose to do something to right such wrongs ?

If so, what steps the Government propose to take and when ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : The matter is under consideration of the Government.

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत समय हो गया कंसीडर करते हुए। क्या बात कंसीडर की जा रही है ? जो गैर वाजिब बात है उसको हटाने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कंसोलिडेशन के संबंध में जनरल बात थीं, रेट्स की बात थी। ये दो मसले तो ऐसे हैं जिनके बारे में सदन में कई बार बहस हुई थी इसकी रीएग्जा-

Page No 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मिन करके प्रपोज़ल्स बनाये हैं, जल्दी ही फाइनेलाइज़ किये जायेंगे ।

श्री केसरीसिंह : ऐसी डिस्क्रिपेन्सीज़ रेट्स में हैं उनको मिटाने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोशिश इस बात की की गई है कि जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनका हल प्रस्ताव से हो ।

भवन-निर्माण के लिये राशि

५९८. श्री मजलिस खां, (कामां): क्या शिक्षा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि कामां हाई स्कूल भवन के निर्माण के लिये राज्य सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है ?

(२) यदि हां, तो कितनी और कब ?

(३) यदि नहीं की है तो क्या अब स्वीकृत करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) राजस्थान सरकार ने कामां हाई स्कूल भवन के निर्माण के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की है, यह स्कूल राजकीय भवन में चल रहा है । विज्ञान की कक्षाओं के दो कमरे बनाने के लिये राज्य सरकार ने धनराशि अवश्य स्वीकृत की है जिसमें से १२,०००) रुपये की लागत से विज्ञान के लिये एक कमरा तैयार हो चुका है और दूसरे कमरे के भी जल्द तैयार होने की आशा है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) क्योंकि यह स्कूल राजकीय भवन में ही चल रहा है अतः दूसरे नये भवन के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मजलिस खां : कामा हाई स्कूल में बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बच्चे धूप में बैठते हैं और जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा आती है तो स्कूल के टाइम से पहले ही छुट्टी हो जाती है । इस पर भी मंत्रीजी कहते हैं कि स्कूल भवन की आवश्यकता नहीं है । यदि इसी तरह की हालत रही और बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ा नुक्सान होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चे धूप में बैठते हैं और बरसात के समय स्कूल-टाइम से पहले छुट्टी कर देते हैं । यह हो सकता है कि बच्चों की संख्या अधिक हो और स्थान अपर्याप्त हो, लेकिन हम मजबूर हैं इसको नहीं कर सकते ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : आप दौरे करते रहते हैं । कभी गये उधर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : देवगढ़ गया हूं । वहां अच्छी व्यवस्था है ।

श्री मजलिस खां : मैं मंत्री महोदय को जानकारी दे रहा हूं, क्या माननीय मंत्री इसका आश्वासन देंगे कि कब तक काम पूरा कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

राजस्थान का जियोलौजिकल सर्वे

५९९. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री विजयसिंह झाला)

(१) क्या खनिज की दृष्टि से जियोलौजिकल सर्वे सारे राजस्थान का हो चुका है? यदि नहीं, तो किस किस क्षेत्र का नहीं हुआ है?

(२) इस सर्वे के पश्चात् किस किस क्षेत्र में किस किस तरह के खनिज पदार्थ मिलने को सम्भावना है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इन खनिजों के विषय में सरकार की क्या योजना है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं। किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से खनिज सर्वे तो नहीं हुआ है, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिये राज्य के विभिन्न भागों में खनिज सर्वेक्षण किया गया है और अब भी बराबर किया जा रहा है।

(२) जियोलौजिकल सर्वे से तो यह ज्ञात होता है कि अरावली क्षेत्र में जिसका विस्तार उत्तर-पूर्व में सीकर अलवर से लेकर दक्षिण-पश्चिम में सिरोही बांसवाड़ा तक है। धातु खनिज पैगमैटिटिक खनिज मैटामाफी खनिज मिलने की सम्भावना है, राज्य के उत्तर में पश्चिम क्षेत्र में कैमीकल तथा सैडीमैन्ट्री टाइप के खनिज मिलने की सम्भावना है। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में भी सैडीमैन्ट्री जमाव है, जिनमें लाइम स्टोन, सैन्डस्टोन प्रधान रूप से मिलते हैं।

(३) वे खनिज जिनकी उपलब्धि व्यावसायिक दृष्टि से पर्याप्त मालूम पड़ती है तथा जिनको खनिज उद्योग में उपयोग किया जा सकता है और जो किसी खनन पट्टों पर नहीं दिये गये हैं उनके लिए प्रधान रूप से पूर्ण सर्वेक्षण तथा अनुसंधान करने की योजना चालू है। इसके अतिरिक्त विस्तृत पूर्वेक्षण का कार्य भी विभिन्न रिक्त क्षेत्रों में किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला: क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसे क्षेत्र डेफीनिटली आये हैं कि जहां कार्य चालू करने से सरकार को कोई लाभ हो सके?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जितने जोन्स मैंने ऊपर बताये उनके अन्दर जो जो धातुएं उपलब्ध हैं उनको विस्तृत रूप में मैं बता सकता हूं कि किस जोन में कौनसी धातु उपलब्ध हो सकती है, यदि वर्क किया जायगा और वर्क किया भी जा रहा है। हमारे यहां जियोलोजिस्ट्स १८ हैं, जिनकी दो दो की एक पार्टी है, जो भारतीय स्तर पर जियोलोजिकल और एटोनोमिक एनर्जी की तरफ से होता है। उसके अलावा राजस्थान में इन १८ जियोलोजिस्ट्स के द्वारा भी हो रहा है।

श्री विजयसिंह झाला: मेरा तात्पर्य यह था, जहां निश्चित हो गया है कि वहां कार्य चालू करने से सरकार को लाभ हो सकता है, तो वहां कार्य प्रारम्भ करने की सरकार की कोई योजना है?

श्री अध्यक्ष: This is too wide.

(विराम)

Shri Ram Kishan.

राजस्थान राज्य की सेवा में विदेशों में शिक्षित प्राध्यापक

५७० श्री रामकिशन (बैर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(श्री रामकिशन)

(१) राजस्थान में सरकारी सेवा में महाविद्यालयों में विदेशों मे विशेष योग्यता प्राप्त प्राध्यापक कितने हैं ? इनमें कितने विज्ञान के विषयों में तथा कितने गैर-विज्ञान के विषयों मे हैं ?

(२) विज्ञान के विषयों के कितने विशेषज्ञ कब से कहां कहां ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं जहां डिग्री स्तर पर और कहीं तो बिल्कुल ही उनके पढ़ाने के विषय नहीं हैं और उनके लिए केवल व्यवस्था देखने के सिवाय अन्य उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं है ? क्या सरकार के पास आवश्यकता से अधिक ऐसे लोग हैं ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि आज के युग में नित्य नई अनुसंधान प्रवृत्तियां उन्नत हो रही हैं और यदि एक-दो वर्ष भी ऐसे लोगों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से अलग रहना पड़े और अपना समय अनुसंधान के स्थान पर व्यवस्था में देना पड़े तो वे फिर आउट ऑफ डेट हो जाने के कारण उपयोगिता की दृष्टि से व्यर्थ हो जावेंगे और राष्ट्र का धन जो विदेशों में उन्हें शिक्षा दिलाने में खर्च हुआ वह व्यर्थ हो जावेगा ?

यदि हां, तो सरकार इस समस्या का निराकरण करने के बारे में क्या विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान सरकार के महाविद्यालयों में विदेशों से विशेष योग्यता प्राप्त प्राध्यापक ९ हैं। विज्ञान में ३ व गैर विज्ञान में ३ हैं।

(२) विज्ञान के विषय में ३ विशेषज्ञ १ जुलाई, सन् ६० से महाविद्यालय डीडवाना में तथा २ चूरू व बूंदी में जुलाई सन् ६२ के प्रधान आचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं जहां उनके लिये डिग्री स्तर तक अध्यापन करना पड़ता है परन्तु बूंदी में उनके विषय की कक्षायें नहीं हैं और विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं जयपुर व जोधपुर स्थित महाविद्यालयों की दोनों विश्वविद्यालयों में हस्तान्तरित करने के फलस्वरूप इन तीनों विशेषज्ञों को पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं का हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट नहीं बनाया जा सकता। अत: उनकी पदोन्नति के लिये उन्हें डिग्री कॉलिज में ही प्रधान-आचार्य के पद पर रखना पड़ रहा है। उपरोक्त तीनों विज्ञान के विशेषज्ञ उनके विषय में आवश्यकता से अधिक हैं।

(३) सरकार इस विषय में पूर्ण सचेत है। किन्तु जैसा कि प्रश्न नं० २ के उत्तर में बताया गया है विज्ञान के स्नातकोत्तर कक्षायें विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरित करने के कारण ही उक्त तीनों विज्ञान के विशेषज्ञों को स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यक्ष न रखा जाकर स्नातक महाविद्यालयों के प्रधान-आचार्य के पद पर लगाया गया। जैसे-जैसे स्थान रिक्त होंगे इनकी सेवाओं का पूरा-पूरा सदुपयोग किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

पंचायत सेवाओं के शिक्षक

५७१. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—
(१) अजमेर जिले की पंचायत सर्विसेज में कितने इन्टर, बी. ए., एम. ए. तथा बी. एड. व हैन्डीक्राफ्ट ट्रेन्ड शिक्षक हैं ?

(श्री कुमारानन्द)

(२) क्या इस जिले की कोई मिडल व हायर सैकेन्ड्री शालाओं में हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त शिक्षकों से काम लिया जा रहा है ?

(३) इन अधिक पढ़े-लिखे व प्रशिक्षित अध्यापकों को पंचायत सेवाओं से निकाल कर सरकारी सेवाओं में कब तक ले लिया जायगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अजमेर जिले की पंचायत सर्विसेज़ में इन्टर तथा बी. एड एवं हैंडी-क्राफ्ट ट्रेंड शिक्षक इस प्रकार हैं :—

इंटर	१५०
बी. ए.	२४
बी. ए., बी. एड	५
एम. ए.	१
हैंडी क्राफ्ट	६

(२) केवल हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त कोई भी शिक्षक हायर सैकन्डरी व मिडिल स्कूल में काम नहीं कर रहा है, ट्रेंड मैट्रिक अवश्य हायर सैकेन्डरी में कार्य कर रहे हैं।

(३) समस्त उप-शिक्षाध्यक्षों को पंचायत समिति में कार्य करने वाले ऐसे ग्रेजुएट अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में अस्थायी तौर पर जिले की वरिष्ठता के आधार पर लेने के आदेश दे दिये हैं और समस्त निरीक्षक शिक्षणालयों को ऐसे ग्रेजुएट अध्यापकों को जो प्राथमिक शालाओं में कार्य कर रहे हैं और उन शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित कर दिया गया है, में एबज़ोर्व करने के आदेश दे दिये गये हैं। वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। उसके तैयार होने पर उनको जल्द से जल्द मिडल व हायर सैकन्डरी शालाओं में एब्ज़ोर्व किया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह ऑर्डर कब जारी किया गया ? कौनसी डेट को जारी किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौनसा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही कि इन हाई क्वालिफाइड आदमियों के लिए ऑर्डर दिया है कि इन्हें हाई स्कूल में या हायर सैकन्डरी स्कूल में एब्ज़ोर्व कर दिया जायगा—यह आपने बताया है। यह ऑर्डर कब जारी किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस ऑर्डर की तिथि तो मेरे पास नहीं है। लेकिन वरिष्ठता सूची तैयार होते ही एब्ज़ोर्व करने का काम शुरू कर दिया गया। वरिष्ठता सूची तैयार करने का काम शुरू हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह का आश्वासन पिछले सत्र में भी दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : क्या यह सही है कि ऑर्डर जारी करने के बाद भी इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स ने एस. टी. सी. हाई स्कूल पास नये प्रत्याशी लिये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझ नहीं पाया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने क्वालिफाइड टीचर्स और पंचायत समिति में मिडिल स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके लिए आॅर्डर जारी किया है । उस आॅर्डर के जारी करने के बाद भी इन्सपेक्टर्स आॅफ स्कूल्स ने नये उम्मीदवारों को नियुक्त किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी जानकारी में नहीं है । यह अलग से प्रश्न है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सब जगह लिये गये हैं, इसलिए आपके आॅर्डर में कोई वजन रहता नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है, आपके आॅर्डर जारी होने के बाद कि एम. ए. या बी. ए., बी. एड को हाई स्कूल में एबजोर्व कर लिया जाय, इसके बाद भी नये अपोइन्टमेंट्स हुए हैं और उनमें थोड़े क्वालिफाइड आदमियों को नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सब्स्टीट्यूट लिये होंगे । वरिष्ठता सूची फाइनल नहीं हुई है, इसलिए सब्स्टीट्यूट्स लिये हुए होंगे । जैसे ही इनका एबजोर्र्शन होगा उनको अलग कर दिया जायगा ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : वरिष्ठता सूची कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने सदन को विश्वास दिलाया है; अधिक से अधिक दो महीने में वरिष्ठता सूची तैयार करवाने का प्रयत्न करूंगा–ऐसा प्रयत्न करूंगा और पूरी नहीं होगी तो अधिक समय लिया जा सकता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वरिष्ठता सूची बन जाने के बाद ये अध्यापक कब तक ले लिये जायेंगे, इसकी टाइम लिमिट बता दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची बनने दीजिये । यह दूसरा प्रश्न है, इस पर मेरा विश्वास लिया जा रहा है । सूची बनने के बाद विश्वास दिला सकता हूं । अभी मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि सारा का सारा कार्यक्रम शुरू होगा और जल्दी समाप्त होगा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जहां वरिष्ठता सूची बन गई है, वहां क्यों न काम शुरू कर दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पीसमील में नहीं किया जाना है । सब सूचियां तैयार करके एक साथ करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पिछले सेशन में आपने आश्वासन दिया था कि सूची जल्दी बन रही है । इस सेशन में भी कह रहे हैं कि सूची जल्दी बनानी है और दो महीने लग जायेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आश्वासन, लगन और क्रियाशीलता, इन तीनों प्रश्नों पर चल रहा हूं ।

Page No 20

प्रश्न संख्या ५७२

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण छाछिया ।

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल ।

जिला चित्तौड़ में नये मिडिल स्कूल

५७३. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जिला चित्तौड़ में इस वर्ष कितने नये मिडिल स्कूल खोले गये और किस तहसील में कितने व कहां पर ?

(२) क्या प्रतापगढ़ शहर में नया मिडिल स्कूल खोला गया है ? यदि नही तो कब तक खुल जायेगा ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) चित्तौड़गढ़ में चार नये मिडल स्कूल्स खोले गये :–

पंचायत समिति

१. रावतभाटा—प्रा. स्कूल भेंमरोड़गढ़

२. बडोरी —प्रा. स्कूल छोटी सादड़ी

३. कोटरी —प्रा. स्कूल अवनेरा

४. ककरवा —प्रा. स्कूल भोपालसागर

(२) प्रतापगढ़ में एक हायर सैकेन्डरी स्कूल पहले से ही मौजूद है । कोई नया मिडल स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

भूमि का बेचान व एलॉटमेंट

५७४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या मंत्री, कोलोनाइजेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) कोटा कोलोनाइजेशन विभाग ने अपनी समाप्ति के तीन माह पूर्व की अवधि में कुल कितनी भूमि तहसील लाडपुरा जिला कोटा में बेचान अथवा एलॉट की ?

(२) उक्त भूमि बेचान अथवा एलॉट किस प्रणाली से की गई ? व इससे कितनी रकम प्राप्त हुई ?

उप-मंत्री, उपनिवेशन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कोलोनाइजेशन विभाग ने अपनी समाप्ति के ३ माह पूर्व की अवधि में तहसील लाडपुरा जिला कोटा में ६ बीघा भूमि एलॉट तथा ६७२ बीघा भूमि बेचान की है ।

(२) ६७२ बीघा भूमि जरिए नीलाम बेचान की है तथा ६ बीघा भूमि सरकारी आरक्षित मूल्य पर अतिक्रमियान (जो कि १–४–६० के पूर्व के थे, को एलॉट की है । इसमें नीलाम से ३१,५०२)रु० तथा एलॉटमेंट से २००)रु० कुल ३१,७०२) रुपये की रकम प्राप्त हुई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोलोनाइजेशन के द्वारा म्यूनिसिपल एरिया, कोटा के अन्दर, इन्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर भी जमीन बेचान की गई है ?

श्री रामाप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नही है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न स्पष्ट है……………

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट प्रश्न इससे सम्बन्धित केवल इतना है कि आपने तहसील के लिए पूछा था । अब आप अमुक जमीन के लिए पूछ रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिन जमीनों का बेचान किया गया उनका ऑक्शन किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ६७२ बीघा भूमि के नीलाम से १,१५,६४२ रुपये प्राप्त हुए और ३१,५०२ रु० की रकम जमा हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो जमीन बेचान की गई उस पर सरकार ने इस प्रकार की पाबन्दी लगाई है कि जितनी जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आबादी लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेस्ट्रिक्शन लगाने का सवाल पैदा नहीं होता है। हमने एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पज् के लिए बेचा है, उसको आबादी में नहीं काम ले सकेंगे, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं। कानून ऐसा है कि काम में नहीं ले सकता है, खेती करने के अलावा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय को सूचना देना चाहूंगा, विशेष तौर पर तहसील लाडपुरा में जो इन्डस्ट्रियल एरिया है और म्यूनिसिपल एरिया कोटा का है उसके अन्दर-उसके अन्दर कोई दो सौ, तीन सौ बीघा जमीन बेची गई है, वह ऐसी है जो कृषि योग्य नहीं है। उसको खरीदने का मकसद यह है कि आगे जाकर आबादी लैंड में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से सरकार को केवल सैकड़ो-हजारों का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों रुपयों का नुकसान होने वाला है। एक बीघा भूमि जो एग्रीकल्चरल पर्पज् के लिए आप देंगे, उसको आबादी के लिए काम में लायेगा तो उसको डेढ़-दो लाख की कमाई होने वाली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि कन्वर्शन ऐसी चीज नहीं है जो स्वतः कर लेगा। यदि स्वतंत्र, दूसरे काम में लेता है तो कानून हमारे पास है। कन्वर्शन का प्रश्न सरकार के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं और सरकार व्यक्तिगत रूप से, किन्हीं के मकान बनाने के दृष्टिकोण से कन्वर्शन को अब नहीं अपनाना चाहती है और सरकार का निर्णय है कि कन्वर्शन को अब पर्मिट नहीं करेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने आपको बताया कि इन्डस्ट्रियल एरिया को म्युनिसिपल एरिया में········

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि म्युनिसिपल एरिया में इसे रख कर, इस काश्त की जमीन के टुकड़े करके बेचते तो सरकार को ज्यादा आमदनी हो सकती थी बनिस्बत इसके····

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, काश्त की जमीन····

श्री अध्यक्ष : Order please ! मैंने आपकी मंशा माननीय मंत्री को बता दी है।

(विराम)

प्रश्न संख्या ५७५

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ५७६

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

राजस्थान नहर से पीने के पानी हेतु योजना

५७७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकारके ध्यान में बीकानेर शहर एवं पलाना के औद्योगिक विकास एवं खारे पानी वाले गांवों की पानी की समस्या का स्थायी हल राजस्थान नहर से ही पानी देने से निकल सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन उद्योग व सिंचाई विभागों ने सम्मिलित रूप से विचार करके राजस्थान नहर से बीकानेर शहर एवं पलाना तथा रास्ते में पड़ने वाले खारे पानी वाले गांवों के लिये पीने के पानी हेतु कोई योजना बनाई है ? अगर हां तो यह योजना क्या है तथा उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। राजस्थान नहर से एक लिफ्ट चैनल विरधवाल स्टेशन के पास से बीकानेर शहर तक निकाली जायेगी। उसी से पीने के लिये तथा उद्योगों के लिये पानी उपलब्ध किया जायेगा। लिफ्ट् चैनल की योजना बना कर भारत सरकार को भेज दी गई जो केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : इस योजना में कितना रूपया खर्च होगा और कब तक इस कार्य को हाथ में लेने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस में करीब ६ करोड़ से ऊपर की रकम लगेगी और इस योजना को सेन्ट्रल पॉवर कमीशन से स्वीकृत हो जाते ही हाथ में ले ली जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह दो करोड़ रूपया रखा गया है वह उसको इसमें मिला कर काम क्यों नहीं किया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस योजना का इन दो करोड़ रूपयों से कोई संबन्ध नहीं है। यह तो पलाना और बीकानेर शहर और आस पास के गांवों को पीने का पानी जो ४० क्वेसेट के करीब दिया जावेगा उसके काम में आवेगा। यह कार्य १९६९-७० तक समाप्त हो जावेगा ।

एक माननीय सदस्य : सेन्ट्रल पॉवर कमीशन से इस स्कीम को जल्दी तय करावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो डेम से संबन्ध रखता है ज्यों ही यह कम्प्लीट होगा और यह ६९–७० में होगा इसलिये इसके पहले सम्भव नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो ६९-७० में होगा, लेकिन दूसरे काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपने माने है तो दूसरा खर्चा करना है उसको आप प्रारंभ क्यों नहीं करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह बताया कि यह under the Examination of the सेन्टर वाटर पॉवर कमीशन है इसके अलावा डेम पूरा नहीं होगा तब तक यह स्कीम चल नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
सकेगी । इसलिये मैंने १९६९–७० बताया है ।

श्री भीमसेन : आप भाखरा से पानी लेकर इस योजना को पूरा कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल ।

जिला सवाई माधोपुर के ग्रामों में अग्निकांड

५७८. श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) वर्ष १९६३ में जिला सवाई माधोपुर के कितने ग्रामों में अग्निकान्ड हुए तथा कितना नुकसान जान व माल का हुआ है ?

(२) सरकार की ओर से अग्नि पीड़ितों को कितने कितने रूपयों की धन-राशि सहायता के रूप में दी गई है तथा कितनी धन-राशि उनको ऋण के रूप में दी गई है ?

(३) क्या यह सच है कि कस्बा टोडा भीम, तहसील टोडा भीम में आग से १०७ घर जल कर भस्म हो गये हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि अधिक नुकसान गरीब बुनकर व जुलाहों का हुआ है ?

(५) क्या यह भी सच है कि उनके दस्तकारी के औजार भी जल चुके हैं ? यदि हां तो सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ?

(६) क्या उन्हें दस्तकारी के औजार मुफ्त दिलाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

(७) क्या सरकार उनको टिन शीट्स भी दिलाने में सहायता कर रही है ? जानकारी का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) : जिला सवाईमाधोपुर के जिन जिन ग्रामों में आग लगी तथा जितना जितना अनुमानित नुकसान हुआ उनकी सूची संलग्न है ।

(२) पंचायत समिति क्षेत्र में इस वर्ष ७,०००) रूपये की राशि सहायता के रूप में स्वीकृत हुई है जिसमें से १,३२५) रू० दिये जा चुके हैं । तथा ५,०००) रू० दिये जाने शेष हैं ।

(३) जी नहीं । कस्बा टोडा-भीम में केवल ६९ घरों में आग लगी थी ।

(४) जी हां । ६९ में से २९ घर केवल बुनकरों व जुलाहों के हैं तथा ७१,५७९ रूपये की कुल हानि में से ४५,६४५ रूपये की केवल बुनकरों व जुलाहों की हुई है ।

(५) राज्य सरकार की ओर से क्षतिग्रस्तों के लिये ५,०००) रूपये पहिले ही स्वीकार किये जा चुके हैं जो पंचायत समिति टोडा भीम के द्वारा उन्हें वितरित कर दिये जायेंगे ।

(६) जी नहीं । इसके लिये न तो उनकी ओर से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और न सरकार के पास ही इस प्रकार की सहायता देने के नियमों में कोई प्रावधान है ।

(७) इस बारे में अग्नि पीड़ितों की ओर से कोई आवेदन पत्र आदि प्राप्त नहीं हुए हैं अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री श्रवणलाल : क्या कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने २५ हजार रूपये सेंक्शन किये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंजूर की हैं, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामकिशन (बैर) : मंजूर नहीं, सिफारिश की है। मंजूर तो आप करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे मालूम नहीं।

श्री श्रवणलाल : आपने बताया कि बुनकरों को अधिक नुकसान हुआ है। उनको पांच हजार रूपये राहत के रूप में देना उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आग लगने से किसी व्यक्ति को कितना नुकसान होता है उसके नुकसान की पूर्ति करना सरकार के साधनों के मुताबिक संभव नहीं है। हम तो उनको रिलीफ और सहायता के लिये लोन की बात हो तो कन्सीडर करते हैं।

श्री रामकिशन : जिनके औजार जल गये उनको तो सरकार दिलाएगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अग्नि पीड़ितों को मदद देने के लिये प्रावधानों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। मैं आजकल की जो स्थिति है उसके अनुसार अर्ज कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो थोड़ी सहायता देते हैं वह फोरी मिलनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने फोरी सहायता के लिये सेंक्शन कर दिये ?

श्री रामकिशन : वह अभी तक नहीं मिली।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत समिति ने कितना बांटा है या कितना नहीं बांटा है, इस पर जानकारी नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या सरकार उनको औजार जिस तरह से दूसरी जगह मुफ्त दिलाये जाते हैं, दिलाने की व्यवस्था उन लोगों को करेगी जिनको अग्नि-काण्ड से नुकसान हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या इस बात की भी कोशिश की है कि आग क्यों लगी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

चम्बल क्षेत्र में फसल का गलत रेकॉर्ड

५७९. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या चम्बल क्षेत्र के विभागीय कर्मचारियों को इस बात की सूचना है कि इर्रीगेशन पटवारियों द्वारा फसल का सही रेकॉर्ड नहीं किया जा रहा है जिसके कारण जनता में परेशानी है ?

(२) क्या यह सही है कि सुलतानपुर क्षेत्र में रेवेन्यू पटवारियों व इर्रिगेशन पटवारियों के रेकॉर्ड फसल में भी फर्क है और यह बात अधिकारियों की निगाह में लाई गई है ?

(३) क्या श्री प्रभुमाली सुलतानपुर से ऐसे खेत में पानी दिया जाना बतला कर १००) रु० रेन्ट वसूल किये गए हैं जिसमें मौजूदा केनाल से पानी पहुंचाया जाना नामुमकिन है व उसकी शिकायत की भी जांच तक नहीं की है

(श्री जुझारसिंह)

गई है व श्री छोटूजी ग्राम मंडावरा (सुलतानपुर) के खेत में गेहूं की पैदावार लिखी गई है, जबकि रैवेन्यू रैकौर्ड में कोई फसल होना नहीं बतलाया गया है ?

(४) विभागीय पटवारियों की लापरवाही को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और आगे क्या किया जाने का विचार है ?

उप–मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सिंचाई-पटवारी फसल का सही रैकौर्ड खेतों को नाप करके दर्ज करते हैं। अगर किसी काश्तकार की समय के अन्दर शिकायत आती है तो उसकी पुनः जांच की जाती है।

(२) इरिगेशन-पटवारी गिरदावरान की निरीक्षण में फसलों की नाप करते हैं जबकि रैवेन्यू-पटवारी वसूली के लिए इरिगेशन का कोई नाप दर्ज नहीं करते हैं। अतः फर्क होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(३) हमारे रैकॉर्ड में श्री प्रभुलाल व मन्ना और मौज्या ऊंकार माली से खसरा नं० ११९५, ११९६, ११२६ का रकबा।) १ बिस्वा सब्जी का १.४४ रु० रकम चार्ज की गई है। जिससे जाहिर है कि खेत के कुछ भाग में सिंचाई हुई है।

(४) इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस एरिया में चार्ज रेट का बताया, यह ऐसा एरिया है जिसमें पानी आना असम्भव है। वहां आप यह जवाब दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत स्पष्ट है। १.४४ रुपये का चार्ज किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

पंचायत समितियों को तकाबी

५८०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राज्य सरकार ने आज तक कुल कितनी रकम पंचायत समितियों को तकाबी के लिए दी है ?

(२) तकाबी की दी हुई रकम की बकाया कितनी बाकी है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) ३२,७३,७९७) रु०

(२) ९७,७८८) रु० ०९ नये पैसे बकाया बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गणेशलाल।

भदेसर में कृषि फार्म की योजना

५८१. श्रीगणेशलाल पलिया (भदेसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार पंचायत समिति क्षेत्र भदेसर में कृषि फार्म बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किस मौजे में ? तथा कार्य कब तक शुरू होगा ?

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां। अभी उपयुक्त भूमि नहीं मिल सकी है, अतः कार्य आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गणेशलाल पलिया : क्या यह सही है कि कृषि अधिकारी ने जाकर मौका देखा और उपयुक्त भूमि ढूंढी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, मौका ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

तहसील पंचायत सूरतगढ़

५८२. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील पंचायत सूरतगढ़ के पास सितम्बर, १९५९ को विघटित होने के समय कितना रुपया नकद या बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा के रूप में था।

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : कुल १६,०२३ रु०७४ नये पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय बोलते हैं तो सुनाई ही नहीं देता है। पहले भी यों ही रह गया और यह भी यों ही रह गया।

श्री अध्यक्ष : पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा था उस वक्त, यह बताया मन्त्री महोदय ने।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कुल १६,०२३, रु० ७४ नये पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अब उन रुपयों का क्या किया जा रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी तो जमा ही हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तहसील पंचायत टूट गई, दूसरी ऑथोरिटी कायम कर दी तो उसको यह रकम ट्रान्सफर करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें जांच हो रही है।

श्री रामकिशन : इसमें जांच क्या हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

ग्राम सहकार समिति को कर्जा

५८३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या ग्राम बिहार, तहसील नीम-का-थाना में कोई "ग्राम-सहकार-समिति" नाम की कोऑपरेटिव संस्था है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सन् १९५८ के आस पास इसको ४८,०००)रु० के लगभग कोई कर्जा दिया गया था ?

(३) क्या यह सत्य है कि यह कर्जा काबिल वसूली हो जाने पर भी वसूल नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सच है कि इस रकम में से अधिकांश सदस्यों को कर्जा नहीं मिला बल्कि उसका दुरुपयोग किया गया है और वह किसी व्यक्ति विशेष ने अपने काम में ले लिया है ? अगर हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री भीम-सिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, क्योंकि सदस्यों ने समय समय पर जमा नहीं कराया।

(४) जी नहीं। अतः अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कर्जा जो समय-समय पर जमा नहीं कराया गया, क्या उसकी वसूली की जा रही है ?

श्री भीमसिंह : इसमें से अधिकांश रुपया वसूल हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितना वसूल हो चुका है और कितना लोगों को दिया गया था, क्या आपके पास इसकी लिस्ट है ?

श्री भीमसिंह : ४६,९००रु० दिया गया था जिसमें से ४६,४७१ रु० वसूल किया जा चुका है और ४२९ बाकी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जमा होने की तारीखें क्या हैं ?

श्री भीमसिंह : तारीखें तो अभी मौजूद नहीं हैं। आप जानना चाहें तो बाद में दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

पत्रकार कोलोनी का निर्माण

५८४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर में पत्रकार कोलोनी का निर्माण सरकार ने करवाया है ?

(२) क्या अन्य स्थानों पर भी सरकार की इस सम्बन्ध मे कोई योजना है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त-शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स पर पत्रकार रहते हैं, जर्नलिस्ट्स रहते हैं उनको भी वही सुविधा दी जाय जो जयपुर में पत्रकारों को दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई मांग अभी सरकार के पास नहीं आई है।

श्री मानिकचन्द सुराण (कोलायत) : क्या यह सही है कि जिनको जमीनें अलॉट की हैं उनमें से कई को फिजिकल पजेशन नहीं दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : जिनके पैसे आ गये हैं उनको पजेशन दिया है, दूसरों को नहीं दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पैसे जमा करा दिए हैं, पर जो लैंड उन्हें अलॉट की गई है वह उनको नहीं मिल रही है। मुख्य मन्त्री जी ने उनको चिट्ठियां लिखी हैं कि जांच हो रही है, कार्यवाही की जा रही है ? हालांकि डेढ़ साल से ज्यादा अर्सा हो

Page No 28

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
गया है फिर भी उनको अभी जमीन नहीं मिल रही है।

मुख्य-मन्त्री, (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : लम्बे अर्से से कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन (बैर) : लम्बे अर्से से नही तो छोटे अर्से से कोई शिकायत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डेढ़ साल या साल भर पहले, मुझे डेफिनिट याद नहीं, ऐसा सवाल आया था कि फिजिकल पजेशन उन्हें नहीं मिला, पर उस सम्बन्ध में आदेश कर देने के बाद पत्रकारों की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन कर दूं कि वह आर्डर अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। जिनको आपने चिट्ठी लिखी थी वे अभी बिना जमीन के हो घूम रहे हैं। क्या इसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायगी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मुख्य-मन्त्री आश्वासन देंगे कि अन्य स्थानो पर भी पत्रकारों को इसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जायगी जिस प्रकार की कि जयपुर मे है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मेरिट्स पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

भीनमाल में लड़कियों का प्राईमरी स्कूल

५८५. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या शिक्षा-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) भीनमाल में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल कितने वर्ष से चल रहा है ?

(२) क्या सरकार भीनमाल की जन-संख्या को देखते हुए उक्त प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल मे परिणत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) भीनमाल में लड़कियों की प्राथमिक स्कूल ३१ वर्षों से चल रही है।

(२) सरकार के पास कोई लिखित सुझाव प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिणत करने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा सुझाव आने पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) सरकार के खुद के भी अपनी तरफ़ से सुझाव होते हैं कि नही, जब कि इस प्राथमिक शाला को चलते हुए ३१ वर्ष हो चुके हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सरकार की सूझ तो बहुत है, पर आर्थिक अभाव के कारण दृष्टि मे थोड़ा फर्क रहता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

लावा के उप-सरपंच का चुनाव

५८६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री पंचायत विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लावा (तहसील मालपुरा) के उप-सरपंच के चुनाव के लिए तहसीलदार मालपुरा ने तारीख

(श्री भैरोंसिह)
३०-८-६२ निश्चित करके पंचों के नाम नोटिस निकाल दिए थे ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के समस्त पंच नोटिस के अनुसार उप-सरपंच के चुनाव के लिए उपस्थिति हो गये परन्तु तहसीलदार ने चुनाव स्थगित कर दिया ? यदि हां तो क्यों ?

(३) यह उप-सरपंच का पद कब से रिक्त है ?

(४) क्या यह सही है कि भूतपूर्व उप-सरपंच ने उनके विरुद्ध पंचायत की रसीदें जलाने के आरोपों की जांच के परिणामस्वरूप अपेक्षित कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये त्यागपत्र दिया और दुबारा चुनाव जीतने की सम्भावना न पा कर तहसीलदार से मिल कर चुनाव स्थगित करवा दिया ?

(५) उक्त पंचायत के उप-सरपंच का चुनाव कब कराया गया और इस पद पर किसका निर्वाचन हुआ ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) एक पंच को नोटिस समय पर न मिल सकने के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा ।

(३) दिनांक १९-१२-६१ से यह पद रिक्त रहा ।

(४) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(५) चुनाव दिनांक २७-९-६२ को कराया गया और श्री भूरसिंह इस पद पर निर्वाचित हुए ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

अकालग्रस्त क्षेत्रों से तावान व लगान की वसूली

५८७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों को गत चार साल से लगातार अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के बावजूद भी वहां के किसानों से तावान व लगान वसूल किया जा रहा है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिये वसूली बन्द करने का कोई आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा क्या यह वसूली स्थायी तौर पर बन्द की जायगी या सिर्फ स्थगित ही करने का विचार है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं । तहसील बीकानेर व तहसील लूणकरणसर के जिन गांवों को गत चार वर्षों (सम्वत् २०१६ से २०१९) में अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया था वहां के किसानों से तावान व लगान वसूल नहीं किया गया है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि जो एरिया राजस्थान केनाल में है वहां मालिकाना, अकाल होते हुए भी, वसूल किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है, जानकारी करके जवाब दे सकता हूं ।

श्री भीमसेन : अलग प्रश्न नहीं है, बीकानेर तहसील का पूछा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान केनाल का प्रश्न है

श्री भीमसेन : राजस्थान केनाल एरिया के उन लोगों से मालिकाना वसूल किया गया है जो कि बीकानेर तहसील में है। तो इस प्रकार अकाल-ग्रस्त इलाकों में मालिकाना वसूल करना कानूनन वाजिब है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी समझ में तो वसूल नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वसूल किया गया है।

श्री भीमसेन : मैं सूचना देता हूं कि वसूल किया गया है और यह क्या कानूनन वाजिब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे तहकीक मालूम नहीं है. जांच करके नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री भीमसेन : अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में जो मालिकाना वसूल किया गया है, तो क्या यह कानूनन गलत वसूली हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जानकारी करने के बाद जैसी भी स्थिति होगी नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

तहसील डीग की फाइलें

५८८. रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील डीग (भरतपुर) की कितनी ही फाइलें गायब हैं ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

(२) क्या यह सत्य है कि यह फाइलें जलाई गई थीं ?

(३) क्या इस संबंध में सरकार ने दोषियों का पता लगाया है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या गायब फाइलें दुरुस्ती टीप के मामलों से संबन्धित थीं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। १५ फाइलें तारीख २७-१२-६० से।

(२) जी नहीं। जांच से केवल फाइलों के खो जाने का पता लगा है।

(३) तहकीकात की गई। परन्तु किसी के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं हुआ। इसलिये किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

(४) जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न के भाग (४) का जवाब दिया है, 'जी नहीं', तो ये फाइलें दुरुस्ती टीप के मामलों से सम्बन्धित नहीं थीं तो किससे सम्बन्धित थीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपियां बना ली हैं, जो रकम वसूल करनी थी वह कर ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फाइलें खो गई हैं, जला दी गई, जांच के लिये कहा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और आप जो कहते हैं वह किस आधार पर कहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर किस सम्बन्ध में ये फाइलें थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके सम्बन्ध में कोई तहकीकात का जवाब नहीं आया है। टीप बदल के अलावा और सैंकड़ों किस्से हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या यह पूछना आपने वाजिब नहीं समझा कि ये फाइलें किस सम्बन्ध में थीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वाजिब समझा और जानकारी प्राप्त की, पर क्वेश्चन आज ही पोस्ट हो गया। चार फाइलें जुडीशियल और ११ फाइलें राजस्व सीगे की हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वजह है कि भरतपुर की फाइलें ही गुम होती हैं ?

श्री रामकिशन : पहले भी डीग की और कामां की फाइलें गुम हो गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहाँ जिसकी गलती थी उसमें कार्यवाही होकर सस्पेन्शन हुआ है।

श्री रामकिशन : कोई सस्पेन्ड नहीं हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इस प्रकार के कागजात भरतपुर से ही गायब क्यों होते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस कर्मचारी के पास फाइलें रहती हैं उस जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामकिशन : भरतपुर, कुमेर, डीग से पहले फाइलें गुम हो गईं, उनमें कोई कार्यवाही नहीं हुई; इसलिये जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह शेर होता है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता और मंत्री महोदय का प्रश्न पूछने पर यह जवाब आता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अलग प्रश्न है, एन्टीकरप्शन को मुकदमा सौंपा गया है, कार्यवाही की गई है, ट्रान्स्फर किया गया है।

श्री रामकिशन : कुछ भी नहीं हुआ है, एक आदमी का ट्रान्स्फर नहीं किया, आज भी उन्हीं पदों पर हैं डेढ़ साल के बाद भी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं। जो गलत सूचना आपको दे रहे हैं उसकी वजह है आप उन पर कोई कामराज योजना लागू कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

कॉमर्स सैक्शन की मांग

५८९. श्री तेजाराम गहलौत (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि जैतारण हायर सेकेन्डरी स्कूल में कॉमर्स सैक्शन खोलने की मांग लगातार की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

Page No 32

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री महोदय ने उक्त स्कूल में जुलाई, १९६२ से कॉमर्स सैक्शन खोलने की घोषणा जैतारण नगर में अपने दौरे के २९-१२-६१ को की थी ?

(३) क्या सरकार जुलाई, ६३ चालू शिक्षा साल में उक्त स्कूल में कॉमर्स सैक्शन खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सत्य है कि जैतारण हायर सैकन्डरी स्कूल में कॉमर्स सैक्शन खोलने की मांग कई वर्ष से हो रही है। ६१–६२ तक इस स्कूल में कॉमर्स इसलिये नहीं खोली जा सकी कि कॉमर्स सीखने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। ६२–६३ में कॉमर्स खोलने की स्वीकृति दी गई परन्तु इकोनोमी कट होने की वजह से यह स्वीकृति वापिस ले ली गई।

(२) मुख्य मंत्री के आश्वासन के सम्बन्ध में इस कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी यदि मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया तो कॉमर्स सैक्शन खोलने की स्वीकृति दे दी गई थी लेकिन ६२–६३ में इकोनोमीकट के कारण वह स्वीकृति निरस्त हो गई।

(३) जैतारण मे कॉमर्स चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कॉमर्स के लिये इस सत्र में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मंत्री महोदय जनता की ओर से सरकार को धन का सहयोग देने पर इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हर प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है। आप आवश्यक धन-राशि का इन्तजाम कर देंगे तो इसको एग्जामिन करा लिया जावेगा।

श्री तेजाराम गहलोत : जनता की ओर से कुछ टाइपराइटर्स हम स्कूल को दिला सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : टाइपराइटर्स की संख्या और उसके साथ क्या एसेसरीज होनी चाहिये, यह सब आप हम बैठ कर बात कर लेंगे और यथा संभव इसके लिए करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या हमारे कार्यालय को ऐसी सूचना नहीं है की कि मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया हो वह उनको मालूम हो एवं क्या इस प्रकार सरकारी नियमों के तहत आवश्यक नहीं हैं कि जितने मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिये जाते हैं सम्बन्धित विभाग को उसकी सूचना वे स्वयम् दे दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रोसीजर का सवाल है। यह मेरे इल्म में नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : फिर कैसे पता लगे कि मुख्य मंत्री जी ने या किसी अन्य मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन दिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं स्वयम् जानकारी कर लूंगा कि आश्वासन दिया है वह किसने दिया है। आश्वासन दिया है इसी-लिए तो यह सेक्शन खुला था, यदि नहीं दिया होता तो सम्भवतया नहीं खुलता, लेकिन इकोनोमी कट में वह निरस्त हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने यह क्यों कहा कि मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया वह मेरी जानकारी में नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विभाग को नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं निवेदन करूं कि कहीं पर कोई मंत्री आश्वासन दे तो उसको उसकी सूचना सम्बन्धित विभाग को देनी चाहिये, यह ठीक है। आश्वासन देने की बात से विभाग को सूचित की जानी चाहिये। मैंने जिस वक्त यदि आश्वासन दिया तो मैं स्वयम् उस समय शिक्षा मंत्री था। बाद में कार्यवाही हो जाने पर भी इकोनोमी कट के कारण इसको रोक दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मंत्री बदल जायं तो नये चार्ज सम्हालने वाले मंत्री उन आश्वासनों का चार्ज सम्हाल लें?

श्री अध्यक्ष : वे नये आश्वासनों में लग जाते हैं।

(विराम)

श्री तेजाराम।

स्थगित प्रश्न

(२-९-६३)

पाली जिले में बांटे गये बीज की वसूली

३५८. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में १९५० से १९६० तक सालवार रबी व खरीफ में किस किस तहसील में कितना कितना बीज किस किस अनाज का कृषि-विभाग द्वारा वितरित किया गया?

(२) उक्त बीज पर कितना कितना रुपया सालवार खर्च हुआ व कितना रुपया वापिस वसूल किया गया?

(३) उक्त बीज किस किस एजेन्सी के मार्फत बांटा गया व रिकवर किया गया?

(४) उक्त बीज के तहसीलवार सालवार आंकड़े बताये जावें व किस किस व्यक्ति में कितने रुपये बकाया हैं?

(५) प्रश्न चार में बताये गये व्यक्तियों से इतने समय तक वसूली करने के लिये कृषि विभाग की ओर से क्या क्या कोशिशें स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई व कब कब?

(६) पंचायत समितियों के बनने से पहले विकास खण्डों में दिये गये बीज की वसूली के बारे में स्थानीय अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की?

कृषिमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) इन दस सालों में जितना बीज बांटा गया है, उसकी तालिका संलग्न है।

(२) वार्षिक खर्च व वसूली की तालिका संलग्न है।

(३) ये बीज विभागीय कर्मचारियों, सहकारी समितियों एवं पंचायतों द्वारा बांटा व वसूल किया गया है।

(४) वार्षिक वसूली व वितरण के आंकड़े प्रश्न संख्या २ के उत्तर में तालिका 'क' व 'ख' में दिये गये हैं। वसूली व वितरण का हिसाब पंचायत समिति व जिला स्तर पर बनाया जा रहा है, जिससे कि यह पता लग सके कि किस व्यक्ति में कितनी बकाया है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(५) वसूली के लिये हर साल फसल कटाई के समय विकास अधिकारियों को तहसीलदारों के पास लिस्ट भेजने को लिखा जाता था। बकाया की सूची तहसीलदारों को भेज दी गई है और पी. डी. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है।

(६) इसका उत्तर प्रश्न ५ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न ४ के उत्तर में वसूली व विवरण के हिसाब पंचायत समिति और जिलास्तर पर बताये गये और ५ मे बताया कि सूची तहसीलदारों के पास भेज दी गई है। इन दोनों जवाबों में से कौनसा जबाब सही है?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों ही ठीक हैं। इसलिए ठीक हैं कि इसमें अकाउन्ट्स का प्रोपर कम्पाइलेशन नहीं हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य से बीज के वितरण की एजेन्सियों में परिवर्तन पिछले दस सालों में काफी हुआ है। पहले सारा का सारा बीज बांटने का काम विभाग करता था, फील्ड मैन की तरफ से बीज बांटा जाता था। कई जगह अलग-अलग एक-एक आदमी को देता था और पंचायत को अलॉट करता था जो कि आदमियों को बांट देती थी। फिर पंचायतों को बीच में इन्ट्रोड्यूस किया गया। उनसे बीज बांटने का काम शुरू कराया गया। फिर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया गया। फिर बाद में पंचायती राज्य आ गया और सारा का सारा वितरण का मामला उनको सुपुर्द कर दिया गया। दस वर्षों में इसमें इतना परिवर्तन आया कि समय समय पर अलग अलग एजेन्सियों का हिसाब अलग अलग तरीके से रखा गया। उनका एक स्टेन्डर्ड मुकर्रर करके पुराने हिसाब ठीक ढंग से नहीं रखे गये थे; उनको फिर से लिखा जाय, अलग अलग तैयार हुए थे उनको एकत्रित किया जाय, बीज के मामले में शुरू शुरू में वसूली भी होती थी, प्रोपर टाइम पर इन्तजाम नहीं होता था, कई तरह की अड़चनें रही। इसलिए जैसा आपने कहा कि दोनो तरह की बातें कही गई हैं तो वह सारी जो पुरानी भूमिका है उस बेकग्राउन्ड मे वह मेल खाती है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, केवल पाली जिले में सन् ५३-५४ से लेकर १५ लाख की बकाया है। चन्द इन्ट्रेस्टेड लोगों में बीज बकाया है। एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार बार लिखा गया; लेकिन रिकवरी नहीं हुई। मे निवेदन करूंगा कि जिन आदमियों में बकाया है उनकी फौरन वसूली की जाय, ताकि काश्तकारों को उसका भी बीज मिल सके।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य को जैसी चिन्ता है वैसी मुझे भी चिन्ता है। मैं खुद एहसास करता हूं कि हिसाब में कमी रही। उसको तुरन्त करना चाहिये। इसके लिए एक स्पेशल स्टाफ फाइनेन्स ने नियुक्त कर दिया है और काम चल रहा है। हम को भी चिन्ता है कि जिनके पास ज्यादा बकाया है उनसे वसूल करके लोगों को बीज अधिक दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन रह गया है, ५५८।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो बहुत रह गये हैं।

श्री भैंरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट है और या तो यह दुबारा टर्न पर आ जाय।

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न ?

श्री भैंरोंसिंह : प्रश्न संख्या ५५८

कपासन जिनिंग फैक्ट्री

५५८. भैंरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कपासन जिनिंग फैक्टरी जिसको सरकार ने फरोख्त कर दिया है उसका अभी तक सेल डीड रजिस्टर नहीं कराया है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ? और यदि रजिस्टर हो गया है तो कृपया उस डीड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उद्योग-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
1. Yes.
2. No.

श्री रामकिशन : प्रश्न तो हिन्दी में था।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके दो हिस्से हैं। आपकी सुविधा के लिए किया है। इसका बेचान तो हो गया है। सेल डीड नहीं हुआ है। कॉपी मेज पर मांगी।

श्री भैंरोंसिंह : वह क्यों नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नोर्मल रुटीन में ही पड़ा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है १.६० हजार में बेची थी और बेचने के बाद पजेशन भी दे दिया। मेरी जानकारी में आज आया। लेकिन ड्राफ्टिंग में लॉ डिपार्टमेन्ट में चल रहा था। लॉ डिपार्टमेन्ट ने एप्रूव कर दिया है, ड्राफ्ट विभाग में चला गया है। जिसको बेचा है उसको एग्जीक्यूशन के लिये बुलाया है।

श्री भैंरोंसिंह : सेल डीड की रजिस्ट्री कराना किसके जिम्मे है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चिन्ता तो उसको होनी चाहिये। खरीद फरोख्त के अख्तियारात लेने के लिए वह कोशिश करता कि सेल डीड कम्पलीट हो जाय। अब लिख दिया है कि सेल डीड का ड्राफ्ट तैयार है। डीड वगैरह का ड्राफ्ट पास कर दिया है।

श्री भैंरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि इस फैक्टरी को सेल किया तो कन्डीशन्स इम्पोज की थी उसके अनुसार यह सैल डीड किसको रजिस्टर करवाना था और कितने समय में करवाना था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जहां तक जानकारी है कोई कन्डीशन नहीं थी। हमने तो एब्सोल्यूटली सेल किया था। १.६० हजार रुपया था वह उसने जमा करा दिया। उसको पजेशन दे दिया। उनको जल्दी नहीं थी कि सेल डीड जल्दी हो जाय। गवर्नमेन्ट पर विश्वास था; अविश्वास होता तो नहीं करता। ऐसी सूचना मिली है कि यह जल्दी ही हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(३.४०. म. प.)

डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, १९६२ के आधीन आज्ञा

(सदन की मेज पर रखना)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं डीलिमिटेशन कमिशन एक्ट, १९६२ की धारा २०(३) के अन्तर्गत डीलिमिटेशन कमीशन की आज्ञा संख्या २ दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

जिला जैसलमेर में शीप-ब्रीडिंग फार्म हेतु नियम भूमि सम्बन्धी विषय पर ध्यान दिलाना

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमो के नियम १२१ के अन्तर्गत जिला जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा एक उद्योगपति को शीप ब्रीडिंग फार्म के लिये एलॉट की जा रही जमीन के सम्बन्ध में मैं कृषि मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कॉल अटेन्शन नोटिस के सिलसिले में जिस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसके साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस प्रकार के मैटर से सम्बन्धित एक प्रश्न इसी सदन में भेजा था। आपकी तरफ से मुझे आज्ञा मिली है, जो कुछ बात मैं इस सिलसिले में बोलूं उस प्रश्न के उतर को ध्यान में रखते हुए सदन के सामने कहूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने अपने प्रश्न में यह विषय उठाया था कि जैसलमेर में कुछ जमीन अलोटमेन्ट द्वारा पचास हजार एकड़ जमीन इस इलाके में शीप ब्रीडिंग फार्म के लिये एक उद्योगपति को दी जा रही है जो वहां शीप ब्रीडिंग फार्म कायम करेंगे, जो इस फार्म को निजी तौर पर चलायेंगे। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस प्रकार के दो प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के सामने आये थे। एक तो मि० सिंहानिया जो कि बम्बई में रेमन्ड मिल चलाते हैं, और दूसरे राजस्थान वूलन इन्डस्ट्रीज नाम की एक मिल जिन्होंने कोटा के अन्दर अभी मिल लगाई है जो पूणी बनाने का काम करती है, उनका प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है। इस प्रकार दो प्रार्थना-पत्र सरकार के सामने आये हैं। एक ने पचास हजार एकड़ जमीन की मांग की है और दूसरे ने दस हजार एकड़ जमीन की मांग की है। और उनका यह भी कहना है कि उनको दस और पचास हजार एकड़ जमीन दी जाय तो वे ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो भेड़ लाकर कुछ शीप ब्रीडिंग के बारे मे एक्सपेरिमेन्ट करना चाहते हैं, जिसमें यहां की भेड़ों के साथ वहां की भेड़ों का क्रोस करके और उन भेड़ों का आपस में ब्रीडिंग करवा के प्रजनन कराके हमारे यहां की इन्डियन मेरीनो या अच्छी किस्म की भेड़ को कायम करने में कोशिश कर सकते हैं। यह करना इसलिये जरूरी है कि हमारे देश हिन्दुस्तान में ऊनी कपड़े का जितना उत्पादन हो रहा है उसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छे कपड़े बनाने के सिलसिले में करोड़ों रुपये की ऊन विलायत से मंगानी पड़ती है। खास तौर से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगानी पड़ती है। क्योंकि वूल का इन्टरनेशनल मारकेट है, इस सिलसिले में करोड़ों रुपये की ऊन मंगानी पड़ती है इसलिये इन दोनों नौजवानों ने जो कि अपने धंन्धे में दूरदर्शिता रखते है, इन लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जमीन अलौट की जावे तो वे इतने बड़े पैमाने पर इस काम को चालू करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने कुछ शर्तें भी रक्खी हैं कि हमें अमुक अमुक फेसीलिटीज़ दी जायं तो हम काम करने के लिये तैयार हैं। अभी इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि जमीन अलोट की जाय या नहीं। यह मामला विचाराधीन है। इस बारे में कन्सीडर कर रहे हैं। ये दो महानुभाव इस क्षेत्र में आ रहे है, वे चाहे यह काम करें या न करें किन्तु मैं इस नतीजे पर अवश्य पहुंचा हूं कि इस प्रकार की स्कीम को चलाने से न केवल हमारे राज्य को ही लाभ है बल्कि सारे हिन्दुस्तान को लाभ है। हम उन्नत किस्म की भेड़ निकाल कर वूल के दृष्टिकोण से, वूल की क्वान्टिटी और क्वालिटी के दृष्टिकोण से अच्छी प्रकार की वूल हमें अपने देश में मिल सके, हम अपने देश में उत्पादन कर सकें, यह बहुत ही आशा की बात है सारे हिन्दुस्तान के लोगों के लिये। भेड़ पालने वालों के दृष्टिकोण से, अल्टीमेटली वूल उद्योग के दृष्टिकोण से, यह जरूरी चीज होती है। इस दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पायी है जिससे यह कह सकें कि जमीन अलॉट हो गई है या नहीं हुई है। इस बारे में आज मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर इन भेड़ों के सम्बन्ध में जो अनुभव लाया हूं उसको भी निवेदन करूं। अध्यक्ष महोदय, हम वूल बोर्ड के निमन्त्रण पर आस्ट्रेलिया गये थे। वहां पर जाने के बाद १० दिन वहां ठहरे। वहां पर शीप ब्रीडिंग से लेकर अलटीमेटली वूल युटिलाइजेशन तक की बातें हमने देखी। उसको देखकर वास्तव में मनमे बहुत प्रेरणा उत्पन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया देश हिन्दुस्तान से करीब ढाई गुना इलाके में बड़ा है, वहां पर १ करोड़ की जन-संख्या है। इस मुल्क में १६ करोड़ भेड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में छ सात स्टेट्स अलग अलग तौर से बसे हुए हैं जिनमें वर्षा की औसत वेराई करती है २ इंच से ३० इंच तक। और सब इलाके में मेरीनो नाम की भेड़ें पाई जाती हैं। मेरीनो भेड़ उस इलाके में जहां औसत वर्षा २ इंच है और ३० इंच है सभी जगह पायी जाती है। जहां का टेम्परेचर ११५ डिग्री फेरेन्हाइट से ५०-६० फेरेन्हाइट तक है इतने बड़े वेरीयेशन के टेम्परेचर में भी ये भेड़ें पायी जाती है। और इसमें ८० फीसदी भेड़ें एक ही किस्म की पायी जाती है। लेकिन जो भेड़ें खास तौर से ज्यादा बरसात वाले इलाको में रहती हैं, जहां का टेम्परेचर लो है, वहां की भेड़ों की उनकी क्वालिटी सुपीरियर है। उनसे ७५ से ८० काउन्ट तक अच्छी ऊन मिलती है। जो कम बरसात वाले इलाके में है, जो हाई टेम्परेचर में रहने के आदी हैं उन भेड़ों की ऊन क्वालिटी के दृष्टिकोण से ५८-६२ और ६३ काउन्ट तक रहती है।

हमारे यहां ऊन का उत्पादन प्रति भेड़ के पीछे करीब ४॥ या ५ पौंड मानते हैं जहां

Page No 38

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर दो शिअरिंग होती है और एक भी होती है। आस्ट्रेलिया में साल में एक बार शिअरिंग होती है और एक बार ही लोड लिया जाता है। वहां का औसत १० पौन्ड है, जो हमारे से दुगुनी है। जहां क्वालिटी इम्प्रूव की गई है उसमे मेन तीन चार सिद्धान्त हैं जिस बेसिस पर एनीमल हस्बेन्ड्री का इम्प्रूवमेन्ट डिपेन्ड करता है, जैसे खुराक के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था है, जानवरों की ब्रीडिंग के बारे में कितनी सुविधायें उपलब्ध हैं, रही प्रकार की ब्रीड के सिलसिले में क्या व्यवस्था है, जानवरों को बीमारियों से बचाने के सिलसिले में क्या व्यवस्था है ?

ये चार बुनियादी सिद्धान्त है जिनके ऊपर किसी भी देश की एनीमल हस्बेन्डरी का विकास निर्भर करता है। उस दृष्टिकोण से आस्ट्रेलिया की एनीमल हस्बेन्डरी बहुत डेवलप्ड है और अल्टीमेटली पांचवां बड़ा फैक्टर है सब धन्धों को चलाने के दृष्टिकोण से वह है फाइनल प्रोड्यूस का मार्केटिंग और उसकी ऊंची व अच्छी व्यवस्था। मार्केटिंग के दृष्टिकोण से किसी भी चीज में चाहे एग्रीकल्चर हो, एनीमल हस्बेन्डरी हो, हरेक चीज की मार्केटिंग व्यवस्था होती है जिसके जरिये किसी भी देश के लोगों की दिलचस्पी रहती है कि इस स्कीम को किस हद तक आगे बढ़ाया जाये और उसकी कामयाबी की फाइनल शेप क्या बने। इस दृष्टिकोण से आस्ट्रेलिया में शीप और ब्रीडिंग के सारे मामले को चार पांच पैमाने पर कस कर देखें तो वहां पर इसकी सम्पूर्ण जानकारी सबको है, सब लोग इसके बुनियादी सिद्धान्तों को समझते हैं और इस दृष्टिकोण से पूरा ध्यान रखते हैं कि व्यवसाय कैसे चलाया जाये। इसका प्रमाण यह है कि आस्ट्रेलिया इतनी कम पॉपुलेशन का और इतना बड़ा मुल्क होते हुए दुनियां की ५० प्रतिशत फाइन वूल की सप्लाई करने वाला संसार में एक ही देश है। इसके अलावा इन्टरनेशनल वूल बोर्ड में इस मुल्क के लोग डोमीनेट करते हैं और सारे मामले को चलाते हैं।

वूल का उत्पादन करने के सिलसिले में मैं कुछ दो मिनट में आपसे निवेदन करूंगा। भेड़ों को चराने के सिलसिले में इस मुल्क में जो कुछ सुविधायें हासिल हैं उन बातों को देखें तो उन बातों को हमारे देश में, राजस्थान में, या कहीं भी लागू नहीं कर सकते। जैसे अभी लेण्ड देने के प्रश्न पर ५० हजार एकड़ जमीन एक आदमी अपनी शीप फार्म को बनाने के मामले में मांगता है लेकिन हमारे देश में जमीन की कमी है। हम इतने बड़े-बड़े फार्म जिस प्रकार से आस्ट्रेलिया में लोगों ने बना रखे हैं वैसे फार्म हिन्दुस्तान में या राजस्थान में नहीं बना सकते। हमारे पास जमीन की कमी है इसलिए एक्सपेरीमेन्ट के एक दो फार्म भले ही कर लें लेकिन हम इस प्रकार से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फार्म नहीं बना सकते। आस्ट्रेलिया की टोटल पापुलेशन के १५ प्रतिशत लोग भेड़ें पालने का काम करते हैं और वे लोग बहुत साधन सम्पन्न और खुशहाल लोग हैं। उनके पास में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे से छोटे फार्म १५०० एकड़ का और बड़े से बड़ा फार्म ८० लाख एकड़ जमीन का उस देश में है। जिनके पास ८० लाख एकड़ जमीन का फार्म है वह ऐसा एरिया है जिसमें सालभर का रेनफाल २।। से ३ इंच से ज्यादा नहीं होता है और इस रेनफाल में जिनके पास ८० लाख एकड़ जमीन है इसका मतलब यह हुआ कि करीब ८।। हजार स्क्वायर माइल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का एरिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि नागौर जिले का जितना क्षेत्रफल है वह उस फार्म का एरिया है और जो उस आदमी के भेड़ पालने की कैपेसिटी है वह ३५,००० भेड़ पालने की है और उसका शेयरिंग इतने बड़े फार्म के ऊपर होता है याने एक एकड़ में एक भेड़ को पालने की कैपेसिटी। ८० लाख एकड़ का इतना बड़ा एरिया होता है उसमें एक फार्म है। इसके अलावा दूसरे फार्म्स भी है और दूसरे क्षेत्र हैं कि जिन इलाकों में २०-२५ इंच बरसात का औसत है। वहां पर ऐसे फार्म्स हैं जिनका रकबा १५०० या १००० है और वहां भी ८०,००० भेड़ें पालते हैं और इस प्रकार से एक रकबे के ऊपर ५-६ भेड़ें पाली जाती हैं। और उससे ऊंचा एक फार्म ऐसा भी था जहां कि उन्होंने बहुत इन्टेन्सिव पास्चर को डेवलप किया है, ज्यादा फर्टीलाइज़र को यूज़ करके, इर्रीगेशन को यूज़ करके जितने ज्यादा पानी की जरूरत है उसको पूरा देकर और ऐसे डेवलप्ड पाश्चर के अन्दर एक एकड़ के पीछे ४० भेड़ें भी चराई जाती हैं और उनको पाल सकते हैं। तो सारी कन्डीशन्स में जहां बरसात ज्यादा है, टैम्प्रेचर ज्यादा है वहां भेड़ें कैसे पाली जायें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड पाश्चर भी हैं और कुछ कुदरतन घास और चारा पैदा हो जाता है।

ऐसे ऐसे फार्म्स जो कि बहुत बड़े-बड़े हैं वहां पर बड़ी बड़ी पाइप लाइन्स के द्वारा खारी पानी को भी ८० लाख एकड़ वाले फार्म में (हालांकि वहां पर ४०-५० कुए हैं) दो हजार मील की पाइप लाइन से एक पैंडाक से दूसरे पैंडाक में पानी पहुंचाया जाता है, विण्ड मिल हैं जो कि पानी को पम्प-आउट करती रहती हैं। चराई के सिलसिले में जो व्यवस्था है उसका इसलिए जिक्र किया कि बहुत अच्छी व्यवस्था उस मुल्क ने डेवलप की है क्योंकि वहां का एरिया ज्यादा है, लोग कम हैं, भेड़ें ज्यादा हैं, इसलिए वह पाल सकते हैं और ऐसे सैट-अप कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को जो उन्होंने चराने के सिलसिले में एडॉप्ट किया है उसको हम राजस्थान में लागू नहीं कर सकते। हमारे राजस्थान में या हिन्दुस्तान में भेड़ें पालने वाले लोगों के पास खुद की जमीनें नहीं हैं और वह ज्यादातर अपनी भेड़ों को सरकार की जमीनों के ऊपर या दूसरे लोगों की जमीनों के ऊपर पालते हैं या कुछ जंगलात के इलाकों से भेड़ों का पालन-पोषण करते हैं। इसलिए जो उनकी फीडिंग का पैटर्न है वह alosolutely हम अपने देश में लागू नहीं कर सकते हैं। हमारी भेड़ों को चराने के लिए राजस्थान में चारे की बड़ी कमी आ रही है। ज्यादा खुराक जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक उनकी पेडिग्री से उन्नत नस्ल के जानवर पैदा करके एक हद तक उनका उत्पादन बढ़ाते हैं लेकिन खुराक के मामले को हम ज्यादा नहीं सुधार सकते हैं, तो हम जानवरों को क्वान्टिटी और क्वालिटी को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो वासु कमेटी ने राजस्थान के बारे में कहा है कि किस प्रकार से लेण्ड का यूज़ किया जाये और चराई के ऊपर विचार किया जाये यह एक अलग से प्रश्न है जिसको राजस्थान को अलग से विचार करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रीडिंग के सिलसिले में वहां पर सलेक्टेड रैम्स भी पैदा किये हैं और वहां पर स्पेशलाइज्ड फार्म हैं और उनकी कीमत बहुत ऊंची है और ऐसे फार्म्स के लोग ऐसे भेड़ों को सलेक्टेड तौर पर खरीदकर लाते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बीमारियों से बचने के लिए काफी इन्तजाम फार्म्स पर कर रखा है और मार्केटिंग के दृष्टिकोण से जो तीन-चार प्रासीजर्स बहुत इम्पारटेन्ट हैं वह है प्राइमरी ग्रेडिंग फिर फाइनल वर्गीकरण। और उन बोरों को ऐग मार्क करके ऊन की गांठों को हर फार्म वाले लोग वेयरहाउसेस में ले जाते हैं और वहां पर माल जमा हो जाता है। वहां पर क्वालिटी की ऊन का कैटेलोग बनता है और तीन-चार महीने के बाद वर्ल्ड से पब्लिसिटी होती है और फिर सब लोग जिनको जिस माल की खरीद की आवश्यकता होती है वे बिड करते हैं। उन बोरों के मुंह खोल दिये जाते हैं और वहां पर बोलियां लगती हैं और जो हाइएस्ट बिडर होता है उसको माल बेच दिया जाता है और जिस प्रकार से अपने यहां पर कॉटन बुलियन मार्केट में पेमेन्ट होता है उसी तरह से वहां होता है और वह सारा का सारा मार्केट हाईली डेवलप्ड होता है जिससे ब्रीडर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में भी आज एक ऐसी स्थिति है, हमारा ऊन दुनियां के मार्केट में बिना ग्रेड होकर बिकने को जाता है और उसका नतीजा यह है कि दुनियां के अन्दर सबसे कम कीमत इन्डियन ऊन की मिलती है। हमारी ऊन का अभी तक कोई स्टेन्डर्डाइजेशन नहीं हुआ है। एक साल में हमारी अच्छी ऊन जाती है तो कीमत अच्छी मिलती है और दूसरी साल जो ऊन हमारे यहां से एक्सपोर्ट होती है उसमें ज्यादा कचरा, गोबर या बीठ मिला देते हैं तो उस साल में हमको कीमत कम मिलती है और हमारा स्टेन्डर्डाइज्ड मार्केट नहीं होने से देश को बहुत घाटा पहुंचता है। हमारे ब्रीडर्स की रेप्यूटेशन खराब होती है और मार्केटिंग करने वालों की भी रेप्यूटेशन बहुत खराब होती है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान सरकार एक ऐसी स्कीम मन्जूर कर रही है, इस एमर्जेन्सी के समय में, कि जो काफी बड़ी स्कीम है राजस्थान के लिए। हम उसको शीप एण्ड वूल इन्टीग्रेटेड स्कीम के नाम से पुकारते हैं। उस स्कीम का अर्थ यह है कि राजस्थान के अन्दर हमें ऊन का वर्गीकरण करके काम को पूरा करना है और साइन्टिफिक तरीके से पूरा करना है। वर्गीकरण शीयरिंग करने के बाद ऐग मार्का ऊन तैयार करनी है और उसका ऑक्शन प्रोपर ढंग से करना है और फाइनल मार्केटिंग करना है और इस काम को हाथ में लेकर हमने सोचा है कि इस काम को पूरा किया जाये आने वाले पांच-छः सालों में।

इसके लिए अब लोगों को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। इस काम की शुरूआत करने के लिए हमने एक स्कूल जोधपुर में चालू किया है। ३ या ३॥ महीने की प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग है और फिर उस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए……

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) ये तजुर्बे आप कभी क्लब में बता देना……

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने मेरे तजुर्बे मांगे थे, इसलिए मैंने यह सब कहा। अब दो चार मिनट में खत्म कर देता हूं। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है शीप एन्ड वूल का। उस सिलसिले में आपने तजुर्बे मांगे हैं। तजुर्बे बहुत हैं। इस थोड़े से समय में नहीं कह सकूंगा। यहां तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रेडिंग, शीअरिंग और मार्केटिंग की स्कीम राजस्थान में लागू करनी है। उस दृष्टिकोण से हमने राजस्थान को १४ जिलों

(श्री नाथूराम मिर्धा)
में बांटा है और हम हर दस माइल के अन्दर एक शीअरिंग सेंटर कायम करना चाहते हैं जहां पर सारी भेड़ों का शीअरिंग वैज्ञानिक तरीके से किया जाय। प्रिलिमिनरी ग्रेडिंग वहां पर किया जाय फिर वह सारी प्रिलिमिनरी ग्रेडेड वूल उन्हीं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर जाय जहां पर अच्छे ग्रेडिंग सेंटर हैं। वहां पर ५०–६० आदमी फाइनल इन्सपेक्टर्स हैं वे वूल को ग्रेड करवाएंगे। यह सारी डिटेल्ड स्कीम ट्रेनिंग स्कूल को दे रहे हैं और इस काम को ढाई करोड़ की लागत से राजस्थान में आने वाले पांच वर्षों में........

श्री केसरीसिंह (पाली): Point of information, क्या यह सही है कि इस स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट परसेंट पैसा देना मान लिया था, लेकिन क्योंकि राजस्थान में इस स्कीम को उस वक्त नहीं लिया, जब वह ली जा सकती थी, इसलिए सिर्फ ५० प्रतिशत मिलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं है। यह गलत है। हम कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार को एप्रोच कर रहे हैं कि आप सेंट परसेंट स्कीम को लीजिए क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं और क्योंकि इसमें राजस्थान का ही महत्व नहीं है। इसको अगर ग्रेडेड फार्म में बेचे तो उसका जो फायदा हिन्दुस्तान को होगा उसका २० प्रतिशत भी खर्चा हमारा नहीं होगा। तो इतने बड़े काम को करना राजस्थान के फाइनेन्सेज़ से बाहर है। इस बात को हमने भारत सरकार के सामने रखा है। हम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह स्कीम सिर्फ राजस्थान के कन्विन्स के लिए ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्ताना के लिए हितकर है।

राजस्थान की जो टोटल वूल है, जिसे कार्पेट वूल में कन्ज्यूम किया जाता है, यह कम्बल बनाने के काम में भी आती है। उस वूल में जिस प्रकार से हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसी ऊन का ३० प्रतिशत हमारे यार्न बनाने के काम में आएगा और ७० परसेंट कम्बल या ब्लैंकेट्स के लिए काम में आएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जैसे जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा, ऐग्रीकल्चर या एनीमल हस्बंडरी या और किसी चीज में हम लोग सीखे हैं, वे सब बातें उनके सामने बाद में रख सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of clarification, अभी आपने जो कुछ ऑस्ट्रेलिया के अनुभव बताए, और जैसलमेर के श्री सिंघानिया और राजस्थान वूलन इन्डस्ट्री की दर्ख्वास्तें हैं पेंडिंग हैं, एक ५० हजार एकड़ के लिए और दूसरी १० हजार एकड़ के लिए; उस पर जो विचार जाहिर किए, मैं उस संबंध में थोड़ा सा माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान को आप ऑस्ट्रेलिया बनाना चाहते हैं; इस बात की तो हमें बहुत खुशी है। लेकिन इसके साथ ही जहां कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि जनसंख्या का प्रेशर जितना हिंदुस्तान में है उतना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया ८० लाख एकड़ का एक फार्म अफोर्ड कर सकता है और दो हजार मील की लम्बी वाटर पाइप लाइन भी अफोर्ड कर सकता है, वहां राजस्थान के ऊन उद्योग का विकास करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी भी कोई नीति निर्धारित नहीं की कि आया ५० हजार या १० हजार एकड़ की जमीन देना चाहते हैं। उस नीति निर्धारण के प्रश्न पर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि करीब करीब समाचार है कि उनको जमीन अलॉट की जा रही है। यदि आप ५० हजार एकड़ जमीन अलॉट करें तो फिर कुछ नियम बनाकर वह अलॉटमेंट कीजिए और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं कीजिए। दूसरे लोग भी यदि इन्वेस्ट करना चाहते हों उन्हीं शर्तों पर तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ५० हजार एकड़ जमीन किसी एक व्यक्ति को, चाहे वह राजस्थान का उद्योगपति हो या हिन्दुस्तान का उद्योगपति हो, देना मुनासिब नहीं है। वहां पर यदि २॥ इन्च के रेनफाल पर सिर्फ एक भेड़ को मेन्टेन करने के लिए ८० एकड़ जमीन चाहिए तो जैसलमेर में ६ इन्च या ७ इन्च एवरेज मान लीजिए तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा ५० हजार एकड़ दो हजार भेड़ों का पालन हो सकेगा। यदि वहां पर और कुछ व्यवस्था की जाय तो ४.००० भेड़ों का पालन किया जा सकेगा तो ५० हजार एकड़ जमीन दो चार हजार भेड़ों के लिए देना मैं ठीक नहीं समझता। इसलिए इन सारे मुद्दों पर राजस्थान सरकार की नीति निर्धारित होनी चाहिए और फिर उन नियमो के आधार पर १०, २० या १०० आदमी जितने लोग आएं शीप ब्रीडिंग फार्म खोलने के लिए, सब को मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंहानियाजी मंत्री महोदय से ऑस्ट्रेलिया गए इसलिए कोई विशेष लगाव की स्थिति हो जाय। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय का सिद्धान्त यह है कि सबको मौका मिलना चाहिए। ऊन उद्योग विकास के लिए लैंड अलॉटमेंट जो है, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को फील होना चाहिये कि justice is being done.

इसलिए मैं चाहूंगा कि सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए यदि राजस्थान सरकार कोई नीति निर्धारित करे, नियम बनाएं और उसके बाद अलॉट करे। हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप १० हज़ार एकड़ या ५ हजार एकड़ नियमों के आधार पर दें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आप जब ऑस्ट्रेलिया पधारे थे, आपने जो रिक्वेस्ट वहां की सरकार को की कि हमारे शीअरिंग और ब्रीडिंग.........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो शीप ब्रीडिंग फार्म जैसलमेर में खोलने की बात है इसके बारे में मंत्री महोदय ने यह तो हमें बता दिया कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है; लेकिन पूरा निराकरण इस बात का नहीं किया कि वह किस स्टेज पर है। जहां तक हमारी सूचना है और जैसा कि हमने प्रश्न भी रखा था वह यह है कि जिस इलाके में यह ५० हजार एकड़ भूमि दी जा रही है वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले एक योजना थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी एक मिनट में जवाब आ जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा बताना पड़ेगा।

एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई योजना थी जिसमें स्टेट सेक्टर में इस प्रकार के शीप ब्रीडिंग फार्म खोलने की बात थी। हमारा यह सोचना है कि अपनी उस योजना पर विचार किये बगैर किसी भी लेवल पर उसको एक कोल्ड स्टोरेज में रख

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दें और इस तरह की बातचीत एक इन्डस्ट्रियलिस्ट से करना शुरू कर दें, यह अनुचित है।

दूसरी बात यह है कि जिस एरिया में जमीन देने की योजना बना रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पर कुछ ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं। उस पर स्टेट गवर्नमेंट का काफी खर्चा हुआ है, और उस एरिया में कुछ कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ जमीनें लेने को तैयार हैं जिसके लिए दर्ख्वास्तें उन्होंने दी हैं और वे चाहते हैं कि उनको वह जमीन एलाॅट हो जाय। उसमें पानी वगैरह पहले से ही मौजूद है तब यह श्री गोपाल सिंहानिया साहब जो कि काफी बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट है, पाइप लाइन वगैरह अपने खर्चे से डलवा सकते हैं, उनसे इस एरिया को इयरमार्क करने की बात की जा रही है, तो यह कहां तक उचित बात होगी ?

तीसरी बात, जो श्रीगोपाल सिंहानिया को ५०००० एकड़ देने की बात की जा रही है, तो अभी तक उनसे किस प्रकार की शर्तें तय की गई हैं या स्टेट गवर्नमेंट किस बेसिस पर उनको देना चाहती है ? अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार इस प्रकार की आपकी योजना की कोई बात नहीं है कि उनको फेसिलिटीज़ किस किस्म की दी जाय। आप कोई कन्डीशन इस प्रकार की रख रहे हैं कि राजस्थान में वे कोई फैक्ट्री लगायेंगे जिसमें कि वीविंग वगैरह का काम इस तरह का करेंगे ? यहां के राॅ मेटीरियल, ऊन, से अपने रेमन मिल्स को फीड करेंगे। इसके द्वारा राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन का बहुत बड़ा बेसिस हो सकता है उस बात को फाइनेलाइज़ किया जा रहा है ?

चौथी बात, गवर्नमेंट की अपनी पालिसी तय किये बिना ही मिनिस्टर महोदय, एक इन्डस्ट्रियलिस्ट के साथ गये और यह मेरे ख्याल से आज सही नहीं हो और सही भी हो कि उस इन्डस्ट्रियलिस्ट ने अपनी तरफ से भेजकर इन्वीटेशन मंगवाया, जहां तक मेरी जानकारी है डाक के जरिये इन्वीटेशन गवर्नमेंट के पास नही आया, वे इन्डस्ट्रियलिस्ट बाई हैण्ड इन्वीटेशन लेकर आये है— और उनके साथ आप गये और दौरा कर आये बगैर कोई शर्त या बातचीत हुए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : एक बात स्पष्ट कर दूं कि हाथ से इन्वीटेशन लाने वाली बात गलत है। यहां पर आस्ट्रेलिया वूल ब्यूरो के मि० हाॅपकिन्स दौरे पर आये थे और वह रिक्वेस्ट करके गये थे और हाई कमिश्नर या दूसरी तरफ से भी बात आई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब स्टेट गवर्नमेन्ट की कोई पाॅलिसी तय नहीं हुई, कोई बेसिस तय नहीं हुआ, एक आदमी जिस ने एप्लाई किया हुआ है, एक इन्ट्रेस्टेड पार्टी थी, उसके साथ हमारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस तरीके से दौरे पर जायं तो जायज तौर पर दूसरे नागरिकों को भ्रम पैदा होता है सामान्य तौर पर जो कि रीज़नेबल है, कि इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की प्रेजुडिस्ड ओपीनियन बन चुकी है, इन्ट्रेस्टेड ओपीनियन बन चुकी है एक पर्टीक्यूलर व्यक्ति के बारे में और जिससे कि गलत, अनुचित, धारणा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सामान्य न्याय के बारे में बन चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक–दो बातें मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा; एक तो सिंहानिया से अभी तक गवर्नमेंट ने कोई कमिटमैंट कर लिया है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह आता है कि जब कि उस क्षेत्र में शीप-ब्रीडिंग फार्म की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है, उनके पास भेड़ें हैं और भेड़ों की जिस प्रकार की प्रगति आप चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं तो एक व्यक्ति को इतना बड़ा फार्म देने के बजाय कोआॅपरेटिव बेसिस पर इस प्रोग्राम को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हैं।

तीसरा यह है कि जिस समय यह जमीन दी जायगी उस समय सरकार सदन को कान्फीडेन्स में लेने को तैयार है कि सदन को कान्फीडेन्स में लेकर इस प्रकार का डिसीज़न लिया जायगा ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आॅस्ट्रेलिया का जो विशाल अनुभव किया है उस अनुभव के बेसिस पर वे इस नतीजे पर अवश्य पहुंच जाते हैं कि राजस्थान को आॅस्ट्रेलिया नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा निवेदन यह था कि राजस्थान में मौजूदा स्थिति में जितनी भेड़ें हैं वे भी लाखों की तादाद में हैं। वे बात करते हैं कि एक भेड़ को आॅस्ट्रेलिया में इतना टाइम दिया जाता है, एक भेड़ की खुराक पर आॅस्ट्रेलिया पर इतना खर्च होता है तो जो खर्चा उन भेड़ों पर किया जाता है आउटपुट आॅस्ट्रेलिया की भेड़ उतना देती है। यहां राजस्थान में गांवों में लोगबागों के पास एक एक के पास हजारों की तादाद में भेड़ें होती हैं। उससे ऊन का उत्पादन करते हैं और राज्य सरकार की ओर से एक पैसा नहीं दिया जाता है। वे अपनी तरफ से पैसा खर्च करते हैं और उन से ऊन कितना पैदा होता है और उससे कितनी आमदनी होती है, उस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने कभी विचार किया है क्या ? यदि नहीं किया है विचार तो एक फार्म पर हजारों एकड़ जमीन दी जायगी तो किस प्रकार इस स्कीम को सरकार आगे चलाना चाहती है आगे बढ़ाना चाहती है इस दृष्टिकोण से विचार किया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके साथ गये और वे इन्ट्रेस्टेड हैं। साथ तो हवाई जहाज में वे भी बैठे थे हम भी बैठे थे। हम वूल बोर्ड की तरफ से गये थे जिसने कि हमको निमन्त्रण दिया था। वह इन्वीटेशन नोर्मल वे में नहीं आया था बल्कि वे हाथों-हाथ लेकर आये थे, यह गलत है। हमें तो पता ही न था कि वे भी जा रहे हैं, कम से कम मुझे तो पता नहीं था।

श्री रामकिन (वैर): अचानक मिल गये थे क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दिल्ली में साथ हो गया था तो इससे सारा कयास लगा लिया। पूंजीपतियों से आपकी नाराजगी है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बहुत ज्यादा तो आप कह लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकी का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। इन्ट्रेस्टेड हैं तो इतना है जितना कि हिन्दुस्तान का एक नागरिक हिन्दुस्तान के लोगों की बहबूदी के लिए। अगर उसके लिए कोई दिमाग रखता है, कोई योजना रखता है उसके प्रति इस प्रकार का सवाल उठाया जाय कि वह भूमि सहकारी समितियां बनाकर दे दी जायं, यह प्रश्न नहीं है। मैंने जो कहा उसमें या तो क्लेरिटी नहीं हो पाई है। यह जो दो लोग सामने आ रहे हैं वे एक फार्म बनाकर भेड़ें पालकर, ऊन का उत्पादन करके, फैक्ट्री के सप्लाई करने के दृष्टिकोण से नहीं आ रहे हैं। अपना कोई फायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से नहीं आ रहे हैं। फण्डामेन्टली एक एप्लाइड रिसर्च के काम के लिए इस फार्म के बारे में बात करने का दृष्टिकोण है। कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इस फार्म में रखकर पैसा इन्वेस्ट करके इन्डियन मेरिनो पैदा करने की उनकी कल्पना है कि इन्डियन मेरिनो भी बनाई जा सकती है। और वह साइट है जहां बहुत अच्छी मेरीनो बन सकती है। वहां की भेड़ो से इन्डियन भेड़ों को क्रोस किया जाय और क्रास ब्रीडिंग को रेग्यूलर्ली डेवलप किया जाय तो मैंने कहा कि फार्म्स के पीछे जो दिमाग है वह प्रोफिट का दिमाग नहीं है कि इतनी जमीन को कब्जे में करके एक बिजनसमैन करोड़ों रुपये आसानी से कमा सकता है। वह रिसर्च की बात कहकर भेड़ों की नस्ल को ऊंचा बनाने की बात राजस्थान में करके देश के हित में इन्डस्ट्री का बड़ा काम करना चाहता है। तो एक पैसों वाला आदमी इस काम को करे तो इतना प्रजुडिस हो जायं कहने के लिए, पचासों तरह की बात कहने लगें, तो मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है। वह दृष्टिकोण अपनाना होगा कि राजस्थान की बहबूदी के लिए, हिन्दुस्तान की बहबूदी के लिए कर रहे हैं। आप लोगों की चर्चा से वे इतना चौंक गये थे कि पहले जो बात कर रहे थे वह बात उन्होंने बन्द कर दी है। कोई बड़े भारी इन्ट्रेस्टेड हों।

श्री रामकिशन: आप तो कह रहे थे कि अचानक मिल गये।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप सारे मौके को समझिये और टाइम को समझिये। बहुत समझदार हैं, वह ऐसी क्या बात है। मैं आपको कह रहा था कि उन्हें कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी है और करोड़ों रुपये भेड़ पालकर कमा सकते हैं ऐसी बात नहीं है। पूंजीपति समझते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं, कहां से कमाते हैं, भेड़ के मीगणे उठाने यहां कौन आयेगा? लेकिन वह चाहते हैं कि कुछ रिसर्च करके कुछ कॉन्ट्रिब्यूट कर सकें और देश का भला कर सकें। ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि हमीं हैं हिन्दुस्तान का भला सोचने वाले। पैसे वाले भी भला करने वाले हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं अमीर भी हो सकते हैं। इसलिये नियम बनाकर सब लोगों को जमीन देने की बात मैंने पहले ही कही थी कि हमारे पास बहुत कम जमीन है, सब को नहीं दे सकते। लेकिन रिसर्च के लिये बड़ा काम करके हिन्दुस्तान का और राजस्थान का भला करना चाहते हैं तो यह वाजिब था कि किसी तरह से दी जा सके। जैसे आपने कहा कि कैसे दी जाय, काम में नहीं आयेगी तो कैसे रिवर्सन होगा ये सब बातें सोची जा सकती हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा उसके बारे में यह निवेदन है कि ट्यूबवेल के लिये बोरिंग १००० मील के एरिया में चल रहा है। अब तक १४ ट्यूबवेल कामयाब हुए हैं। ३०-२५ ट्यूबवैल्स बोर किये उनमें से १४ कामयाब हुए हैं। कामयाब के माने हम कामयाब उनको मानते हैं जिनसे २० हजार गैलन ऊपर पानी डिस्चार्ज हो। उनकी मांग है कि उस एरिया में जहां ५०,००० एकड़ जमीन उनको मिलने की है उसमें केवल ४ ट्यूबवेल आते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये चार ट्यूबवेल देंगे तो उनका उपयोग करेंगे। बाकी ट्यूबवेल्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमीन एलॉट की है। ५०-५० एकड़ का टुकड़ा एक एक फेमिली को एलॉट किया गया है। एक एक ट्यूबवेल मे इरिगेशन के लिये काफी पानी है। बीच में इसको रोका गया था लेकिन अब वापिस चालू करने के ऑर्डर्स कलेक्टर को दिये हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पजेशन ले लिया है। पानी देने की व्यवस्था हमने करदी है। इसलिये वेल के युटिलाइजेशन का जहां तक प्रश्न है, हमने लिन्क नहीं रोका। इस जमीन को चालू करने के लिये दूसरे ट्यूबवेल नही लेंगे। जो ट्यूबवेल फार्म मे आते है वे ही उसमे रह सकते हैं। उनके साथ क्या एग्रीमेन्ट होगा क्या नहीं यह आगे की बात है। ऐसा नहीं होगा जिससे राजस्थान की जनता को और माननीय सदस्यों को एतराज करने की जरूरत हो। वैसे हमेशा हम हाउस को कोन्फीडेन्स में लेने की कोशिश करते हैं, इसमें भी लेंगे।

एक प्रश्न यह उठाया था कि वे भेड़ें देने को ना कर गये। उन्होंने कोई ना किया, न हां किया, न कुछ कहा। यह एक गुत्थी है जो अपने तरीके से सुलझेगी। शायद वे भेड़ें आ सकें और राजस्थान में रिसर्च हम कर सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके डिपार्टमेन्ट की योजना के बारे में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जैसा कहते हैं वह कल्पित योजना है। हमारी कोई योजना भेड़ फार्म के लिये न थी न है। हमारे फार्म छोटे स्केल पर होगे। दो तीन फार्म्स हमने रखे थे। हमारे यहां ८ ब्रीड्स भेड़ो की है उनमें से तीन के बने हुए हैं तीन के लिये और रखा था लेकिन कोर ग्रोफ प्लान हो जाने से फार्म की योजना कट गई है। वह फार्म बनाने की जरूरत नहीं है क्योकि पोकरन में पहले ही है। वह काट कर बनाने की योजना हो, ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं।

(४.२४ म. प.)

श्री हरिदेव जोशी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से दो-तीन दिन पहले, जब कि मैं यहां पर नही था, मेरे बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : On a Point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में स्पष्टीकरण करना चाहते हैं वह प्रश्न एक जमीन पर उनके अधिकार सम्बन्धी मामला है। जिस समय मैंने बात कही थी, माननीय मुख्य

Page No 47

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जांच की जायगी और जांच से यदि अनाधिकार कब्जा पाया गया तो उस जमीन को छुड़वा लिया जायगा। यह मामला अंडर इन्क्वायरी है। मुख्य मंत्रीजी ने इन्क्वायरी अभी तक समाप्त नहीं की है क्योंकि यदि समाप्त करते तो समाप्त करने से पहले जिसने एलिगेशन लगाया है उससे, यानी मुझसे पूछते और रिजल्ट सदन में बताते। इससे मैं समझता हूं कि इन्क्वायरी अभी तक समाप्त नहीं हुई है, चल रही है। कब्जे का प्रश्न डिस्प्यूटेड नहीं है। कब्जा किस प्रकार किया है यह अंडर डिस्प्यूट है। इस सम्बन्ध में इनका स्पष्टीकरण नहीं आ सकता। स्पष्टीकरण वे करना चाहते हैं जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मुख्य मंत्रीजी उनके सबोर्डिनेट हैं। इसलिये सबोर्डिनेट होने के नाते उनका हैड जो स्टेटमेन्ट देगा वह उन पर बाइन्डिग होगा। इसलिये वे इस समय स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय जो कुछ कहा था वह यह कहा था कि यदि अनाधिकृत कब्जा है तो नहीं रहेगा। वे स्वयं यहां नहीं थे, मैं नहीं समझता कि उनको स्पष्टीकरण करने का अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपको प्रभावित करेगा।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था और श्री हरिदेव जोशी जो कुछ कहेंगे उसका प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। सरकार क्या स्टेप लेगी, क्या नहीं; यह मुख्य मन्त्रीजी के देखने की बात है। इनका स्टेटमेन्ट न गवर्नमेन्ट पर बाइडिंग है न माननीय सदस्यों पर।

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेन्ट पर बाइन्डिग है क्योंकि चीफ मिनिस्टर इनके सबोर्डिनेट हैं। इनकी पार्टी का नेता या हैड किसी प्रकार का कमिटमेन्ट करता है तो वह चीफ मिनिस्टर पर बाइन्डिग होगा और यदि उन पर बाइन्डिग नहीं होगा तो सी. एम. में और पार्टी के हैड में कोन्ट्रोवर्सी होगी और वह बढ़ेगी और उसमें जो औरगेनाइजेशन के हैड हैं उनकी स्थिति मजबूत होगी इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इनका स्टेटमेन्ट किसी प्रकार से गवर्नमेन्ट की इन्क्वायरी को प्रभावित करता है। इस समय किसी ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेन्ट नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति जांच करने वाले का हैड हो। इसलिए इसकी जरूरत इस समय नहीं है। कब्जा है उसके बारे में डिस्प्यूट नहीं है, कब्जा अनधिकृतरूप से किया गया है इस सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई स्टेटमेन्ट देना चाहते हैं तो भले ही दे सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं सदन मे नहीं था और मेरे बारे में कुछ बातें कही गई। मैं आज भी वही बातें कह रहा हूं जो उस दिन मैं यहां होता तो खड़ा होकर कहता। जैसा कि मैंने सुना है जयपुर के माननीय सदस्य ने यह कहा कि सांसी और कंजरों के लिए दी गई जमीन पर मैंने नाजायज कब्जा कर लिया और इस प्रकार से बेजा फायदा उठाया। और मैंने सुना कि माननीय मुख्य-मन्त्रीजी ने यह कहा कि यदि मेरा कब्जा नाजायज है तो वह कब्जा नहीं रहने दिया जायगा। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि

(श्री हरिदेव जोशी)

यदि मेरा कब्जा जायज है और यह बात यदि माणकलालजी वर्मा कह देते हैं कि वह नाजायज नहीं है तो वे इस बात को स्वीकार कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे क्या है इन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, किन्तु जो कोई तथ्य हैं उन तथ्यों को सामने रखदूं यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डिटेल्स में जावें तो ज्यादा अच्छा रहे, पता तो लगे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सन् ५१-५२ में कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, जिसका मैं भी सदस्य था। उसके लिए राज्य सरकार ने १५० बीघा जमीन इस आधार पर दी कि ९० बीघा चार कार्यकर्ताओं को दी जायगी और ६० बीघा उस संस्था को, जो उस समय के कार्यक्रम के अनुसार एक छात्रावास चलायेगी भो तथा जिसकी निर्धारित प्रवृत्तियाँ होंगी। सन् ५२-५३ में एक श्री कल्याणजी विद्यार्थी थे उनको ९० में से ३० बीघा संस्था ने एलॉट की और उस पर उन्होंने खेती करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद श्री कल्याणजी ने इम्प्रूवमेन्ट किया और आज तक उस पर खेती करने, काम करते चले आ रहे हैं।

उसके बाद श्री रामेश्वर पारीक एक कार्यकर्ता थे उनको २० बीघा जमीन दी गई। उन्होंने उस पर खेती करना शुरू किया और धीरे-धीरे उन्होंने इम्प्रूवमेन्ट शुरू किया। सन् ५८-५९ में श्री रामेश्वरजी पारीक संस्था से अलग हो गए और वे यहां से जाना चाहते थे। स्थिति यह पैदा हुई थी कि श्री रामेश्वर पारीक ने उस जमीन पर कुछ खर्चा किया था इम्प्रूवमेन्ट पर, लेवलिंग पर। संस्था का कुछ उनसे लेना था। दूसरी प्रकार से मुझसे भी वह था। श्री रामेश्वरजी मुझसे चाहने लगे कि मैं उस जमीन को ले लूं। मैंने उस समय उचित नहीं समझा। जो मुझे उसे लेना था, संस्था को लेना था वह उसी प्रकार चलता रहा। उसके बाद कुछ उनकी स्थिति ऐसी थी जो तत्काल छोड़नी थी। हमने पूरी संस्था के लोगों ने बैठ कर सोचा कि क्या तरीका निकाला जाना चाहिए। बैठक में मुझसे कहा कि जो मैंने चुकाया है उसका वो करना चाहिए २० बीघा मुझे १८००) रु० में देनी थी। २० बीघा मुझे देकर १८००) रुपये कल्याणजी को दिये। न रामेश्वरजी को कुछ करना था न संस्था ने जो कुछ किया बल्कि यह चाहा कि १८००) रु० में इस जमीन का मैं वो करूं। संस्था ने मुझे एलॉट करने के लिए सरकार को लिखा और रामेश्वरजो पारीक ने मुझ को यह लिखा।

अब रहा सवाल यह कि मैंने अनधिकृत ढंग से कब्जा किया। मैंने न तो चाहा कि कब्जा करूं, दो वर्ष तक टालता रहा लेकिन मई, १९६२ में आखिरी तौर पर संस्था ने यह फैसला किया कि यह जमीन मुझे देकर सारा कर्जा बेबाक कर देना चाहिये। तब कहीं जाकर मैं पिक्चर में आया।

अब रहा सवाल यह कि मुख्य-मन्त्री जी ने कहा कि मैंने नाजायज कब्जा किया है तो मैं वो कर लूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं पैदा होता, न मैं नाजायज तौर पर लेना चाहता हूं और न मेरी तमन्ना है काश्त करूं।

(श्री हरिदेव जोशी)

अब रहा सवाल कि माणिकलालजी वर्मा कोई वर्डिक्ट देंगे तो वह मेरे लिए मान्य होगा या नहीं, यह अलग प्रश्न है। पर कम से कम भैरोंसिंहजी तो मान ही लेंगे उसको।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि मुझे किनकी बात वर्डिक्ट के रूप में स्वीकार होती है और किनकी नहीं, यह तो आम तौर पर समझा जा सकता है। माणिकलालजी वर्मा मुझे यह राय दें कि अमुक काम नहीं करना है मुझे, तो मेरे लिए यह मान्य है ही है, पर उनके लिए तो यह राजनैतिक तौर पर सूट करता है कि मेरे लिए यह चर्चा करें इनडाइरेक्टली कि शायद माणिकलालजी वर्मा भी यह मान रहे हैं कि मैंने नाजायज कब्जा कर रखा है।

मैं पुलिस में लैफ्ट-राइट करता हुआ नहीं आया यहां पर कि जिसके लिए माणिकलाल वर्मा, थानेदार या किसी एस. पी. का वर्डिक्ट होगा।

तो मैं एक निवेदन कर दूं अध्यक्ष महोदय, कि अगर मैं बीस बीघा जमीन जयपुर की कोई लेना चाहता तो बहुत आसानी से ले सकता था। मेरे को कोई दिक्कत नही आती। इतना तो माननीय सदस्य स्वयं खूब अच्छी तरह समझते हैं कि यहां जमीनें जैसे और लोगों को मिलती हैं अलॉट होती हैं उसी तरह मुझे भी अलाट हो सकती थी। जैसा कि माननीय सदस्य इधर-उधर जमीनें लेते हैं, मैं भी ले सकता था। मुझे इसमें दिक्कत नहीं आ सकती थी।

पर उन्होंने एक प्रकार से मुझे 'Hit below the belt' करने की कोशिश की है और वह केवल राजनैतिक कारणों से करने की कोशिश की है और मैं समझता हूं मुझे भी इसमें कोई मुगालता नहीं होना चाहिए, और न है ही। मैं उस वक्त हो समझ रहा था कि जब मैंने जनसंघ के माननीय नेता के लिये सदन में कुछ अकाट्य चीजें कहीं। उनके कहने के बाद में मेरे दिमाग में यह बात थी कि कोई बड़ी चीज पब्लिसिटी के पोइन्ट ऑफ़ व्यू से यहां आवेगी।

तो अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने बातें सदन में बाद में कही और मुख्य मन्त्रीजी ने कहीं उनके बारे में मेरा कहना यही है कि मैं उन दोनों चीजों को स्वीकार करता हूं। अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस नतीजे पर निकलें कि मैंने कानूनी तौर पर ही नहीं, मोरली भी अगर कोई गलती की है इस मामले में, कोई गलत ट्रान्जेक्शन हुआ है तो मैंने जो इम्प्रूवमेंट उस जमीन पर किया है उसका कन्सीडरेशन तक नहीं करते हुए मैं उसको फोरगो कर दूंगा। मैं यह इसलिए कहता हूं कि मेरा गिल्टी कॉन्शयस नहीं है और न मैं वह करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी जिन्दगी एक अमुक प्रकार से शुरू की है और मैं उसी प्रकार से उसका अन्त करना चाहता हूं। मैंने कोई नौकरी करते हुए असेम्बली की कुर्सी को चमकदार नहीं देखा है कि जिसको देखकर मैं यहां चला आया होऊं। इसलिये मैं बहुत एम्फेटिकली सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि अगर श्री माणिकलालजी वर्मा या मोहनलालजी सुखाड़िया, चीफ मिनिस्टर ही क्या, कोई भी अधिकारी व्यक्ति यह कह दे कि मैंने कोई गलत ट्रान्जेक्शन किया है, कोई गलत ढंग से नाजायज कब्जा उस पर कर लिया है, नाजायज तौर पर कर लिया है तो

(श्री हरिदेव जोशी)

मैं उसे फोरगो कर दूंगा। पर जो प्रचार गलत ढंग से किया गया है उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सारा स्पष्टीकरण हो जावेगा, एक थोड़ी सी बात मैं पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर कह दूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : थोड़ा स्पष्ट हो जायगा। माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि इस जमीन को उन्होंने खरीदा है या एक संस्था के वॉलन्टरी वर्कर के नाते, उस संस्था के जिसके अध्यक्ष हैं, उसके नाते उनको अलॉट हुई है। इस चीज का थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उस संस्था का न अध्यक्ष हूं और न उस संस्था की जमीन ली है मैंने। गलत बताया है आपने। आप गलत बताकर सदन को मिसलीड करना चाहते हैं। आप शायद इस भ्रम में हैं कि यह जमीन विमुक्त जाति सेवक संघ की दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने इसे वॉलन्टरी कार्यकर्ता के रूप में ली है।

श्री हरिदेव जोशी : यह गलत है, बिलकुल गलत है, अध्यक्ष महोदय। मेरा उस संस्था की जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप फिर सिर्फ इतना बता दें कि यह जमीन आपने खरीदी है या उस संस्था के वॉलन्टरी वर्कर के रूप में अलॉटमेन्ट में ली है?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष मोहदय, मैंने तथ्यों को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किन स्थितियों में इस जमीन को मेरे लिए वो किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप में यह पूछा है। वे 'हां' या 'ना' में सीधा जवाब दें कि आया यह जमीन उनको वॉलन्टरी वर्कर के रूप में मिली या खरीदी? अगर उनका जवाब स्पष्ट मिलता है तो मैं अभी कन्विन्स करता हूं उनको कि अनधिकृत रूप से ली है उन्होंने यह जमीन। या फिर वे कह दें कि खरीदकर ली है?

श्री अध्यक्ष : कन्विंस करने की बहस तो इस समय हो नहीं रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण जो सामने आना चाहिए वह आया नहीं है। 'हां' या 'ना' में वे जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो मुद्दे की बात है उसे वे चबा गये। वे बातें तोड़-मरोड़ कर न कहें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा है कि उस संस्था को लेना था अमुक व्यक्ति से जिसकी जमीन है और उससे उनको भी कुछ लेना था तो संस्था की और उनकी दोनों की लायबिलिटी इन्होंने अपने पर ले ली और उसके कन्सीडरेशन में लैंड ले ली।

श्री भैरोंसिंह : वह दे नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : इसकी बहस अभी नहीं कर सकते हम। आपको कोई ऐसी बात कहनी हो तो मुख्य-मन्त्रीजी से कह दें। सदन के समक्ष तो एक बात थी, एक बात एक सदस्य ने कही, आक्षेप एक पर लगाया, जिसका निराकरण दूसरे ने किया तो यहां तो केवल स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इसी स्पष्टीकरण के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। वे थोड़ा और स्पष्ट कर दें इस बात को कि १८००) रुपयों के एवजाने में यह जमीन मिली उनको या खरीदी गई, इस रकम के एवजाने में या वॉलन्टरी वर्कर के रूप में दी गई है। ये 'हां' या 'ना' में बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि किस पृष्ठभूमि में मुझे कहा गया और किन परिस्थितियों में मैंने इसे लेना स्वीकार किया है कि यह जमीन मुझे दी जावे।

श्री भैरोंसिंह : वॉलन्टरी वर्कर के नाते दी जावे या १८००) रु. के एवजाने में ?

श्री हरिदेव जोशी : संस्था ने मुझे दी है यह जमीन, यह मैं स्पष्ट कर चुका हूं ऊपर और यह भी कह चुका हूं कि किन परिस्थितियों में संस्था ने लेने के लिए कहा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, whether the land has been purchased or it has been allotted to you as a worker.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सब बहस से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं........

श्री अध्यक्ष : नतीजे पर पहुंचना नहीं है यहां हमें।

श्री भैरोंसिंह : नतीजे पर तो पहुंच गए है कि उनको यह अलॉट नहीं हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बहस हम चाहे जैसे करते रहें, पर इससे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता इस समय और न यह समय इसके लिए उपयुक्त ही है व न अधिक क्लैरिफिकेशन की ही आवश्यकता है। सिर्फ क्लैरिफिकेशन उनको करना था क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उन पर कुछ चार्ज लगाये गये थे और वह उन्होंने कर दिया। अब वे कोई मुलजिम के तौर पर तो यहां हैं नहीं। जितना वे उचित समझते थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब ये सारे लोडेड क्वेश्चन्स हैं इनका निर्णय 'हां', 'ना' में यह सदन नहीं कर सकता व न यह उपयुक्त ही है। अब माननीय सदस्य ने तथ्य रक्खे हैं सदन के सामने, उनका जैसा भी उपयोग आप करना चाहें करें। पर सदन में किसी नतीजे पर पहुंच जावें, यह हमारा ध्येय नहीं है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय.....

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसका सदस्य भी नहीं था, वे कहते है सदस्य भी हूं।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : अब तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ हो गया।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने स्पष्टीकरण में यह कह दिया कि कोई माननीय सदस्य नौकरी करते हुए विधान सभा के सदस्य हो गये, यहां की कुर्सी को चमकदार समझकर; इसका तो चेयर पर डाइरेक्ट असर आता है। इसलिये वे अपने इन शब्दों को वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : अगर असर आता है तो आप भी उसके लिये जिम्मेदार हैं ?

(४. ३९ म. प.)

राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र-निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ पर विचार

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र-निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ के प्रारुप को, जो दिनांक १६ मार्च, १९६३ को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

बहस प्रारम्भ हो, उससे पूर्व मैं माननीय सदस्यो से एक निवेदन कर दूं कि आज चर्चा का विषय सीलिंग हो, न हो, सीलिंग का कानून जो सदन ने पास किया है उसमें हेर-फेर किये जायं, न किये जायं, इन सैद्धान्तक बातों पर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे सामने केवल नियम हैं और उन नियमों के बारे में माननीय सदस्यों के क्या विचार हैं, उस तक अगर माननीय सदस्य अपने भाषण सीमित रखें तो सरकार को मार्ग-दर्शन मिल सकता है और बहस का अच्छा उपयोग किया जा सकता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर माननीय सदस्य ज्यादा समय न लें से ज्यादा और दस-बीस मिनट तक भाषण को सीमित करें तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोल सकेंगे और उनके विचारों को सरकार को अच्छी प्रकार मे सुनने की आसानी हो सकेगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग का महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय, मैं समझता हूं, इस सदन के समक्ष आखिरी बार आ रहा है । हमारे दल के इस सम्बन्ध में कैसे विचार हैं, उन विचारों को ही संक्षेप में मैं व्यक्त करना चाहूंगा, खास करके उस सम्बन्ध में मैं अपने विचारों को सदन के समक्ष रखने का साहस करूंगा कि इन मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार से हमारी पार्टी का क्या मतभेद है । अध्यक्ष महोदय, हम चाहते है कि सबको भूमि मिले । अवश्य मिले । भूमिहीनों को भूमि दी जाय । लेकिन सरकार कहती है कि हम यथासम्भव सभी भूमिहीनों को भूमि देकर रहेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का यह कहना है कि यदि भूमि दो जाय तो वह भूमि इकोनोमिक होल्डिंग के रूप से दी जाय । यदि वह इकोनोमिक होल्डिंग नही है, यदि इतनी भूमि पर्याप्त रूप से नहीं है कि जिसको प्राप्त करने के बाद खेती नफे से, फायदे से कोई व्यक्ति कर सके तो टोटे की खेती करना, मैं समझता हूं, कि टोटे का व्यापार, घाटे का धन्धा करने से भी कई गुना बदतर घन्धा है । सरकार को इस सम्बन्ध में यह विचार करना चाहिये कि क्या भूमिहीनों को वह पर्याप्त रूप से भूमि दे सकती है कि जिसके द्वारा भूमिहीन उस भूमि को प्राप्त करके अपने जीवन को ऊपर ला सके, प्रोसेस ऑफ लेवलिंग अप् है ? अगर है, और प्रोसेस ऑफ लेवलिंग अप् है तो हम समझ सकते हैं । यदि ऐसा सफलतापूर्वक करने में सरकार को कोई शंका है तो सरकार को यह परमावश्यक है कि इस सम्बन्ध में उसे निर्णय लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी लेना चाहिए कि क्या किया जाय । अध्यक्ष महोदय, दक्षिण राजस्थान, जहां से कि मैं आता हूं, वहां पर आदिवासियों की, भीलों, मीणों आदि की संख्या बहुतायत से है । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को

Page No 53

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

रिपोर्ट के सम्बन्ध में, हर परिवार की एवरेज होल्डिंग, औसत भूमि हर परिवार के पास कितनी है—मैं यह उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि बांसवाड़ा में हर एक परिवार के पास भूमि ४.४५ एकड़ अर्थात् लगभग १२ बीघा, डूंगरपुर में हर परिवार के पास औसतन ४ एकड़ अर्थात् लगभग १० बीघा, वैसे ही सिरोही में हर परिवार के पास औसतन भूमि ६. ५७ एकड़ अर्थात् लगभग १६ बीघा है। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े वास्तविकता से परे हैं, इन आंकड़ों में तथ्य नहीं है। एवरेज होल्डिंग, औसतन हर एक परिवार के पास जो जमीन है इस क्षेत्र के अन्दर वह मेरे ख्याल से बहुत कम है। और यदि भूमिहीनों को आप यहां पर कुछ भूमि देने की व्यवस्था भी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को यहां पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आप लें। चार लाख जन संख्या के अन्दर दो चार व्यक्तियों के ऊपर सीलिंग लगा कर यदि भूमि लें तो आप लें। लेकिन आप स्वयं सोच सकते हैं कि वह भूमि कितने परिवारों के बीच में वितरित हो सकती है। तो इस वजह से प्रोसेस ऑफ लेवलिंग के बारे में अपने विचार व्यक्त करूं, मैं समझता हूं, यह परमावश्यक है। इस सम्बन्ध में यदि आप भीलों के जीवन में, नंगे भूखे किसानों के जीवन में कुछ हद तक खुशहाली लाना चाहते हैं तो उनको खेती से हटा कर और कुछ धन्धा भी आपको बताना होगा। आप मछली पालन के सम्बन्ध में उनको कुछ न कुछ रूप से शिक्षा दें। हरएक गांव के अन्दर जो मछलियों के गहरे गड्ढे या तालाब बनायें और वहां पर यदि ठेका नहीं दें तो मेरे ख्याल से उनकी कुछ खाद्य समस्या सुलझ सकती है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अगर हम मछली मारना सिखा देंगे तो चुनाव में क्या बीतेगी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने मछलियां मारने के विषय में चुनाव में अवश्य कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने मछलियां मारने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह खास कर इस मुद्दे को लेकर कहा, मछलियां मारने के जो भीलों, मीणों, आदिवासियों के हकूक सदियों के हैं, उनको आप जरूर रहने दीजिये, वहां पर ठेका मत दीजिये। आपने ठेका देना शुरू किया और उन गरीब मीणों, भीलों और आदिवासियों के लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न की है। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कहीं मंदिर है वहां पर मछलियां मारने का ठेका दिया जाय। लेकिन मैं सरकार से अवश्य निवेदन करूंगा कि मछलियां भीलों और मीणों को अति प्रिय हैं। वह मछलियों को महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ मानते हैं। तो मछलियों के सम्बन्ध में उनको प्रोत्साहन दिया जाय और मुर्गी पालन के सम्बन्ध में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। पशु-पालन के सम्बन्ध में यदि कोई योजना बनायें तो मेरे ख्याल से भीलों के लिए हितकर होगी। उनको हल्ले पर लगने के लिए भी आप प्रोत्साहित करें। जो टीमरू और खजूर है, वहां कोई न कोई स्पेशल टीमरू का काम खोलने के लिए टीमरू खजूर का ट्रीटमेंट करें, जिसके द्वारा खजूर की गुठली छोटी और खजूर की मिकदार बढ़े, इसी तरह टीमरू की भी मिकदार बढ़े। अगर आप खजूर का ठेका देते हैं और खजूर के लिये यह कहते हैं कि खजूर के रस से शक्कर बनाई जावे तो मेरे खयाल से यह सर्वथा अनुचित होगा। यह खजूर भीलों की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खास खुराक है और फसल है और अगर आप इसका ठेका देते हैं तो भील और मीनों की रोजी रोटी में आप फर्क लाते हैं। जैसे बेरों के कलम चढ़ा कर आप बेरों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और उत्साहित करना चाहते हैं, उसी तरह से मेरा निवेदन है कि आप टीमरू और खजूर के सम्बन्ध में भी कोई योजना करें। इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा कि हर एक भील के मकान पर चार चार नीम्बू लगाने की व्यवस्था करें....

एक माननीय सदस्य : आप नियमों के सम्बन्ध में कह रहे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नियमों के सम्बन्ध में मैं देरी से कहूंगा। यदि आप process of levelling up के लिये जो कुछ भी योजना हो उसको जस्टीफियेबल मानते हैं, आप corresponding process of levelling down पर कोई भी विचार नहीं करते तो आप लावें और अवश्य लावें, मैं इसके संबंध में 'ना' नहीं कहता, लेकिन मेरे खयाल से जो कुछ भी योजना कर रहे हैं वह distribution of poverty है, distribution of prosperity नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्लम्ब्स पैदा होते हैं। यहां पर आप पश्चिम में जावे, क्या गोगुन्दा, क्या गिरवा, क्या गोतड़ा आदि में प्लम्ब्स को लगाने के सम्बन्ध में विचार करें और इन सब चीजों के लिये मार्केटिंग की सुव्यवस्था करें तो मेरा खयाल है कि भील और आदिवासियो का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आदिवासियों को राहत मिले तो उनको लकड़ी जंगल से लाने का आम निसार के हकूक हैं उनको वापिस दे दें। आपने फ्री पास सिस्टम कायम किया है। आपके इस फ्री-पास सिस्टम से पहले से सौ गुणा अधिक लकड़ी काटी जाती है। इस फ्री पास के नाम पर लोगों को हजारों रुपयों की आमदनी हो गई है। अगर आप भीलों की हालत को बनाना चाहते हैं तो लगान में माफी दीजिये। अगर आप उनके फल लगाने, मुर्गा, मछली आदि पालन की व्यवस्था करें तो मेरे खयाल से अवश्य ही वे प्रोत्साहित होकर इस कार्य को करेंगे।

किसानों की खुशहाली के लिये, अध्यक्ष महोदय, क्या बड़े क्या छोटे किसान, मैं यह समझता हूं कि हमारे क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए एग्रीकल्चर होना बहुत जरूरी है। आप सिलवी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेन्ड्री की जंगल में रहने वाले भीलों के लिये व्यवस्था करिये और साथ ही साथ खेत और पशु-पालन की व्यवस्था करें। सिलवी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री और एग्रीकल्चर ये तीनों एक ही चीज हैं, ऐसा मैं समझता हूं और ये सब एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं इसलिये इनको साथ साथ चलना चाहिये।

पहाड़ों की वेलीज में जो जमीन होती हैं और जिसको हम माटड़ों के नाम से कहते हैं, जब वर्षा होती है तो पानी के साथ साथ वहां पर जो जानवर घास चरते हैं और उनसे खाद और मिट्टी होती है वह बह कर खेतो में आती है और खेतों को बहुत उपजाऊ बनाती है। अगर आप इसको सीव के खेतों में ही उपरित करेंगे और पहाड़ो के क्षेत्रों में नहीं जानें देंगे तो पहाड़ी क्षेत्र की चट्टानें निकल आवेगी और पहाड़ों की जमीन बिल्कुल बेकार हो जावेगी और वहां पर कुछ भी पैदावार नहीं हो सकेगी और आज जो वहां पर बकरी, ऊंट और दूसरे मवेशी जंगलों में चरते हैं वे आपके जंगल बरबाद हो जावेंगे और जानवर नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चर पावेंगे क्योंकि वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होगा और जब वहां पर कुछ भी पैदावार नहीं होगी तो जो लोग अभी वहां पर जमीन से प्रेम की भावना रखते हैं वह भी मैं समझता हूं कि समाप्त हो जावेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि आप कोई रूल्स बनावें तो इस सम्बन्ध में अवश्य विचार करें। अगर आप उसको पशुपालन के लिये और खेती के लिये उपयोगी बनाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि भीलों के लिये सिल्वीकल्चर के बारे में विचार करें।

हमारे यहां तीन तरह की खात होती है। एक तो ढोर की मेंगनी की जैसे बकरी, भेड़ आदि की। दूसरी सूखी पत्तियों की खाद और तीसरी ग्रीन मेन्योर होती है जो पत्तों को सड़ा कर पैदा की जाती है। और मैं यह समझता हूं कि यह जो प्राकृतिक खाद आती है वह बहुत अच्छी होती है और अगर यह प्राकृतिक खाद रहेगी तो आपकी फार्टीलाइज़र की योजना को भी सफल बना सकेगी। अगर आप खेती के सम्बन्ध में, प्राकृतिक खाद के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर पाते तो फर्टलाइज़र भी इससे ज्यादा उपयोगी आपको सिद्ध नहीं होगा। हमारे यहां जब कभी भी कोटा, पश्चिमी मेवाड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिला में, वहां पर भी सैटलमेंट के जो एक्सपर्ट थे उस वक्त, उनकी यह योजना नहीं थी कि भूमि लेली जावे, उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह जाहिर किया कि छोटे और बड़े किसानों के लिये यह आवश्यक है कि एक्सपरीमेंट के तौर पर अगर १० बीघा भूमि खेती के लिये हो तो १२ बीघा भीलों को दी जाए। इस तरह से आप विचार करेंगे तो किसानों और आदिवासियों का भला हो सकता है। मैंने कई जगह स्वयं ने देखा है। काश्मीर में मैंने देखा है– एक जगह तो पाकिस्तान में चली गई है–, मगर बारामूला आदि में मैंने देखा है कि तरेटी में जो छोटे-छोटे खेत होते हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत घास और खाद रखी जाती है ताकि नेचुरल मेन्योरिंग का प्रोसेस चलता रहे। जमीन को बराबर खाद मिलती रहे। जिससे उस जमीन की उर्वरा-शक्ति कम न हो और उसको कायम रखी जाए। मैंने पढ़ा है और सुना भी है। कनैड़ा आदि में इस तरह से होता है लेकिन जो सिद्धान्त कनेडा में लागू होते हैं वे यहां लागू नहीं हो सकते। हमारे यहां डूंगरपुर में सरकार की यह योजना थी कि खेतों के अन्दर कुछ न कुछ बीड जंगलो का रखा जाता था। मेरा कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध इससे नही है, फिर भी मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि अगर आप किसानो की और खेतों की बहबूदी चाहते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि एग्रीकल्चर, सिल्वी-कल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री इन तीनों चीजों को एक साथ मान कर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ सफलता अवश्य प्राप्त कर सकेगें।

आपने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि का सिद्धान्त रखा है और एक काश्तकार के पास इससे अधिक जमीन नहीं होनी चाहिये इस जिद्द पर आप तुले हुए हैं। आप इस पर तुले रहें, इसके लिये तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि में कितनी खेती हो सकती है। आपने टीनेन्सी एक्ट में राखड़ और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भारी के नाम से जमीन रखी है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप घास के सम्बन्ध में कोई ठोस विचार करेंगे और घास की समस्या को हल करने का विचार करेंगे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से गंगानगर का जिला आपका खाद्य के लिये भंडार हो गया है उसी तरह से फोडर के लिये उत्तरी राजस्थान भी भंडार बन सकता है। यदि आप योजनाबद्ध कार्यवाही करें तो कोई असंभव नहीं है कि पांच लाख से ६ लाख मन घास इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप इस घास को सुचारू रूप से अवेर कर रखें तो १० साल तक वह घास बिगड़ नहीं सकती और वही घास छोटे-छोटे काश्तकारों के और भीलों के यहां हो सकता है। अगर इस सम्बन्ध में रूल्स वगैरा बनें, उस समय मैं चाहता हूं कि सरकार के सामने यह समस्या रहे।

यदि सरकार इसको करना चाहेगी तो मेरे ख्याल से कभी यह योजना सफल नहीं हो सकती। व्यक्तिगत रूप से हर एक किसान को अपनी खेती को, अपनी घास को सुरक्षा के रूप से रखने की व्यवस्था करने की उमंग और प्राकृतिक आकांक्षा होती है और इसके अलावा वह जरूर घास इकट्ठा कर के सरकार को भी दे सकता है, उसके मवेशियों को भी दिला सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, नाकाबिल काश्त भूमि के सम्बन्ध में आप विचार करें कि यह जमीन किसानों को दी जाय, बीड़ के हेतु, घास के हेतु; तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ ही दिन पूर्व माननीय सदस्य जो डूंगरपुर से आये हैं उन्होंने प्रश्न रखा कि गांवाई जंगलों के संबंध में सरकार क्या विचार रखती है, तो वन उपमंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि इस संबंध में रूल्स बनाये जा रहे हैं। स्थिति यह है कि जो गांवाई जंगल हैं वे लावारिस मिल्कियत की माफिक बर्बाद हो रहे हैं। सरकार इनका सीलिंग के अन्दर कहीं न कहीं समावेश कर सकती हो तो विचार करे। जो वर्तमान नीति है, जहां तक मैं समझ सका हूं हर एक खेत के किनारे किनारे ही सीमाबन्दी कर दी जाय, यह एक घातक नीति है। मेरे खयाल से इस अनसाउन्ड, दूषित नीति को लेकर किसानों की खुशहाली नहीं होगी बल्कि उपज घटेगी।

ग्रोव्स के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि जो फॉर्म्स (forms) सरकार ने बनाये हैं वे इतने कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा है कि उनमें तरह तरह की दिक्कतें आयेंगी, खास कर के अनपढ़ लोगों को। मेरा यह निवेदन करना है इस सम्बन्ध में कि रेवेन्यू रेकॉर्ड में इन ग्रोव्स का दाखिला हो चुका है तो दुबारा रजिस्ट्रेशन करना इस प्रोसीजर को कॉम्प्ली-केटेड बनाना है और बेकार सी चीज लगती है। भविष्य में इन ग्रोव्स के सम्बन्ध मे क्या होगा यह भी स्पष्ट विचार सरकार के मालूम नहीं होते। सिंचाई की योजनाएं हैं, सिंचाई समाप्त होगी वहां फल आदि के बाग लगाना चाहें तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है, इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये। जहां तक सीलिंग्ज के इन रूल्स का संबंध है, मैं समझता हूं, आज बाग हैं वे तो हैं, इसके बात एक रुकावट से पैदा करना चाहते हैं, भविष्य में बाग जैसी चीज लग ही नहीं सके, तो मैं समझता हूं यह एक अन्साउन्ड और दूषित नीति है।

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

१६५८ के पहले के इन्तिकालात तो आप मानते हैं, लेकिन इसके बाद के इन्तिकालात हैं उनको नहीं मानते। यह जनता के प्रति सरकार अविश्वास प्रकट कर रही है। बार बार, सरकार की आदत सी हो गई है कि हर एक कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय। मेरे ख्याल से आपको अधिकार है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून पास करने का, पर कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कानून अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता। सरकार अगर जनता के प्रति अविश्वास प्रकट करेगी तो धीरे धीरे जनता का भी यह अविश्वास सरकार में बढ़ता जायगा, चोर की डाढी में तिनका। जब जागीर का उन्मूलन हुआ तो उस सम्बन्ध में भी जागीर उन्मूलन होने की तारीख तक जागीरदार के हर एक कृत्य को मान लिया है तो उसी तरह मेरी समझ में यह सर्वथा उचित है कि ५८ के बाद के भी इन्तिकालात हैं उन्हें सीमित तारीख तक, कानून के अमल में आ जाने के बाद सीमित तारीख तक ऐसे इन्तिकालात मानें तो उचित होगा। इस संबंध में मेरे एक पुराने मित्र जो राजस्थान की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, प्रशासन, राजस्व और खेती से वाकफियत रखने हैं, उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा, उसके दौरान में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह लिखा है :

"It will be wrong to impose ceiling with retrospective effect, and all transfers of land upto the date appointed for bringing in ceilings and even after that should be recognised, because such transfers only further the cause of this law as all transfers are subject to the maximum limits already imposed in the Tenancy Act."

श्री रामकिशन (वैर) : यह किसकी राय है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई न कोई हैं, वे भी प्लानिंग जानते थे और मेरे खयाल से खेती के संबंध में उनका अनुभव था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा सदन में। इतनी बड़ी आथोरिटी भी नहीं। मेरे ख्याल से आज की समस्या को देखते हुए उनको माहिर के रूप में माना जाय तो अप्रासंगिक नहीं होगा।

फर्स्ट रिपोर्ट सीलिंग के संबंध में आई, उसमें कुटुम्ब के बंटवारे के संबंध में प्रावधान था, छूट थी, पर अब वह छूट भी हटा ली गई है। मेरा यह निवेदन है कि यह एक सख्त और अनुचित कदम है, खास कर के जब लैंड ओनर्स बिल लाने का विचार कर रहे हैं। तो उनके पास कुछ न कुछ भूमि है, आधी भूमि के संबंध में उनको कुछ समय दे कर बंटवारे के संबंध में आप योजना करेंगे तो मेरे ख्याल में अनुचित नहीं होगा।

यह राजस्थान हमारी वीर भूमि है; Cradle of brave men है, यहां पर यह देख कर मुझे खेद हुआ कि फौजी सिपाहियों के संबंध में कोई एग्ज़ेम्पशन, एक्सेप्शन, छूट नहीं है। क्या यू. पी., क्या मध्य भारत, क्या आन्ध्र, क्या महाराष्ट्र, क्या मद्रास, वहां पर ऐसी छूट फौजी सिपाहियों के लिये रखी गई है और मैं कोई ऐसा कारण नहीं देखता कि राजस्थान में भी ऐसी छूट नहीं रखी जाय।

अध्यक्ष महोदय, गाय, भेड़, घोड़ा आदि के फार्म्स के रजिस्ट्रेशन के संबंध में मेरे ख्याल

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

से रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देना चाहिये और इनका भी रजिस्ट्रेशन कुछ समय तक और भी कानून के अमल में आने के पश्चात् बढ़ा दिया जाय तो सर्वथा उचित होगा।

मुस्तस्नियात देने के सम्बन्ध में जो प्रावधान बोर्ड के बारे में रखा गया है, वह मेरे ख्याल से उचित नहीं। यदि यह बोर्ड अमल में लाया जायगा तो सिफारिशों का तांता लगेगा, पक्षपात होगा और संभवतः इसमें भ्रष्टाचार होगा। सिद्धान्ततः यह काम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, कर्मचारियों के सुपुर्द होना चाहिये। कलेक्टर है तो कलेक्टर के साथ ही दूसरा कलेक्टर के मुकाबले का अधिकारी रख कर, चाहे उसको बोर्ड कहें, चाहे कमिशन कहें, कुछ भी नाम कहें, ऐसे कोई कर्मचारी के बोर्ड के द्वारा एग्ज़म्प्शन के बारे में निष्पक्ष व्यवस्था सरकार करे तो ठीक होगा। मौजूदा बोर्ड की व्यवस्था दूषित है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उनके सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी।

पहले क्लॉज़ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पेनल्टी का प्रावधान रखते हैं। अन्य राज्यों में ५००, ढाई सौ रुपया तक की पेनल्टी का प्रावधान है। राजस्थान में एक हजार रुपये तक की पैनल्टी का प्रावधान अन्य राज्यों से बहुत अधिक होने के कारण मैं उचित नहीं समझता। यह भी अनसाउन्ड मैं समझता हूं।

डिक्लेरेशन के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि डिक्लेरेशन यदि कोई नहीं करता तो एस. डी. ओ. के सामने उस व्यक्ति को, जहां तक कानून का मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार मुझे यह अनुमान होता है, लाजिमाना जाना पड़ेगा। बूढे अनपढ़ व्यक्ति के लिए यह प्रावधान बहुत सख्त सिद्ध होगा और जैसा मैं समझता हूं असालतन या वकालतन, किसी रूप में भी, अदालत में कोई व्यक्ति हाजिर हो सकता है, उस सम्बन्ध में यहां लाजिमाना व्यक्ति को ही एस. डी. ओ. के सामने एपीयर होने का प्रावधान है उसकी जगह "असालतन और वकालतन" यह प्रावधान रखा जाय तो उचित होगा।

(५.११ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत समानेत्री, पदासीन)

सरकार को चाहिये कि पड़त भूमि भूमिहीनों को दे। अवश्य दे। मेरा यह निवेदन करना है कि हजारों एकड़ जमीन जो भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अन्दर है उसको सरकार क्यों नही देती है? उसको देना चाहिये। जयसमन्द के पास भाट फार्म नाम का एक बहुत बड़ा रकबा आराजी है। वहां पर एक व्यक्ति को शुगर फैक्टरी के लिए दे दिया है। वहां पर तरह तरह की खेती वह व्यक्ति कर रहा है। मैं समझता हूं, यह भाट फार्म की जमीन उन व्यक्तियों को दे दी जाय जिनको इसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार नाहरमगरे की जमीन महाराणा साहब ने दी वह भी आदिवासियों को, भूमिहीनों को देनी चाहिये थी। उसकी जगह मैं देखता हूं कि वहां पर नेतागिरो चल कर वह भूमि नेताओं के कब्जे में आज जा चुकी है।

सूरतगढ़ फार्म, जो घाटे की योजना है, जिसमें फ्लड आता है, बाढ़ आती है उसके अन्दर तीन हजार व्यक्तियों का समावेश हो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकता है। आप क्यों नहीं सूरतगढ़ फार्म की जमीन भूमिहीनों को देकर खुश करें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप नेताओं को स्पेसिफाई कर दिया करें। कांग्रेस के नेता........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी आदत नेता कहने की है। मैं तो आज-कल का नेता हूं, लेकिन ये तो पेशेवर नेता हैं।

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में, सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन करना है कि उनको अधिक से अधिक खोला जाय, प्रोत्साहन दिया जाय और गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए उनको धन्धा दिया जाय न कि उन लोगों को रोजी, रोटी और जमीन छीन ली जाय जो आज सुखी हैं। ऐसा करेंगे तो बेकारी बढ़ेगी और बेकारी बढ़ने से अस्थिरता और असंतोष बढ़ेगा।

सभापति महोदया, मेरा कम्पेसेन्शन (मुआवजा) के सम्बन्ध में भी यह निवेदन है कि मद्रास में नेट एनुअल इनकम पर मुआवजा निर्धारित हुआ है। विहार में पर एकड़ पर एनम पर मुआवजा निर्धारित हुआ है और यहां पर लगान पर मुआवजा निर्धारित हुआ है। इस सम्बन्ध में गंगानगर कांग्रेस कमेटी ने एक विज्ञप्ति शाया की वह भी मैं सदन के समक्ष रखे बिना नहीं रह सकता। विज्ञप्ति में लिखा गया है, "कहीं कहीं पर जिस जमीन का लगान १ रुपया प्रति बीघा है उस जमीन की कीमत एक हजार रुपया बीघा हो सकती है और जिस जमीन का लगान ८) रुपया प्रति बीघा है उसकी कीमत २४०)रु०, ३००)रु० प्रति बीघा हो सकती है।" जब लगान और जमीन की किस्म अथवा लगान और जमीन की कीमतों का कोई ताल्लुक नहीं है तब लगान की कीमत को आधार बनाना किसानों के साथ सीधा अन्याय है। इसलिये जिला कांग्रेस का निश्चित मत है कि मुआवजा देते समय जमीन के बाजार भाव को आधार मानकर चला जाना चाहिये और वही मुआवजे का सही तरीका हो सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझती है कि सरकार ने २९ स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन की जो उच्चतम जोत सीमा निर्धारित की है किसान के लिए उसका औसत केवल १७।। एकड़ सीलिंग भूमि ही है। नहरी क्षेत्र में केवल ६० प्रतिशत क्षेत्र को ही सिंचाई मिलेगी, शेष क्षेत्र बेकार रहता है। सिंचाई की मिकदार निकट भविष्य में बढ सके यह संभव नहीं लगता इसलिए २९ स्टेन्डर्ड एकड़ अधिकतम जोत को नाम मात्र कहा जा सकता है वास्तव में वह जोत १७।। एकड़ ही है।

हमारे क्षेत्र के अन्दर तालाबों के सम्बन्ध में भी मुझे दो शब्द कहने होंगे। मैं सदन का समय विशेष नहीं लेकर यह जो पत्र है उसका ही एक एक्सट्रेक्ट पढ़ कर सदन को सुना देता हूं :

"The ceilings on the tanks is lowest, which is wrong. The cultivation on tanks is altogether dependant upon the nature. The farmer cannot improve the tank beds in any way whatsoever, nor can be manure them, nor irrigate them. If there are good rains throughout the season, the tank remains under the water for the whole season and less so when the rains are

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

less. Many a times, tank remains dry throught the season and so for that year it cannot be cultivated If there are good winter rains, crops are much better than otherwi-e This rule for concentrated agricultu:e cannot be applied to tanks. That is very important and therefore it is wrong to impose the lowest ceiling on tank beds. In fact the law of ceiling will bring in fragmentation of tank beds, and that will be harmful for agricultural purpose. It is thus advisable that tank should be immuned from the law of ceiling." ये विचार प्लानिंग कमीशन के समक्ष भी एक समय मे व्यक्त किये गये थे, यह मैं सदन को जानकारी देना उचित समझता हूं।

एक्स-जागीरदार्स के सम्बन्ध मे, सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह करना है कि अनादिकाल से उनकी वह पटवार की प्रथा चली आ रही है। एक तरफ इस बारे में कोई व्यवस्था न होना और दूसरी तरफ यदि भूमिहीनों को तीन तीन या चार चार एकड़ आप भूमि देंगे तो, मेरे ख्याल से, उससे बेकारी बढ़ेगी।

सहकारो खेती आप लाये। चाहे आप ग्राम दान कहें। मेरे ख्याल से यह प्रकृति के विरुद्ध है। कानून चाहे आप ७० में सदन के अन्दर लाकर किसान की स्वतन्त्रता को नष्ट करें, और एक कोमन डेफिनिशन "असैट" की बना कर उसके अन्दर चाहे उसका जिम्मा आप ले लें, उसका मुआवजा आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप निर्धारित करें, तब भी मेरे ख्याल से यह खाद्य की समस्या सुलझ नहीं सकती। जमीन के लिए किसान का स्वाभाविक प्रेम है। जमीन के लिए किसान झगड़ता है, लड़ता है, मरता है। एक आध बिश्वा जमीन के लिए दस दस बारह बारह वर्ष तक किसान लड़ता है। स्वेच्छा से मुझे लगता है, किसान कभी भी अपनी भूमि को छोड़ना पसन्द नहीं करेगा। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये। प्रचार द्वारा या स्वेच्छा द्वारा चाहे किसी भी तरह से हो इस सम्बन्ध में अविलम्ब सरकार को विचार करना चाहिये।

सभापति महोदया, इस कानून के द्वारा मैं समझता हूं किसान खुशहाल नहीं होगा। इससे भुखमरी और बेकारी बढ़ेगी और मेरे ख्याल से पावरिटी का डिस्ट्रब्यूशन होगा यह मेरा अनुमान है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदया, आज हम सिलिंग का जो ड्राफ्ट है उस पर विचार कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी चर्चा इस सम्बन्ध में हुई है मेरा इस संबंध मे निवेदन है कि यह प्रारूप है, ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट जो भी सिलिंग के सम्बन्ध में बनाया गयाहै उससे पहले मैं उन आधारों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस आधार को लेकर यह बनाया गया है। मुझे मालूम है राजस्थान में १९५३ में सिलिंग के लिये एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को कुछ निर्देश दिये गये थे। उसका एक टर्मस् ऑफ रेफरेन्स था कि किन मुद्दों पर वह कमेटी विचार करेगी। उन मुद्दों मे एक मुद्दा यह भी था कि राजस्थान के अन्दर ऐसी कुल कितनी भूमि है, ऐसे कितने भूस्वामी हैं जिनके पास कितनी-कितनी जमीन है। वे इस बात की भी जांच करें, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास

(श्री मुरलीधर व्यास)

अनार्थिक जोत है। उसमें यह भी दृष्टिकोण था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, यह निर्देश उसके अन्दर थे। इसके साथ साथ दूसरा निर्देश यह भी था कि उस जमीन पर किस प्रकार से भूमि की सीमा निर्धारण करना चाहिये। इन सारे निर्देशों के अनुसार कानून बना और उस पर यह रिपोर्ट आयी। उस रिपोर्ट के आने के बाद यह कानून बना और जो कानून बना उसके प्रारूप पर विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उस ओर। उसके अनुसार हमको यह मानना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर २५ लाख परिवार हैं जो खेती के ऊपर निर्भर करने हैं। २५ लाख परिवारों में से १७ लाख परिवार ऐसे बतलाए गये हैं जिनके पास ६० से १०० एकड़ और इससे अधिक भूमि है। ऐसे भी परिवार इसके अन्दर बतलाये गये हैं जिनके पास एक एकड़ भी जमीन नहीं जिनकी संख्या ३।। लाख बतलाई गई है। तीसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनकी संख्या ४।। लाख परिवार है जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। इस प्रकार राजस्थान के अन्दर २५ लाख जो किसान परिवार है, उन परिवारों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। यह स्थिति राजस्थान की है। इस स्थिति पर विचार करते हुए कमेटी की रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह जो जमीन की स्थिति है जिन लोगों के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है या जिनके पास जमीन नहीं है उस जमीन के सम्बन्ध में अगर सिलिंग का कानून नहीं लागू होता है तो राजस्थान के किसान वर्ग की किसी भी हालत में अच्छी स्थिति नहीं हो सकती वह किसी भी हालत में अच्छी स्थिति में नहीं आयगा यह उनकी रिपोर्ट है।

ऐसा भी सोचते हैं कि जमीन का जो बंटवारा होगा उनमें कौन आयगा और कौन नही आयगा। जहां तक प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसमें इस भूमि सुधार के अन्तर्गत विषमता को दूर करने के लिए जो सब तरह से चाही गई है कम से कम कुछ मामलों में समता हो सकती है और उसी को ध्यान में रखकर सीलिंग का कानून लागू करना चाहते है। सारे प्रान्तों में सीलिंग का कानून बन चुका है। ऐसा कोई प्रांत नहीं जहां सीलिंग का कानून नहीं है। महाराष्ट्र में १८ एकड़, केरल के अन्दर १५ एकड़, पंजाब में ३० एकड़ और कहीं २५ स्टेन्डर्ड एकड़ तक सीलिंग रखी गई है। इसी प्रकार हमारे यहां भी यह कानून बना है। अब हमको सोचना यह है कि इसमें जो निर्देश दिये गये थे उस आधार पर जो कानून हमने बनाया उस कानून को कार्यरूप में लाने के लिए जो हमारी मन्शा थी वह पूरी होनी चाहिए। राजस्थान के वे लोग जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास अनार्थिक जोत की जमीन है जो आजतक भूमिहीन किसान हैं उनको जमीन किस प्रकार से मिल सकती है। हम इस कानून के अन्तर्गत जमीन लेकर के किस प्रकार से बांट सकते हैं। इस जमीन के बांटने के सम्बन्ध में यह ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह जो ड्राफ्ट आया है वह हमारे पास अंग्रेजी में आया है जब कि आज कानूनी किताबें हिन्दी में निकलने लगी है। तो वैसी हालत में इसका हिन्दी प्रारूप नहीं आना उन सदस्यों को जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनके लिए समझ में आना मुश्किल है। जिस कानून का सम्बन्ध राजस्थान के

(श्री मुरलीधर व्यास)

दो करोड़ जनता से है वह कानून हिन्दी में नहीं आता है तो यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : यह हिन्दी में भी पब्लिश हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : लेकिन वह सप्लाई नहीं हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हिन्दी में गजट में पब्लिश हुआ है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन हिन्दी में हमे भी तो मिलना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज तो रुल्स को डिस्कस कर रहे हैं। रुल्स हिन्दी और अंग्रेजी में है।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी की दो कॉपियां सिर्फ लाइब्रेरी में रखी गई हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक इस प्रारूप का विचार है इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह भूमि की समस्या को हल करने के लिए आपने जिस प्रकार के नियम बनाये हैं उन नियमों के अन्तर्गत सब से पहले यह माना है कि हम उन लोगों को छाटेंगे जो भूमिहीन हैं। भूमिहीनों की संख्या तभी प्राप्त होगी जब आपके पास में प्रार्थन-पत्र देंगे। एप्लाई करने के बाद में उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद में आप कोई निर्णय लेंगे।

जहां तक किन्हीं नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की है कि तहसीलदार, सब डिवीज़नल ऑफिसर, अपनी अपनी तहसीलों के अन्दर आर्डर भेज देगा, वह आर्डर बोर्ड पर लग जायगा, पंचायतों तक में इस प्रकार ये ऑर्डर्स जायेंगे। यहां तक कि भूमिहीन किसान जिनको बनना है उनको डूंडी व नगाड़े बजाकर इस प्रकार की दरख्वास्तें लेंगे। मैं यह समझता हूं दरख्वास्तों की रूपरेखा भी अभी तक अंग्रेजी में ही बनायी है। किस प्रकार से दरख्वास्तें लिखी जांय वह अंग्रेजी के अन्तर्गत रखी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हिन्दी में सारा कर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह संस्कृत में है, हिन्दी में नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह दूसरी बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मंत्री, शिक्षा) : आप तो क्लिष्ट हिन्दी के पक्ष में हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : भूमिहीनों के सम्बन्ध में इस प्रकार से निर्णय लिया है कि इस प्रकार से जिनके नाम आयेंगे उनकी जांच होगी। भूमिहीन की जो व्याख्या है उस के अन्तर्गत आते हैं या नहीं उसके बाद भूमि को किस प्रकार से बाटेंगे उसके बारे में आपने इसके अन्दर बताया है। उसमें कोऑपरेटिव्ज़ को प्रधानता दी है। इसके साथ साथ जहां तक प्रायोरिटी का प्रश्न है एक जमीन के लिये अगर एक गांव के अन्दर चार पांच आदमी आते हैं तो हम जिस दरख्वास्त का क्रम पहले होगा उसको देंगे। दरख्वास्तों के क्रम के बारे में आफिसर का निर्णय मान्य होगा उसमें भी नाना प्रकार की दिक्कतें रहेंगी। मैं यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूं कि इस मामले के अन्तर्गत प्रायोरिटी होनी चाहिये भूमिहीन हैं या नहीं। इसके साथ थ में एक अर्ज और करना चाहता हूं। प्रायोरिटी का आधार जहां दरख्वास्तों को माना है मेरा उसमें यह निवेदन है कि हमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस प्रकार की बातें इसके अन्दर होनी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की हालात को अच्छी करना चाहते हैं तो उनको सुविधा देने का सवाल आता है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जिन लोगों को आज तक जमीनों से महत्व रखा है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये नहीं तो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वालों को जमीन कभी भी नहीं मिल सकेगी।

दूसरा इस कानून के अन्तर्गत इस बात को भी रखा है कि जो भूस्वामी हैं वे अपनी जमीन का हिसाब देंगे कि उनके पास कितनी जमीन है और उनके परिवार में कितने लोग हैं। उसके लिये समय निर्धारित किया गया है उस समय के अन्दर अन्दर वे रिपोर्ट करें।

एक एक्सप्लेनेशन के अन्तर्गत यह भी दे दिया है कि कोई ऐसा परिवार है कि जिसका गार्जियन न हो तो वह कोई दूसरा उसके लिये दे सकता है। मैं उसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक जमीन का सवाल है हर आदमी रिपोर्ट देने को तैयार रहेगा। रिपोर्ट में यह जरूर है कि खामियां जरूर रह सकती हैं। यह हो सकता है कि एक तहसील में किसी की जमीन है, तो एक दूसरी तहसील में भी है, एक की एक जगह भी है, दूसरी जगह भी है, तो उसका हिसाब किस तरह लगावेंगे।

इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे भी भूस्वामी हैं जिनकी जमीन राजस्थान से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या पंजाब में भी हो सकती हैं। तो इसमें आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये कि जो भूस्वामी हैं वह चाहे फिर कहीं का हो, क्योंकि सारे हिन्दुस्तान को हम एक मानकर चलते हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसे रूल के बारे में कह रहे हैं, आप यह बता दीजिये ताकि स्पष्टतया मालूम हो जावे।

एक माननीय सदस्य : साइज ऑफ होल्डिंग में कह रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो हिन्दी पर ही बोल जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : तो जो भी देश में रहता है उसके पास कहां कितनी जमीन है यह मालूम होना चाहिये। मैं यह सुझाव देता हूं कि जमीन के मामले में अगर कोई आदमी किसी प्रकार से कोई गलत रिपोर्ट देता है, तो........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This explanation is about minors, lunatics and the people having disabilities.

(माननीय सदस्य के बैठ जाने पर)

श्रीमती सभानेत्री : मैं एकदम बैठने कि लिए नहीं कह रही हूं। ऐसा मानकर

(श्रीमती सभानेत्री)

चलती हूं कि आप अपना वक्तव्य चार-पांच मिनिट में समाप्त कर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि आपकी तरफ से इसके लिये स्ट्रिक्ट व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोई प्रकार की गलत रिपोर्ट जमीन के बारे में देता है तो आपको यह अधिकार होना चाहिये कि इस सीलिंग के कानून के अन्तर्गत जिसने गलत तरीकों से सरकार को गुमराह करने की कोशिश की है तो उसके पास जो भी जमीन इस प्रकार की पाई जावेगी तो वह सारी जमीन सरकार की घोषित कर दी जावेगी। जब तक इस मामले में मजबूत व्यवस्था नहीं करते, तब तक आपके पास जमीन नही आ सकती है।

एक दूसरा यह सवाल है कि १९५८ के बाद में भी, जैसे सवाल आया कि बाद की जमीन के बारे में आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है मैं मानता हूं वह ठीक है। परन्तु इस मामले के अन्तर्गत भी ५८ के बाद में कानून होते हुए भी बहुत से लोगो ने जमीनें अपनी बेचीं, कुछ ऐसे भोले भाले किसान भी थे जिनके पास एक एकड़ भी जमीन नही थी, उन्होंने भी ली और अब खरीदने के बाद में अगर स्थिति इस प्रकार की आ जावे कि क्योंकि कानून के अन्तर्गत तो बेचना गैर कानूनी था और इस प्रकार के बहुत से स्थानान्तरण हुए और जमीनें बिकीं, तो इस सम्बन्ध में जहां तक कानून की मंशा है, उसमें किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी न हो, पर मैं यह चाहता हूं कि इस मामले के अन्तर्गत जिस भूमिहीन ने जिसके पास जमीन नही थी और इस तरह से ले ली है और उसका पैसा उसको मिल गया है, अब उस मामले को आप यदि झगड़े में डालेंगे तो नतीजा यह होगा कि जिस भूमिहीन को आप जमीन लेकर देना चाहते हैं उस पर दिक्कत आवेगी। आखिर देने का तरीका तो यही है पर अगर आप कानूनी ढंग से चलकर देंगे तो वहां पर कानूनी दिक्कतें ज्यादा आवेंगीं।

आप इसमें इतना ही दृष्टिकोण ख्याल में रक्खें कि जिसने जमीन ली है वह वाकई भूमिहीन है, और अगर है, तो मैं समझता हूं कि इस झगडे को सरकार को समाप्त करना चाहिये। ऐसा ही बहुत सों ने किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जिसने रुपया ले लिया, वह तो ले लिया। या कुछ उसके बारे में आप कहना चाहते हैं, यह भी थोड़ा स्पष्ट कर दें। क्योंकि यह प्रमुख प्रश्न है।

जिस लॉ के झंझट में जिस सवाल को आपने एक तरह से कहा, स्वतन्त्र पार्टी के लीडर ने भी उस बात को डाइरेक्टली कहा। इसलिये आप यह स्पष्ट कर दें मेरे लिहाज से दोनो की बातों में बहुत बड़ा भेद नही है। ९० परसैन्ट केसेज मे यह है इसलिये आप स्पष्ट कर दें कि जिस लैंड होल्डर ने अपनी जमीन बेच दी और एक भूमिहीन को दे दी तो उस से ले लें वापिस या उसे टच न करें। इसके साथ ही जो लैंड होल्डर ने उससे रुपया ले लिया वह भी ले लिया। उसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री रामनान्द अग्रवाल : आपने प्रोवीजन रखा है। प्रैक्टिस में भले ही न हो।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा जागीर एबोलिशन के वक्त बनाया वैसे कर दिया जावे। मैं तो यही कह रहा हूं कि इस बीच में अगर भूमिहीन ने जमीन ले ली है अब उसको जिसने बेची है उसने ज्यादा पैसा ले लिया है और आप भूमिहीनों को कम में दिलाना चाहते हैं तो आपको यह अधिकार तो है कि ज्यादा पैसा अगर उससे ले लिया है और आप उसको कम में दिलाना चाहते हैं तो यह तो आप कर सकते हैं। इसको तो मैं चाहता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लैंडलैस था, जिसको जमीन मिली नहीं, राज के पास थी नहीं,........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Excuse me for the interrputiou मैं कहूंगा कि यह इम्पोर्टेन्ट सवाल है कि जिन्होंने जमीन खरीद ली है, आज के लॉ के माफिक जिन्होंने नहीं खरीदी है बल्कि इल्लीगल खरीदी है तो उसे बेदखल किया जा सकता है। अब यह कहा जावे कि उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिये तो इससे इन्डाइरेक्टली जो ट्रान्ज़ेक्शन हो गया है और जो इल्लीगल भी हुआ है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो इल्लीगल जिन्होंने सेल कर ली है उनसे वसूल किया जाना चाहिये, वह कैसे पोसिबल है कि वह लीगल हो जाय; तो इन सारे फैक्ट्स पर हमें विचार करना होगा; when we are going into the details of the rules, let all these things be gone into.

श्री मुरलीधर व्यास : कानूनी सवाल इसमें जरूर है। ऐसी जहां तक जमीनें बेच दी हैं और दूसरों ने ले ली हैं तो बेचने वाले की जमीन तो आप ले रहे हैं, कब्जे में कर लेंगे, तो ये झगड़े तो चलेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : On a point, of information, Sir, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मूल एक्ट को भी इसी तरह से संशोधित करने को तैयार होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Not at present.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसी बात वे कह रहे हैं उससे तो मूल एक्ट को चेन्ज करने की बात आती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बेचने वाले को जरूर पीनेलाइज़ किया जावे, पर लेने वाले को पता नहीं है और उसने ले लिया है। २५ फरवरी, ५८ से दिसम्बर ६० तक परमिटेड हैं। तब से कानून लागू हो गया था। उसके बाद लैंडलेस के ट्रान्सफर को नहीं माना गया। केवल पार्टीशन के जरिये ट्रान्सफर को एक्ट में माना है। इसलिये बहस जो कर रहे हैं लैंडलेस टीनेन्ट वाली, वह कानून में प्रोवाइडेड है। १९६० के बाद में उसको मान्यता केवल पार्टीशन से जो होगी उसको देंगे। इसलिये रूल्स में बदलने की तो कोई बात बहस से उठी नहीं है।

श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनका मतलब यह होता है कि जो ट्रान्ज़ेक्शन्स हो चुके उनके रद्द करने के अन्दर बड़ी भारी असुविधा होगी। अब इसके दरमियान........

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : But, Sir, this is no point of order, this does not demand any

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

explanation of the rules. It is only a point of information and not a point of order.

श्री अमरसिंह जासोल : दूसरे माननीय सदस्यों को जो विचार रखने होंगे वह अवश्य पेश करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं कह रहा था.........

श्री सभापति : समय काफी हो चुका है
(समय सूचक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

सीमा के बारे में जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं और इतने वर्षों के बाद में जो आंकड़े निकाले हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए मैं बीकानेर के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से आंकड़े निकालते हैं। बीकानेर के अन्तर्गत यह बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा १९१ एकड़ जमीन मानी गई और बीकानेर का प्रति एकड़ उत्पादन माना गया है वह एक मन बाजरा माना है। तो हिसाब लगाइये कि उस १९१ एकड़ के अन्दर १९१ मन बाजरा पैदा हो गया। अब १९१ मन बाजरा की कीमत आप १० रुपये के हिसाब से लगाइये तो वह १९०० रु० होगी। आपने यह आधार माना है; ३६०० रुपये की इन्कम इस प्रकार से मानी है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। सरकारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पर एकड़ प्रोडक्शन है, उसमें बीकानेर की एकरेज भी दी है। एक साल में ४,८३,००,०००. १९६१–६२ में............

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कैलक्युलेशन के आधार पर प्रोडक्शन के फिगर्स निकाले हैं। आप एक साल की बात बताते हैं, वह इसके अन्दर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : दस साल का देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जो ३,६०० रुपये सीलिंग के फिक्स किये हैं या तो उसको हटा दीजिए। अगर वह किसी आधार पर है तो वह किसी वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यह जो रिपोर्ट का प्रारूप रखा गया है उससे तो ऐसा लगता है कि सारा गोलमाल है। बहुत गल्तियां हैं, ये कहां की गई हैं, आपको देखना है। मैंने जो हिसाब लगाया वह आपके आंकड़ों पर है। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि सबके लिए अनावश्यक डिस्कशन का सवाल न पैदा हो जाय, उस खामी को दूर किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अमरसिंह जासोल।

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) : माननीया सभानेत्री महोदया, स्पीकर महोदय के आदेश को मैंने सुना और समझा। उन्होंने फरमाया कि सीलिंग्ज एक्ट तो लागू हो चुका है और रूल्स इस सदन के सम्मुख वाद-विवाद के लिए पेश हुए हैं, इसलिए जो कुछ वक्तव्य हों वे रूल्स पर ही होने चाहिए। यह चीज मानते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो एक्ट है उसका उद्देश्य क्या है और उसका सही स्वरूप क्या है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे रूल्स पर जो कोई आब्जेक्शन्स हों उनको सही रूप

(रावल श्री अमरसिंह)

से समझा जाय। यह जो सीलिंग्ज़ एक्ट बना है उसका लक्ष्य यह है कि काश्तकार जिसका जीवन जमीन की पैदावार से निर्वाह होता है, उसके पास कितना साधन रखा जाय और उससे ज्यादा साधन न रखा जाय जिससे वह ३६०० रु० साल की आमदनी पैदा कर सके। माननीय सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि यह सर्वथा अन्यायपूर्ण है। एक पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए हमेशा के लिए यह नियम बना देना कि जिससे कि वह ३६०० से ज्यादा सालाना पैदावार नहीं कर सके, यह सर्वथा अन्यायपूर्ण है। अब जो साधन हमारे लिए उपलब्ध किए गए हैं उन साधनों से ३६०० रुपये पैदा हो सकें यही नहीं, यह चीज दूर रही, लेकिन यह कहना कि हमारी सीमा ३६०० रुपये तक सीमित रहेगी, यह न्यायसंगत नहीं हो सकता। साथ में यह निवेदन करूंगा कि यह ८५-९० परसैंट जनता के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है और बाकी जो शहरों के अन्दर रहने वाले हैं, उनके पास इतनी सम्पत्ति हो और उनको मल्टीप्लाइ करने का पूरा मौका है, ऐसी हालत में इन लोगों के लिए यह कहना न्यायसंगत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि it is not distributing of land, it is distributing of poverty in perpetuity. जनता को गुलाम बनाया जा रहा है जो न तो बच्चों को शिक्षा दे सकते है या जीवन-स्तर उठा सकते हैं और न इतना साहस हो सकता है सिवा गुलामगीरी के। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि अव्वल में तो यह सीलिंग लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस समय राजस्थान के अन्दर इतनी पड़त भूमि मौजूद है कि यदि वह भूमि सब व्यक्तियों को विभाजित की जाय तो १५० बीघा जमीन प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से आ सकती है।

इसके अलावा यह सर्वविदित तथ्य है कि खेती पेइंग धंधा नहीं है, खास तौर से हिन्दुस्तान के अन्दर कोई अच्छी आमदनी नहीं हो सकती। जो खेती पर निर्भर करते हैं उनकी हालत यह है कि उनको पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को दो टाइम का भोजन नहीं और उनके घरों की व्यवस्था अच्छी नहीं है इस खेती के अन्दर। इस स्थिति के अन्दर चल रहे हैं तो उस हालत के अन्दर वे लोग जो खेती के ऊपर निर्भर नहीं हैं उन लोगों को भी जमीन के ऊपर लाकर बसाना सरकार की एक अनइकोनोमिक पॉलिसी होगी।

आज आवश्यकता तो यह है कि लैण्ड के ऊपर के प्रेशर को कम किया जाये और एक परिवार के पास तीन सौ या पांच सौ बीघा जमीन है और उस परिवार में ७ सदस्य हैं, मैं सुझाव दूंगा कि सही तरीका यह है कि उस परिवार में से २ व्यक्तियों के पास तो जमीन रहने दें और जो बाकी के ५ व्यक्ति हैं उनको ऐसे काम में लगायें जो कन्सट्रक्टिव हो; जैसे इण्डस्ट्रीज हैं या कुछ ऐसे ही काम वह लग सकें, ताकि वे अपना भी गुजारा ठीक तरह से कर सकें और परिवार के अन्य सदस्य भी ठीक तरह से रह सकें। और जो खेती से अपना जीवन-निर्वाह करना चाहते हैं उनकी इकोनोमिक कन्डीशन्स भी ठीक हो सकें। यहां आवश्यकता इस बात की है कि लैण्ड के ऊपर के प्रेशर को कम किया जाये और लोगों को इस प्राफेशन से हटाकर दूसरे ऑक्युपेशन में लगाया जाये और आप ऐसा नहीं करके आज जो जमीन

(रावल श्री अमरसिंह)

के ऊपर नहीं हैं उनको भी जमीन के ऊपर लगा दें; इससे तो हालात को और अनइ-कोनोमिक बनाना है और यह सरकार की अदूरदर्शितापूर्वक पॉलिसी होगी और इसके फलस्वरूप महोदयाजी, मैं देखता हूं देश की इकोनोमिक बैकबोन बिल्कुल टूट जायेगी और हमारा फूड प्रोडक्शन इतना कम हो जायेगा कि जिससे देश को बहुत धक्का पहुंचेगा। इसके बाद में सरकार को दूसरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जैसा कि चाइना का पैटर्न है जो हिन्दुस्तान के अन्दर कतई कामयाब नहीं हो सकता। मैं सविनय यह निवेदन करूंगा कि जो इनके सुझाव हैं और जो काम करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें सरकार का विफल होना देश के लिए अत्यंत घातक होगा। इस विषय में मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा और आगे चलकर कहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं इसका चित्र महोदयाजी यह है कि आज आपके द्वारा मैं सरकार और सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि जहां पर १० साल में कम से कम ८ साल तो कहतसाली रहती है। यह मेरा कहना है। पुरानी कहावत है कि १०० वर्ष में हमारे क्षेत्र की यह हालत रहती है।

(अश्रव्य)

सौ वर्ष की हमारी परिस्थिति है कि तीन तो ऐसे अकाल पड़ते हैं जहां मनुष्य मरने शुरू हो जाते हैं, ६ में दो आना, चार आना या ६ आना अनाज होता है और मवेशियों को बाहर जाना पड़ता है और २३ ऐसे होते हैं कि छः आना, आठ आना, दस आना या ज्यादा से ज्यादा बारह आना उपज होती है। वहां की जमीन की यह हालत है कि दो साल तक मुतवातिर एक खेत को एक काश्तकार नहीं कर सकता। हर तीसरी साल तो उस खेत को खाली रखना पड़ेगा जिससे वह खेत ताजा होकर उपजाऊ हो सके। अगर एक खेत को लगातार चार साल तक किया तो उसमें अनाज पैदा नहीं होगा। यह हालत तो वहां की है। और ज्यादातर एक बीघा के अन्दर आपके स्टेटमेन्ट के अनुसार ३० सेर बाजरा से ज्यादा पैदा नहीं होता है और यह उस समय जिस समय कि अच्छी पैदावार हो तो एक बीघा के अन्दर पौन मन आपके रेकॉर्ड के अनुसार है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के लिए आपने रखा है १५४ एकड़ या समथिंग लाइक दिस; तो यह जो आपने रखा है अन्दाजा उससे आधा भी हम लोगों को नहीं दिया और इसका रेन्टल एक बीघे के ऊपर १ आना या १।। आना तो जहां हमको मुआवजा देने का सवाल है वहां तो आप रेन्टल के ऊपर देंगे और जहां जमीन छोड़ने का सवाल है, हमारा स्टेन्डर्ड फिक्स करने का सवाल है तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार कृपा करके उससे मुकाबिला करे कि जिस जगह एक रुपया बीघा बारानी जमीन पर है या १२ आना है उन लोगों के जो स्टेन्डर्ड एकड़ या स्टेन्डर्ड जमीन छोड़ी जाती है उससे और बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर क्या अन्तर है ?

इसके अलावा महोदयाजी, पानी की सिंचाई का तो सवाल ही नहीं इस क्षेत्र के अन्दर और शायद ही २ परसेन्ट ऐसी जमीन होगी जिसको हम इर्रिगेटेड कह सकते हैं, बाकी तमाम बारानी है और पानी पीने तक को उपलब्ध नहीं होता है और ५-७ कोस से और १०-१५ मील के फासले से पीने का पानी लाना पड़ता है और मवेशियों को तो वहीं जाकर पिलाना पड़ता है। यदि यह आपकी इच्छा है कि लैण्ड होल्डिंग को सीलिंग

(रावल श्री अमरसिंह)

के द्वारा कम किया जा सके, इन्टेन्सिव फार्मिंग से शोर्ट करवाया जाये, तो मैं निवेदन करूंगा कि इन्टेन्सिव फार्मिंग के लिए एक नया पैसा बराबर भी ऑपोर्चुनिटी नहीं है। आज देश सर्वथा नेचर के ऊपर डिपेन्ड करता है और वहां पर कोई इसके अलावा चारा नहीं है और किसान लोग आकाश की तरफ देखें और ईश्वर की तरफ देखें कि वारिश आये और अनाज पैदा हो जाये। अगर वारिश नहीं आये तो बिलकुल भूखों मरने का सवाल है। ऐसे क्षेत्र में सीलिंग लागू करना मैं निवेदन करूंगा कि यह अव्यावहारिकता का नमूना देना है और यदि लागू किया ही जाये और आप किसी एक आइडियोलोजी के पीछे पड़े हैं और उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, और जिसके लिए हम मानते हैं कि कोई चारा नहीं है सिर झुकाने को, तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा सीलिंग कीजिए कि जिससे हम वहां पड़े तो रह सकें और लोगों को भुखमरी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उस क्षेत्र की एक विशेष परिस्थिति यह है कि हमारे यहां पर लोगों का खेती के ऊपर पूरा गुजारा न होकर मवेशियों के ऊपर गुजारा होता है। बड़े-बड़े मवेशियों के हर्ड्स हैं और उनसे लोग अपना निर्वाह करते हैं। लोग वहां पर मवेशी, भेड़ और घोड़े रखते हैं। उन घोड़ों के लिए और मवेशियों के लिए जमीन आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि इस देश की परिस्थिति इतनी खराब हो जायगी कि इस समय खिलवाड़ के साथ जमीन लेने का विचार करते हैं लेकिन जब समय आयेगा तो आपको पछतावा करना पड़ेगा और देश की बरबादी होगी।

इन सुझावों के अन्दर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी फरमाया कि जब एक समय जमीन का वितरण हो चुका और चेन्ज ऑफ हैंड्स हो चुका तो उसको वापिस रद्द करना और उस जमीन को सरकार के कब्जे में लेना और फिर उसका वितरण करना, यह अत्यन्त असार्वजनिक होगा और उस आदमी के लिए मुश्किल होगा जिससे आप जमीन छीनना चाहते हैं। इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही विशेष निवेदन करूं कि ऐसा ट्रान्जेक्शन रद्द करना कतई न्याय पूर्वक नहीं होगा। यह आपके विचारों के अन्दर क्यों इतना वे कर रहा है........

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, ये सारी बातें एक्ट के सम्बन्ध में हैं और एक्ट के ऊपर बहस नहीं हो रही है, रूल्स के विषय में हो रही है। इसलिए एक्ट के सम्बन्ध में बहस नहीं करके रूल्स के विषय में करें तो हमको भी मार्ग-दर्शन मिलेगा और सदन को भी जानकारी मिलेगी। एक्ट को क्रिटिसाइज करने से न तो कोई निर्णय हो सकता है और न आज की बहस का यह विषय ही है।

रावल श्री अमरसिंह (पचपद्रा) : यह मैं समझ गया लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे क्षमा करेंगे। I cannot read very accurately due to my defective eyesight. तो यह मैं आपसे पूछूं कि क्या यह रूल्स के अन्दर कवर नहीं होता; मेरी इग्नोरेन्स को आप माफ करेंगे।

खैर, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस चीज को सुझाव के रूप में लेकर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि यह सबके लिए सुभीताकारक नहीं होगा और अन्यायसूचक भी होगा कि जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसके लिए आप वह ट्रान्जेक्शन खोलें जो कर चुके। मैं निवेदन करूंगा कि फाइनेलाइज्

(रावल श्री अमरसिंह)

करके दुबारा उनको तवालत में डालने की आवश्यकता नहीं है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन होगा कि जो एक्ज़ेम्पशन्स हैं उनको लिबरल किया जाय ताकि जिन लोगों ने जमीनों पर पैसा लगाया है, जिन लोगों ने जमीनों पर सुधार किया है तो वे लोग ज्यादा कसरत से एक्ज़ेम्पशन के अन्दर आ सकें·······

श्री अमरसिंह (दूदू) : Point of order please, हाउस का कोरम पूरा नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : जी नहीं, पूरा है।

रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा) : खास तौर से हमारे इलाके में ऊंट होते हैं। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ा, इनके लिए पर हैड कितनी कितनी जमीन छोड़ी जाय, उसका उल्लेख न एक्ट के अन्दर है और न रूल्स के अन्दर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब एक्ट में नहीं है तो इसीलिए रूल्स में नहीं आया है। तो जब रूल्स में नहीं है तो आज बहस नहीं हो सकती। यह मैं माननीय सदस्य को अर्ज करना चाहता हूं। रूल्स इन्कन्सिस्टेन्ट टू दी एक्ट नहीं बनने चाहिए। अगर रूल्स एक्ट के इन्कन्सिस्टेन्ट हैं, या उनमें और कोई डिफेक्ट है या और कोई सजेशन देना चाहें तो उन पर बहस की जा सकती है। लेकिन जो एक्ट में ही चीज नहीं है उस पर बहस नहीं की जा सकती है, that is what I was submitting, hon. Member.

रावल श्री अमरसिंह : तो इसका मतलब यह समझें कि मवेशियों के लिए, भेड़ बकरी के लिए कोई भी जमीन नहीं छोड़ी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कुछ छोड़ी जायगी उसका समावेश है एक्ट मे। नहीं छोड़ने का समावेश है तो नहीं छोड़ी जा सकती है। लेकिन उस पर आज बहस नहीं हो सकती।

रावल श्री अमरसिंह : कृपया इस पर रोशनी डालें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक्ट को आप मुलाहिजा फर्मा लें।

रावल श्री अमरसिंह : जहां तक हमने देखा है एक्ट के अन्दर नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं है तो नहीं है।

रावल श्री अमरसिंह : Thank you very much.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा यह क्षेत्र बड़ा सीमित हो गया। महोदयाजी, एक्ट पर बोल नहीं सकता, रूल्स के बाहर जा नहीं सकता और जब तक उसको चेन्ज नहीं करेंगे तो उसके अन्दर खास रिलीफ मिले यह बात मुश्किल होगी, और सरकार का ध्यान मैं इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे देश को हानि होगी, हम लाभ नहीं कर सकते और इससे लोग बरबाद होंगे, देश का उत्पादन कम होगा। लिहाजा आपकी गतिविधि के अन्दर मैं काफी तौर से रद्दोबदल करने की ज्यादा आवश्यकता समझता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, जो नियम बने हैं विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, मैं उन सिद्धान्तों का हमारे जनसंघ दल की ओर से समर्थन करता हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो सारे नियम बने हैं वे विधेयक की कन्ट्रोवर्सी में हैं । ऐसी स्थिति में विधेयक को ध्यान में रखते हुए जिन बातों का आपको कन्सीडरेशन करना चाहिए नियम बनाते हुए, उन बहुत सी बातों को आपने कन्सीडर नहीं किया है । उन सारी बातों का एक-एक करके कुछ आधार आपके सामने रखना चाहता हूं ।

मैं समझता हूं कि विधेयक के अन्दर जो स्टेण्डर्ड एकड़ कायम किया है उसकी कुछ स्पष्ट भाषा इसमें नहीं है, केवल १० मन गेहूं के आधार तक सीमित है । ऐसी स्थिति में यह कहूं कि जिस वक्त नियम बने उस वक्त १० मन गेहूं का प्रोडक्शन निर्धारित किया गया, उस १० मन गेहूं की जो कीमत आंकी गई, वह कीमत आंकते समय प्रोडक्शन का जो खर्चा होता है उस खर्चे के बारे में भी होगा, जो मेहनत किसान करता है, जो खाद वह देता है, जो बीज वह डालता है, इन सारी बातों का जिस समय स्टेण्डर्ड एकड़ कायम किया और वेल्यू नियमो के आधार पर आंकी गई, तब उन सारी बातों का इसमें कन्सीडरेशन नहीं किया गया ।

माननीय सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में प्रोडक्शन हिन्दुस्तान में सबसे कम आया है । अभी नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च की जो रिपार्ट आई है उस रिपार्ट में ६२)रु० पर एकड़ आय राजस्थान में आंकी गई है जब कि सारे भारतवर्ष की उसकी एवरेज हम निकालें तो १२५)रु० पर एकड़ है । ऐसी स्थिति में अगर हम ६२) को मल्टीप्लाई करें ३० स्टेण्डर्ड एकड़ से तो कुल हमारी आय १८००, १६००) के लगभग आती है, जब कि हमारी स्टेण्डर्ड एकड़ की आय होनी चाहिए ३६००) । और ३६००)रु० की आय की, नियम के अनुसार जो स्टैण्डर्ड एकड़ का आधार मानकर चलते हैं, पूर्ति नहीं होगी । इसलिए मैं समझता हूं कि जो आपने नियम के आधार पर स्टेण्डर्ड एकड़ माने हैं वह सही नहीं है ।

इसके साथ ही साथ एक कृषि विशेषज्ञ का मत है कि खेती के अन्दर जितनी मेहनत वह करता है उस मेहनत से अगर वह एक रुपया कमा सकता है तो उद्योग में उतनी ही मेहनत करके ५ रुपया कमा सकता है । ऐसी स्थिति को मानकर यदि नियम बनाते वक्त इन सारी बातों को सोचा होता तो जो फेक्टर आपने बनाये हैं उन फेक्टरों के आधार पर जो स्टेण्डर्ड एकड़ बनाया है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करना मैं बहुत आवश्यक मानता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में इन नियमों के अन्दर कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि मान लें कि कहीं अकाल पड़ जाता है तो इन बातों का कन्सीडरेशन नहीं किया गया है । खेती में सर्टेन्टी नहीं है कि निश्चित रूप से हर साल इतनी ही आमदनी होगी । ऐसी स्थिति में नियम बनाते समय यदि आप यह भी सोचते कि अकाल जिस समय पड़ गया उस समय हमारा एवरेज किस आधार पर आंका जायगा । इनके आधार पर कोई कन्सीडरेशन नियम बनाते समय नहीं किया गया है ।

Page No 72

(श्री विजयसिंह झाला)

सभापति महोदया, साथ ही साथ जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार १,३७,८७,२६४ एकड़ भूमि ऐसी है जो कि किसानों में वितरित हो सकती है। मेरी समझ में नियम बनाते समय इस प्रकार का कोई प्रावधान रखें कि जो जमीन वितरित हो सकती है उस जमीन को वितरित किया जाय ताकि सीलिंग के अन्दर कुछ एरिया ज्यादा दे सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : इस रिपोर्ट के बाद तो लाखों एकड़ जमीन एलॉट हो चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदया, हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस वक्त यह रिपोर्ट हुई उसके साथ साथ ही लैण्डलेस की जो संख्या थी वह ३,७६,३६० थी इसके अनुपात से तो १८३ एकड़ पर परिवार जमीन पांती आती है जो कि ३० स्टेण्डर्ड एकड़ से ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में लैण्डलेस को ३० स्टेण्डर्ड एकड़ देना चाहते हैं तो जितनी जमीन कृषि योग्य पड़ी हुई है आपकी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार और उस भूमि को वितरित कर देते हैं तो लैण्डलेस की समस्या साल्व हो जाती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जहां कि ८३ पर्सेन्ट किसान हैं उन सारे के सारे ८३ पर्सेन्ट किसानों को खेती पर निर्भर नहीं करना है बल्कि उद्योगों की तरफ भी उनको बढ़ाना होगा। केवल उतनी सी जनसंख्या खेती पर निर्भर रखे जिससे कि खेती से आपका स्टेण्डर्ड जो नेशनल इनकम के आधार पर रहना चाहिये उसे कायम रख सके और उसके आधार पर जो स्टेण्डर्ड एकड़ से आपका प्रोडक्शन होता है उसके आधार यदि आप मानते है तो कम से कम ६०० मन गेहूं होगा तभी उनकी आय ३६००)रु० की हो सकती है क्योंकि हम जब सारा खर्चा निकालें, उसमें सारी मजदूरी निकालें, खाद की कीमत निकालें, बीज देते हैं उसकी कीमत निकालें, तो जब तक जो एक्सपेन्डीचर खेती के लिये होता है, सारी बातें नहीं निकालेंगे तो विधेयक के आधार पर इन्कम निश्चित की है वह भी फेल होती है। साथ ही साथ जिन प्रान्तों में, हम पंजाब को देखें, पंजाब ने शुरू में सीलिंग १०० स्टेन्डर्ड एकड़ किया था। उसके बाद ५० एकड़ किया और उसके बाद सन् ६२ में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर आये। ऐसी स्थिति में जिस फेमिली को आप आज ३० एकड़ देते हैं, उसके समझिये तीन लड़के है वे तीन साल बाद अलग होते हैं अथवा मेजर होते हैं तब वह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ १० प्रत्येक कुटुम्ब में बंट जायगी। जो लैंडलेस नहीं हुए थे वे तीन साल बाद होगे। जो १५ गुणा लगान मुआवजा लेकर जमीन देंगे उन्हें मार्केट वेल्यू से वापिस खरीदनी होगी। इस प्रकार लैंडलेस तीन साल में फिर पैदा होंगे, तो जो आधार पंजाब ने लिया या वह यहां भी लेते तो तीन साल बाद लैंडलेस होने की स्थिति नहीं आती।

सभापति महोदया, साथ ही साथ मैं ऐसा मानता हूं कि जो उन्नतिशील देश हैं वहां पर खेती करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम की है अमेरिका में १५ प्रतिशत लोग सारे अमेरिका को खाद्यान्न दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या चाहते है ? हमारे राजस्थान के ८३ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहें, यही हम उन्नति करना चाहते हैं। इसको मैं ठीक नहीं मानता क्योंकि खेती

(श्री विजयसिंह झाला)

करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी।

इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी में बिल गया उससे पहले जहां २०० मन जिस जमीन का प्रोडक्शन माना था उस जमीन का प्रोडक्शन किस फेक्टर के आधार पर ३०० मन मानते हैं? मैं नहीं समझता कि जो सर्वे पहले किया था उसमें २०० मन उपज मानी उसी जमीन की आज ३०० मन की उपज किस आधार पर मानते हैं? मैं इसका उदाहरण कोटा डिविजन से दूंगा। फर्स्ट रिपोर्ट में जिस जमीन की २०० मन उपज मानी थी अब उसका ३०० मन कर दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि सारा का सारा सर्वे आपके अफसरों ने टेबल पर बैठ कर किया है। गांवों में जाकर प्रेक्टिकल नक्शा बनाया जाना चाहिये था वह नहीं बनाया, इसलिये सही नहीं बनाया है।

साथ ही साथ जो प्रोडक्शन बताया है उसके आंकड़े रखता हूं। नागोर में १३.४ प्रति एकड़ प्रोडक्शन हुआ वहां १२५ एकड़ दी है। पाली में ९.२४ मन उपज है वहां ७५ एकड़ दी है। बूंदी में १०.३ है वहां ६० एकड़ दी है। कोटा में सबसे कम है, वहां ३० एकड़ दी है। जहां ४.३ है वहां होना यह चाहिये था कि ३०० मन के आधार पर ७५ एकड़ रखनी चाहिये थी उसके बदले में ३० एकड़ दी। प्रोडक्शन के आधार पर फेक्टर्स सही नहीं हैं, इनकम के आधार पर सही नहीं हैं। ऐसी अवस्था में जो रूल्स बनाये हैं वे मूल एक्ट के विरुद्ध पड़ते हैं।

माननीय सभापतिजी, जो आपने एग्ज़ेम्पशन दिया है उनके बारे में भी मैं स्पष्ट करता हूं। आपने होर्स ब्रीड के लिये एग्ज़ेम्पशन दिया, यह सन् ५८ से रजिस्टर्ड होना चाहिये था। उस समय यह मिलिट्री स्कीम थी। आपके कोई नियम नहीं थे और जो एग्ज़ेम्पशन दिया उसका फिक्स रास्ता नहीं था, इसलिये जो एग्ज़ेम्पशन देना चाहते हैं वह नहीं दे सके।

इसी प्रकार आपने वैल मेनेज्ड फार्म्स के लिये प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं यह इतना कठिन है कि आप बता नहीं सकेंगे कि कौन से फार्म वेल मेनेज्ड हैं। सारे पंजाब में ४ वेल मेनेज्ड फार्म्स माने हैं जब कि पंजाब में खेती अपने से कहीं बढ़ी हुई, उन्नत है। वहां जब कि चार वेल मेनेज्ड फार्म्स माने हैं तो राजस्थान में आप कितनों के इसके अंतर्गत एग्ज़ेम्पशन देंगे। साथ ही साथ यह है कि आप चाहते हैं कि जिसके पास अधिक साधन हैं उसको अधिक एग्ज़ेम्पशन दे दें। जो खेत में मेहनत करता है उसको खेती के लिये ज्यादा जमीन नहीं मिली तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है उसके लिये सरकार की तरफ से अधिक लैंड का प्रावधान होना चाहिये, कर्जा और मिलना चाहिये। ताकि आगे जाकर एग्ज़ेम्पशन सही रूप में ले सकें।

माननीय सभापतिजी, जो ट्रान्सफर के लिये आपने प्रावधान किया है उसके बारे में भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे दल की मान्यता यह है कि आपने सन् ५८ के बाद सब को अमान्यता दी है। सन् ५९ के बाद भूमिहीन को भी ट्रान्सफर लैंड की है तो उसको भी मान्य नहीं किया है लेकिन ५९ के

(श्री विजयसिंह झाला)

बाद जो ट्रान्सफर्स हुए, रजिस्ट्रेशन्स हुए, तहसील ने रिकोग्नाइज् किया है, मैं समझता हूं ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास नहीं है और जिन भूमिहीनों ने ऐसी जमीन ली है या जिसने ली है वे किसान थे तो ऐसी हालत मेंआपउनको यदि इजेक्ट करते हैं तो उन किसानों को नुक्सान नहीं होगा। जिन्होने भूमि दी है वल्कि जिन्होंने भूमि ली है उनको नुक्सान होगा ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This point is not in issue. The only point in issue is the 'rules' which are placed on the Table of the House.

श्री विजयसिंह झाला : मेरा दल क्या चाहता है, यह बता रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस समय सीलिंग बिल सदन के सामने आया और उस पर बहस हो रही थी उस समय ये बातें कहनी चाहिये थीं, सिलेक्ट कमेटी में यह बात कहनी चाहिये थी। एक्ट बनने के बाद अब रूल्स बन रहे हैं, जो चीज पहले पास हो चुकी है उस पर कहना रिलेवेन्सी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या गवर्नमेंट यह एश्योरेन्स देती है कि एक्ट के परे नहीं जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम यहां पर रूल्स जो बन रहें हैं उन पर विचार कर रहे हैं। एक्ट से इन्कन्सिस्टेन्ट न होते हुए और कोई सुझाव इनकोर्पोरेट हो सकें तो वैसे सुझाव आने चाहिये, जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टी हो सकती है उसको रूल्स से रफा कर सकते हैं; तो ऐसे सुझाव आने चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य यह सुझाव रख रहे हैं कि कुछ अमेंडमेन्ट्स होने चाहिये। गवर्नमेंट यह कह रही है कि बिल पहले पास हो चुका है। मैं एश्योरेन्स यह चाहता हूं कि क्या गवर्नमेन्ट....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एश्योरेन्स का सवाल नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह था कि जिस वक्त विधेयक हाउस में डिस्कस हो रहा था उस समय कहना चाहिये था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ने उस समय कठोर नियम नहीं बनाये कि जमीन बेचना मना है। उस समय आपने रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं किया ? क्यों नहीं आपने तहसीलों को ऑर्डर्स दिये कि इस तरह के रजिस्ट्रेशन्स नहीं होने चाहिये। क्यों नही इस बात का स्टेप लिया कि जमीन बेचना नाजायज् है ? इसके बारे में पहले कार्यवाही करनी चाहिये थी। इस प्रकार की ढ़िलाई रखने से हजारो ट्रान्सफर्स हो चुके हैं, हजारो लोग जमीन ले चुके हैं तो हमे सोचना पड़ेगा नियम बनाते समय। उस समय विधेयक बनाया था उसको कार्यरूप में परिणत करने में ढिलाई की है तो अब उसके बारे में सोचना होगा। इसके साथ साथ जिन्होने जमीन बेची है, चाहे ५००० में बेची हो, रजिस्ट्रेशन कम रुपयो का हुआ है। यहां तक कि दो दो हजार की जमीन का बेचान पंचायतों के मारफत हुआ है, १००) रु० से कम कीमत लिखा, अब यदि आप उन सब किसानों से जमीन वापिस ले लेते हैं तो वे क्लेम करेंगे आपके नियमों के अनुसार उनके पास डोक्यूमेन्टरी प्रूफ हैं उसके आधार पर ही

(श्री विजयसिंह झाला)

क्लेम कर सकते हैं। अतः जो मूल विधेयक है उसमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिये लाना पड़ेगा कि यह बात मूल विधेयक के विपरीत नहीं जाती इसलिये नहीं जाती कि जिन्होंने जमीन ली है वह लैंडलैस है। इस बारे में हमारा स्पष्ट मत है।

साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जो आपने नियम बनाये हैं और स्टेन्डर्ड एकड़ के आधार पर जो आपने इन्कम नियत की है वह सोशियल जस्टिस के आधार पर नहीं है। आधार बनाते समय नियम में यह नहीं देखा कि पिछड़े हुए क्षेत्र मे किसान जो औजार काम मे ले रहे हैं वे किस प्रकार के है। वहां आज किस प्रकार किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह बात नहीं देखी और उनकी आवश्यकता किस बात की है, इस बात को भी नही देखा। इन सारी बातों को देखते हुए मैं अर्ज करूंगा कि ये नियम बने हैं इसमें बहुत सी बातों को कन्सीडर किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया।

साथ ही साथ कम्पेन्सेशन के बारे में हमारे दल की मान्यता यह है कि किसानो को जमीन आप स्वयं क्यों बेचते हैं, इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यो लेते है? आप नियम बना दें और उन्हें अधिकार दे दें कि एक दो माह में लैंड लैस आदमियो को वे जमीन बेच सकते हैं। साथ ही आप एक एकड़ की कीमत निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो बर्डन आप के ऊपर आयेगा और इस सम्बन्ध में जो खर्चा करने आप जा रहे हैं उससे आप बच जायेंगे।

सभापति महोदया, इसमें बहुत सी अस्पष्ट बातें हैं और एम्बीग्युटीज़ हैं, उनको निश्चित करने का अधिकार कलेक्टर को दिया है। दूसरे, आपने फेमिली की परिभाषा में एक शब्द 'dependent' रखा है, वह इस प्रकार का वेग है कि उससे कई अर्थ निकल सकते हैं। इसको निश्चित कौन करेगा? तहसीलदार या एस. डी. ओ। इससे भ्रष्टाचार आगे जाकर फैलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एम्बीग्युटीज़ इसके अन्दर हैं वे संशोधन के द्वारा स्पष्ट हो जानी चाहिए।

मैं गंग कैनाल की भी एक समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। एक रिप्रजेन्टेशन आपके पास लोगो ने किया है जो कि आपके सामने आया होगा। जो नहर के द्वारा संचित भूमि है उसको आपने एक नम्बर की जमीन माना है। उनकी शिकायत है कि कैनाल का जो पानी ३६५ दिन चलना चाहिए, वह न चल कर जिस ताकत से आप पानी भेजते हैं; उससे दो सौ दिन पानी चलता है। इसके साथ ही जो भूमि सौ एकड़ सिंचित होनी चाहिए वह न होकर साठ एकड़ भूमि सिंचित होती है और उसमें से भी ३६ एकड़ रबी की फसल के समय और २४ एकड़ खरीफ की फसल के समय। आप नम्बर देते हैं और जो फेक्टर आपने तय किया है वह सौ एकड़ का है। यह जो फेक्टर्स हैं मैं समझता हूं कि यह सारी स्थिति आपने सर्वे के आधार पर नहीं निकाली है और जो वेल्यू आप निकालना चाहते थे वह निकल नहीं रही है। इसके अलावा इण्डो-पाक पेक्ट हुआ है उसके अनुसार गंग कैनाल को जितना पानी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है और तेरह साल तक वह नहीं मिलेगा। इस आधार पर जो पानी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने के कारण क्या इफेक्ट हुआ है, इसे आप सदन के सामने स्पष्ट करेंगे।

(श्री विजयसिंह झाला)

माननीय सभापति महोदया, आपने सदन में एक बार डिक्लेअर किया था, कुए के द्वारा सिंचित भूमि है उसको आपने बारानी माना है, लिफ्ट इर्रीगेटेड जितना लैंड है उसको बारानी माना है। जिस वक्त फेक्टर का अध्ययन किया, उसमें इस जमीन को चौबीस नम्बर दिया है, जब कि बारानी के अनुसार १६ नम्बर के अन्दर उसको मानना चाहिए था। मूल विधेयक में जो प्रावधान है, उसके सब सेक्शन के अनुसार वेल इर्रीगेटेड और लिफ्ट इर्रीगेटेड लैंड का नम्बर आपको बारानी कन्सीडर करना चाहिए था, लेकिन वह बारानी न मान कर चौबीस नम्बर मानेंगे तो आप मूल विधेयक के विपरीत जायेंगे।

साथ ही साथ रेवेन्यू लॉ कमीशन आपने बैठाया है वह इसलिए बैठाया है कि जितने भी हमारे राजस्थान के अन्दर भूमि सुधार कानून बनाये गये हैं उन कानूनों का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, वह उनका अध्ययन करे और इस सदन के सामने उसकी रिपोर्ट पेश करे। मैं समझता हूं कि वह रिपोर्ट आये तब तक नियमों को लागू न करके इन नियमों के अन्दर उस रिपोर्ट के आधार पर परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए जब तक रिपोर्ट को कन्सीडर नहीं किया जाय तब तक इन नियमों को स्थगित करके........

(विद्युत प्रकाश अदृश्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका दल इन नियमों को और सीलिंग को जल्दी लागू करने के पक्ष में नहीं है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : हमारा दल इसके पक्ष में है। लेकिन जो रूल बनाये गये हैं, वे रूल्स बनाये गये है विलम्ब से........

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चाहते हैं कि रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट आये तब तक नियम स्थगित कर दिए जायं। यह आपके दल की राय है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं अर्ज कर रहा हूं नियम देर से बनाये है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : है यहां। कहना नहीं चाहते।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय सभापतिजी, दरअसल जिस वक्त माननीय सदस्य बोलेंगे, वे चाहेंगे कि श्री श्योपतसिंह का एरिया और बढ़ा दिया जाय, जैसा मुरलीधरजी ने कहा है कि बीकानेर का बढ़ा दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपके नेता को सुनना चाहता हूं। वे है नहीं। वे बच कर निकल जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं स्पष्ट कर दूं कि जनसंघ चाहता है कि सीलिंग होना चाहिए। लेकिन जो नेशनल इन्कम मानी है, उसके हिसाब से सीलिंग एरिया नहीं देते हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। छः हजार की इन्कम जब तक नहीं हो तब तक सामान आदि और खेती का खर्चा इन्कम में से नहीं निकल सकता। इन सारी बातों को कन्सोडर नही किया गया है। इसलिए मैंने ये सारी बातें कही थी।

जो रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके आने में दो-तीन साल नही लगने वाले

Page No 77

(श्री विजयसिंह झाला)

हैं। वह सबमिट हो गई है और दो-तीन महीने में आने वाली है। आप यह आशा करें कि लड्ढा साहब आज घोषणा कर देंगे कि सीलिंग राजस्थान में लागू कर दी जायगी, ऐसी आशा नही करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी दल में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे ज्यादा विरोध कर रहें हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : विरोध कर रहे हैं आप भी।

श्री विजयसिंह झाला : जनसंघ यह चाहता है कि सीलिंग लागू हो। जनसंघ यह भी चाहता है कि सीलिंग जल्दी से जल्दी लागू हो। लेकिन जनसंघ इस रूप के विरुद्ध है क्योंकि इतनी जल्दी करने से किसान पर बोझ डालना होगा। इसलिए इसमें इतनी जल्दी न करें कि जो जमीन बेची हुई है वह वापिस ले लें। इतनी जल्दी न कर दें कि किसानों का जो स्टेन्डर्ड है वह और भी गिर जाय, क्योंकि जितनी सहूलियत आप देना चाहते हैं और जो आगे जाकर स्टेन्डर्ड कायम करना चाहते हैं वह एल. डी. सी. के मुकाबले में भी कम होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अमरसिंह दूदू।

श्री अमरसिंह (दूदू) : माननीया सभानेत्री महोदया, भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में बनाये गए नियमो को मैंने पढ़ा और कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो नियम हैं वे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक भूंगल कवि हुए हैं, उनकी कविता इस प्रकार की है जो आज की परिस्थिति से और समाज से तालमेल नहीं खाती है, उसी प्रकार ये नियम आज की परिस्थिति से तालमेल नहीं खाते। इसलिए इन्हें भूंगल नियम की उपाधि दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। सबसे प्रथम मैं विशेष तौर पर उन सिद्धान्तों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन सिद्धान्तों पर आज हर एक जिले, हर एक गांव में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसका जो आधार है वह सैटलमेंट डिपार्टमेंट के सैटलमेंट का भाव का आधार है। उस वक्त सेटलमेंट ने देखा था कि कौनसी जमीन में कौनसा अनाज पैदा होता है और एक एकड़ में कितना होता है। जो फीगर आये उनकी कीमत मार्केट रेट से मालूम की गई और उसके बाद गेहूं के भाव में रूपान्तर करके देखा गया कि किस जमीन में कितनी उपज होनी चाहिए। लेकिन उस आधार मे बहुत गलती है क्योंकि जैसा आपको मालूम है, एक समय भूमि का मालिक भू-स्वामी हुआ करता था और जमीन की जुताई करने वाला काश्तकार दूसरा व्यक्ति हुआ करता था। उस समय जब सेटलमेंट होने की नोबत आई तो भू-धारियों ने सोचा कि अपने यहां भी भूमि का सेटलमेंट करना चाहिए। इसलिए उन्होने ऑफिस खोला और सेटलमेंट का स्टाफ रखा और सेटलमेंट अपने खर्च से करवा लिया। आप यह देखिए कि हजारों रुपया खर्च करके जो सेटलमेंट करवाया वह इसलिए नहीं करवाया कि जमीन की कीमत गिर जाय। यह नहीं हो सकता, बल्कि इस-लिए करवाया कि जमीन की आमदनियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ें। यह हो सकता है और इसीलिए ज्यादातर स्थानों की पैदावार ज्यादा

(श्री अमरसिंह)

दिखाई। उस आधार को लेकर हम जमीन का सीलिंग कर रहे हैं तो उन लोगों को उस गलत आधार पर जमीन कम मिलेगी। इस तरह से किसानों की दुबारा हजामत और बन जायगी। पहली हजामत उस वक्त बनी थी जिस वक्त लैंड रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ता था और दूसरी बार अब जब कि जमीन कम मिलने वाली है। इसलिए जो पुराने सेटलमेंट के आधार पर सीलिंग किया वह कतई गलत है।

दूसरा, जो यह सेटलमेंट हुआ है उसके ऊपर अर्ज करना है; सेटलमेट के Factors का हिसाब लिया है वह ठीक तरह से नहीं की गई है। अगर हम कैनाल एरिया की भूमि और दूसरी नदी के पास में है, उसके ४० factors कायम किये हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मालूम होगा कि "बारानी" भूमि जैसे बाड़मेर में है और जयपुर में भी है, जयपुर में सिंचित जमीन भी है और बारानी जमीन भी है। इसमें और उसमे २।। गुणा फर्क है। यह क्या न्यायोचित है। यह तीसरी हजामत किसान की बनती है।

इसके बाद सभापति महोदया, मैं दूसरे पोइन्ट जो सीलिंग रूल्स के बारे में हैं निवेदन करना चाहता हूं।

एग्जेम्पशन्स में मेकेनाइज्ड फार्म, डेयरीज वगैरह इन सब चीजों को छूट दी गई है, एग्जेम्पट की गई हैं। रूल्स में बताया है कि १ मई, १९५९ से पहले पहले के जो फार्म्स हैं जिनके पास जमीन है और जो रजिस्टर्ड हैं उनको एग्जेम्पशन दिया है। जब रूल्स बनने लगे और उन रूल्स के अन्तर्गत जो फार्म १९५९ से पहले रजिस्टर्ड थे उनको इसके अन्तर्गत माना जावे, यह पेरेंट एक्ट में नहीं है कि वे रजिस्टर्ड हों, किसान गांवों में रहने वाले होने के कारण इससे इग्नोरेन्ट हैं और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और उसकी जमीन जो उसके पास पड़ी थी और बेरोजगारी का प्रश्न था, उसने वहां डेयरी फार्म बना लिया और कोई दूसरा फार्म बना लिया तो, यह आप अब ला रहे हैं वह प्रिन्सीपल एक्ट की मंशा के खिलाफ होगा। इसलिए इसमें यह संशोधन होना चाहिए कि जिनके पास वाकई में पहले डेयरी फार्म थे उनको मान लिया जाना चाहिए।

इसके बाद कोओपरेटिव फार्म्स हैं, उनके बारे में आपने रूल बनाया है कि उनको एग्जेम्पशन देने के मामले में आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज से इस बात की इन्क्वायरी करेंगे कि यह फार्म प्रोपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं और इसको एग्जेम्पटेड माना जावे। मैं यह कहूंगा कि इससे आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट की मखौल उड़ाना होगा। जो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो रजिस्टर्ड होते हुए भी नाम मात्र की है फिर भी वे फंक्शन करती हैं, तो यह कोऑपरेटिव विभाग का फर्ज है कि वह इस बारे में जानकारी करे और इन्क्वायरी करावे कि कौन कौन सी सोसाइटीज प्रोपरली फंक्शन कर रही हैं और अगर कोई सोसाइटीज प्रोपरली फंक्शन नहीं करती हैं तो उनको बन्द कर दिया जावे।

तीसरी, एग्जेम्पशन आपने एग्रीकल्चरल फार्म को दी है। इसके बारे में आपने एक लम्बी लिस्ट रखी है, एग्रीकल्चर की एक किताब उठा कर रख दी और इसमें क्या क्या तरक्की हो सकती है, वे सारी की सारी बातें आपने

(श्री ग्रमरसिंह)

इसमें लागा दी हैं। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि इम्प्रूवमेंट के जितने तरीके हैं वे सब यहां पर ग्राजमाये जावें। देखा यह जाना चाहिये कि यातायात के साधन ग्रौर जमीन को देखते हुए कौन से तरीके ठीक पड़ते हैं। इसलिये एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ग्रॉफिसर रहता है ग्रौर वह एक्सपेरीमेन्ट करता है ग्रौर सिफारिश करता है कि कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन से तरीके ग्रपनाने चाहिये। इसमें रूल्स बनाने वालों को यह देखना चाहिये कि जो सिफारिशें समिति ने की हैं उनको उन्होंने कहां तक माना ग्रौर ग्रपनाया है ग्रौर यह जरूरी नहीं है कि एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर हर एक बात की जावे। एक्सपेरीमेन्ट करने का काम गवर्नमेंट का है ग्रौर रिसर्च वहां हो सकती है।

इसके बाद में किस फार्म को मंजूर किया जावे ग्रौर किस को नामंजूर किया जावे उसके लिये एक स्पेशल बोर्ड का भी प्रावधान रखा गया है। इसके लिये रूल ३० के भाग (३) में लिखा है कि कृषि निपुण ग्रौर कोग्रॉपटेड मेम्बर्स भी सदस्य होंगे। कोग्रॉप्टेड मेम्बर्स सरकार की तरफ से इसमे लेते हैं, यह तो ठीक हैं; लेकिन जो कोग्रॉपटेड सदस्य रखे है वे क्या पिछड़े हुए वर्ग में से होंगे, या स्त्रियों में से होंगे या समाज सेवा करने वाले होंगे। ग्रतः यह साफ नहीं है, इसको भी साफ बताना चाहिये। ग्रौर दूसरे सदस्यों में जो डाइरेक्ट ग्राते हैं उसका कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं रखा गया है। डाइरेक्ट ग्राने वाले सरपंच ग्रौर एम. एल. ए. महोदय को लिया गया है। या ग्रगर किसी को शिकायत हो तो कोग्रॉप्टेड मेम्बर कृषि निपुण वगैरह को हटा दीजिये ग्रौर कोई एस. डी. ग्रो. के स्तर के व्यक्ति को वहां पर रखिये, वह यह फैसला करेगा कि कौनसी एप्लीकेशन मंजूर को जावे ग्रौर कौनसी नहीं की जावे। इस प्रकार मेरा निवेदन है।

जहां पर ये झगड़े हो जाते हैं कि कौनसी एप्लीकेशन मंजूर की जावे ग्रौर कौनसी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की जावे; तो इसके लिये गवर्नमेन्ट निर्णय करेगी ग्रौर गवर्नमेंट का फैसला ग्राखिरी होगा। इस जगह ग्राकर सरकार की मंशा का पर्दा-फाश हो जाता है। जो लोग गवर्नमेंट का साथ नहीं देते हैं उनका एग्जेम्पशन नहीं किया जावेगा ग्रौर जो लोग सत्ता का साथ देते हैं उनको एग्जेम्पशन कर दिया जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह काला कानून है ग्रौर यह लोगों को गुलाम बनाने के लिये काला कानून बन जावेगा।

चौथी बात यह है कि जो भूमिहीन हैं उनको जमीन दी जावे। मगर जमीन के ग्रलॉटमेंट का तरीका यह है कि इसके लिये पॉवर्स तहसीलदार को दे दी गई हैं ग्रौर भूमिहीनों की डेफिनिशन को वाइड करके ग्रापने यह रखा है कि जो खेती करता है उसको दे दी जावे। मगर होना यह चाहिये कि जो खेती करता है ग्रौर भूमिहीन है उसको दी जावे। इस प्रकार ग्रापने तहसीलदार को ग्रधिकार दे दिये हैं ग्रौर वह जिन लोगों को चाहे उनको दे देता है। इसलिये इसको रोकने के लिये ग्रच्छा यह हो कि जो लैंड बेकार पड़ी है वह भूमि लोगों को देने के लिये एम. एल. ए. वगैर की Allotment Committee हैं उनको ग्रधिकार क्यों नहीं दिया जाता है कि वे उस जमीन का वितरण करें? ग्रतः इसमें यह संशोधन भी होना चाहिये।

(श्री अमरसिंह)

इन बातों के अलावा कुछ पोइन्ट्स ऐसे हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके लिये माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि इसका डिसीजन अभी नहीं होना चाहिये। आप इन रूल्स को अभी अमल मे लाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि इनको अमल में नहीं लाना चाहिये, क्यों नहीं लाना चाहिये, इसलिये कि यह प्रिन्सिपल एक्ट में कमी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर १९५९ के बाद के ट्रान्सफर्स ऑफ लैंड हैं उनको नहीं माना जा रहा है तो जिन लोगों ने कुछ जमीनें ले लीं और उसको बेच दी हैं उनको फिर से विस्थापित करना चाहते हैं, तो जिन लोगो ने जमीनों के इस प्रकार से कार्य किये हैं और जमीन को वापस करवाना चाहते हैं, यह उचित नहीं होगा। अतः इसके लिये मूल एक्ट में संशोधन करके इस एक्ट को लागू नहीं किया जावे तब तक ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरा एग्जेम्प्शन जागीरदारों की खुदकाश्त की जमीन के बारे में है। १९५२ में जब जागीर एबोलिशन एक्ट पास हुआ था तो जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि का निर्धारण हो चुका था। एक तरह से सीलिंग उनके लिये उस जमाने में ही हो गया था। इस सम्बन्ध में यह प्रावधान है :

"जागीरदार उसकी जागीर में से ३० एकड़ से लेकर ५०० एकड़ तक जमीन ले सकता।",

जमीन दी गई, उन्होंने लोन्स लिये, जमीनें बेची और अपनी खुदकाश्त की जमीन को इम्प्रूव किया। अब १० साल बाद मोहम्मद तुगलक की स्कीम काम में लाई जा रही है, फिर वही मुआवजा दिया जायगा, आबाद किया जायगा।

तीसरा एग्जेम्प्शन राजाओं के बारे में है। जब उनसे अलग से संधि हुई, उन्हें उसमें छूट दी गई, दूसरे प्रान्तों में भी छूट दी गई है, तो यूनिफॉर्मिटी के लिहाज से जरूरी है कि यहां पर भी छूट दी जाय।

बहुत सी बातें भूदान से सम्बन्ध रखने वाली जमीनों के सम्बन्ध में हैं, भूदान के सम्बन्ध में लोगो ने हजारों बीघा जमीनें दी हैं, और भी देंगे। एक्ट में यह प्रावधान हो कि किसी को देना चाहें तो देंगे। भूदान में जमीन दी गई है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार इन सब चीजों को देखते हुए मेरा सुझाव है कि सीलिंग रूल्स को इतना जल्दी लागू नहीं किया जाय, यह समाज के लिये हितकर नहीं हैं। यह कतई अनइकोनोमिक है, इससे किसान खुशहाल नहीं हो सकेंगे। जब ३०० मन गेहूं और ३६०० रुपया आमदनी की उच्चतम सीमा रख कर खेती में सीलिंग कर रहे हैं तो दूसरे धन्धे करने वाले, व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों में यह क्यों नहीं करते ? उन पर यह नहीं करके इन पर ही करते हैं तो यह उचित नहीं है। ३६००) रु. की सीमा जो रखी है वह इनकी ग्रोस इन्कम है, नेट इन्कम निकालने के लिये यह करना होगा कि सेटलमेंट का फोर्मूला है कि १/६ बांटा लैंड रेवेन्यू कर दिया है तो ३६०० में से ६०० रुपये तो लगान के चले जाते हैं, ३०० रुपये जो आपने नया सैस लगाया है उसके चले जाते हैं। ३०० मन अनाज पैदा करने के लिये कम से कम

(श्री अमरसिंह)

५०० रुपये का खाद चाहिये, फिर बीज के लिये चाहिये। इन सबको जोड़ कर नेट इन्कम निकालेंगे तो पता चलेगा कि १२ आना प्रतिदिन की एक एग्रीकल्चरिस्ट की आमदनी रह जाती है। तो क्या आपकी सारी प्लानिंग स्कीम्स के अमल में लाने के बाद, इरिगेशन की स्कीम्स चालू करने के बाद किसान की आमदनी १२ आना प्रतिदिन रह जाय, इसमें आप संतोष अनुभव करते हैं ? इन १२ आने में वह अपने बच्चों की शिक्षा, अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण का काम चलाये, इसी में अकाल और आपकी बचत योजना, ये सब सवाल हैं, तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

अन्त में मेरा निवेदन है कि यह एक काला कानून है; अतः यह आपकी वेस्ट पेपर बास्केट की शोभा बढ़ाये तो अच्छा है, प्रिंसिपल एक्ट में संशोधन नहीं हो जाय तब तक।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्णकुमार।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, आज हम एक महत्वपूर्ण एक्ट के तहत बनाये गये महत्वपूर्ण रूल्स पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि मैं समझता था रूल्स का विवेचन कुछ समय बाद में आयेगा क्योंकि एक्ट के प्रावधान में लिखा हुआ है कि आरम्भ में गजट में रूल्स छाया हो जाने के बाद आपत्ति प्रस्तुत करने की स्थिति के बीत जाने पर दुबारा गजट में रूल्स छाया होंगे, फिर उन्हें यहां विधान सभा में लाया जायगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा था; पर ऐसा नहीं करके इन पर यहां विचार प्रारम्भ हो गया है। इस कारण जितना अध्ययन इनका किया जाना चाहिये था उतना नहीं कर पाये हैं। फिर भी थोड़े समय में जो कुछ अध्ययन कर पाया हूं, इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन में प्रकट करूंगा।

मूल टिनेन्सी एक्ट को देखते हैं, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज़ेज़ को लेकर ये रूल्स बनाये गये हैं। जैसे क्लॉज़ ३० (बी) है, इसमें कुटुम्ब की परिभाषा दी गई है, क्लॉज़ ३० (सी) है, इसमें सीलिंग की सीमा बांधी गई है, क्लॉज़ ३० (डी) है इसमें ट्रान्स्फर को वैध घोषित करने अथवा अवैध घोषित करने को डेट निश्चित की गई है, क्लॉज़ ३० (जे). है, इसमें सीलिंग से एग्ज़ेम्प्शन्स दिये गये हैं। ये मूल धाराएं हैं जिनके आधार को लेकर ये रूल्स बनाये गये हैं।

जहां तक इन क्लॉज़ेज़ का प्रश्न है, इन क्लॉज़ पर हमारी पार्टी का कुछ मतभेद है, मैं इस समय इसकी विवेचना में नहीं जाना चाहूंगा। हमारे नेता ने और मेरे से पूर्व वक्ता ने विचार प्रकट किये कि जनसंघ यह जरूर चाहता था कि सीलिंग जरूर आये, पर सीलिंग की सीमा ज्यादा निर्धारित हो ताकि किसान खुशहाल हो सके और जिनके पास अधिक जमीन है उन पर सरकार किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाये, उनको एक निश्चित समय दे दिया जाय जिसमें वे सीलिंग से अधिक भूमि का विक्रय कर दें। इन सब बातों पर बोलने का समय नहीं है। अतः जो रूल्स हमारे सामने आये हैं उन्हीं पर निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सरकार कहने को तो अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है, पर जहां तक भूमि की सीमा निर्धारित करने का सवाल है बार बार प्रेशर डालने पर इस सत्र में मुख्य मंत्रीजी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव आया उसका जवाब दिया तब कहा कि इस वर्ष में सीलिंग ला रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार वास्तव में इतनी जागरूक है, क्या अब भी वह चाहती है कि किसान जो जमीन को जोतता है उसको समय पर वाजिब जमीन मिल जाय, क्या सरकार इन रूल्स की बिना पर यह प्रबन्ध करना चाहती है ? जहां तक मैं इन रूल्स को पढ़ पाया हूं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार ईमानदारी से नहीं चाहती कि जिसके पास जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन जोत कर पेट भरता है उसको किसी प्रकार का फायदा इन रूल्स से मिल सके। इसमें जो रूल ३ है उसके अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि वह मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है वह निश्चित तारीख तक, नोटिस शाया हो जाने के बाद एस. डी. ओ. के पास दर्खास्त पेश करे। सरकार कहने को तो कहती आ रही है कि सीलिंग के जरिये भूमिहीन लोगों को भूमि देंगे, पर आज तक इस सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं कि कौन कौन, कितने मजदूर ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है और दूसरों की जमीन पर मजदूर बन कर अपना पेट भर रहे हैं। सरकार के पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के अभाव में सरकार को मजबूर होना पड़ा है कि वह इसके लिये तारीख निश्चित करे कि वह मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, वह एस. डी. ओ. के पास दर्ख्वास्त दे कि मुझे जमीन दीजिये, मेरे पास जमीन नहीं है। वह मजदूर जिसके ऊपर आज भी गांवों में अत्याचार जारी हैं, जो अपने अधिकारों के लिये लड़ नहीं सकता, जो पढ़ा-लिखा नहीं, उस मजदूर से आप आशा करते है कि वह अपने हुकूक हासिल करने के लिये आपके पास आ कर कहे कि मेरा जमींदार, मेरा पटेल है उसके पास ५०० बीघा जमीन है, उसमें से मुझे जमीन दीजिये। पहली बात तो यह है कि वह पढ़ा-लिखा नहीं, उसके पास पैसा नहीं, उसमें अपने हक हासिल करने की सामर्थ्य नहीं, वह वकील करेगा, वकील से दर्ख्वास्त दिलायेगा, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन्स इन्वाइट किये जायेंगे तब कहीं निर्णय लिया जायगा। तो यह सरकार की उचित नीति नहीं है। यदि सरकार वास्तव में उचित रूप से सीलिंग लाना चाहती है और भूमिहीनों को वास्तव में जमीन देनी चाहती है तो रूल ३ जो बनाया गया है उसमें संशोधन किया जाय। रूल ३ में प्रावधान रखा है। लेकिन तहसीलवाइज, गांव-वाइज आप लिस्ट बनायें और उसमें स्पष्ट रूप से बतायें कि इस इस जगह इतने भूमिहीन हैं, और इनको भूमि देना उचित है। सरकार की ओर से लिस्ट निकल जाने के बाद कोई भी बच जाए तो उसमें एक प्रावधान यह और रखा जाय कि जिस किसी भूमि-हीन का नाम नहीं आया है तो वह इतनी अवधि के अन्दर जाकर एस. डी. ओ. के पास जाकर उसको दरख्वास्त देकर नाम अपना उसमें लगवा ले। मैं सोचता हूं, सभापति महोदया, मैं यह कहना भी उचित समझूंगा कि सरकार को यह विदित होगा कि टीनेन्सी कानून में धारा १५ और धारा १६ रख देने पर भी कितने काश्तकारों ने अपने हकों को प्राप्त किया है। वे उसी प्रकार से आज भी महरूम हैं उनका पटेल और जमीन्दार आज भी उसी प्रकार शोषण करते

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं। आज भी वे अपने खातेदारी राइट्स को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। कुछ ही लोग होंगे जो या तो मुकदमे बाज होंगे, जिनको मुकदमे बाजी की आदत है, उन्होंने इन धाराओं के के अन्तर्गत हक प्राप्त किये होंगे। धारा १५ और १९ के अन्तर्गत राजस्थान के अन्दर कोई काश्तकार नहीं बचना चाहिये था जिनको खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिये थे लेकिन उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले। कारण क्या ? कारण यही है कि वे काश्तकार इससे अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं। यदि सरकार भूमिहीनों को वास्तव में जमीन देना चाहती है तो रूल ३ में प्रावधान करके सरकार स्वयम् उनकी सूची बनाये जिनमें भूमिहीनों के नाम अंकित हों।

दूसरा रूल आता है नं० ९। यहां पर भूमिहीनों की बात है। रूल ९ में बात कही गई, उसके बारे में जिसके पास जमीन है। जो मैंने आपत्ति की रूल ३ के बारे में वही चीज इस रूल के बारे में भी लागू होती है। राजस्थान सरकार के पास आज तक आंकड़े नहीं हैं, तहसील वाइज ग्राम वाइज कि कौन कौन लैंड होल्डर्स हैं जिनके पास सीलिंग के अलावा जमीन बच सकती है। सरकार ने मजबूर होकर यह प्रावधान रखा है जिसमें वह लैंड होल्डर से कहती है कि तुम जाकर एस. डी. ओ. के पास दरख्वास्त दो कि मेरे पास इतनी जमीन शेष रहती है। मैं सोचता हूं कि यह एक मखौला होगा। इस प्रकार का प्रावधान रखा जाना एक मखौल मात्र है। सीलिंग के साथ, टिनेन्सी एक्ट के साथ और हमारी भावना के साथ यह एक खिलवाड़ होगा, यह कह देना कि हम भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं और जिनके पास अधिक है उनसे हम भूमि छीन कर उन भूमिहीनों को देंगे यह एक ढकोसला होगा। सरकार के पास निश्चित आंकड़े होने चाहिये कि यह भूमिहीन है और यह लैंड होल्डर है। ग्राम वाइज सरकार के पास लिस्ट हो इस इस गांव में इतने इतने भूमिहीन और इतने लैंड होल्डर्स हैं। इनके पास इतनी जमीन रहेगी और शेष उनसे ले ली जायगी। इस प्रकार आपके पास प्रावधान होना चाहिये और यह प्रावधान करके गांव गांव में इसका पब्लिकेशन कराया जाय उसके बाद आपत्तियां मांगी जायं और फिर इसका निर्णय हो। किसी प्रकार के आंकड़े नहीं, और कहते हैं कि हम तो राजस्थान में सीलिंग लाना चाहते हैं। मेरी पार्टी का यह मत है कि आप निश्चित सीलिंग लगाइये। जिनको वास्तव में जमीन मिलनी चाहिये उनको निश्चित रूप से जमीन मिलनी चाहिये और जो लैंडहोल्डर्स हैं और जिनके पास अधिक जमीन है उनसे छीनी जानी चाहिये। यह न हो कि रूल्स की शेल्टर लेकर अथवा सरकार का शेल्टर लेकर आदमी बच जाय या उनको बचाना चाहे और वे आदमी महरूम रह जांय जिनके पास जमीन नहीं है और जिनको जमीन मिलनी चाहिये।

इसी प्रकार माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा रूल ३० के बारे में। रूल ३० में बोर्ड का प्रावधान रखा है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, आपको चाहिये था कि जब आपने सबको शामिल कर लिया है तो आपको इस बोर्ड में एम. एल. ए. को भी रखना चाहिये था। जहां तक पोलिटिक्स लाने का सवाल है सब ही लेकर आवेंगे। इसमें विधान सभा का सदस्य होना जरूरी है। जब आप लैंड अलॉटमेन्ट कमेटी में एम. एल. ए. को रख

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सकते हैं तो इस बोर्ड में जहां बड़े से बड़े मसले तय किये जावेंगे, कई बेईमानियां हो सकती हैं, लोगों को फायदे नही मिलने चाहिये लेकिन नाजायज़ तौर से सरकार उनको देना चाहती है तो उस हालत में विधान सभाई क्षेत्र का सदस्य उसमे होना चाहिये और मैं तो यहां तक कहूंगा कि संसद् का भी सदस्य होना चाहिये। विशेष चीज वह नहीं बता सकेगा लेकिन उसके जरूर यह निगाह में होगा कि किस प्रकार वह बेईमानी से बचना तो नही चाहता। एस. डी. ओ. रखा है, भिन्न मेम्बर इसमें रखे हैं। रूल मे आपने यह भी प्रावधान नहीं किया है कि निर्णय किसका फाइनल होगा। मेजोरिटी से निर्णय माना जायगा इस प्रकार का रूल ३० के अन्तर्गत प्रावधान नही किया। स्पष्ट शब्दो में रूल ३० को बताना होगा। या तो चेयरमैन की फाइनल ओपिनियन होगी यह मानना होगा, बहुमत का वह निर्णय है तो वह मानना होगा। इसका प्रावधान स्पष्ट रूपसे करना होगा।

इसी प्रकार सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वह हमारे सामने आवेगी और जिस पर मुझे आज तक शंका है कि सरकार राजस्थान के भूमिहीनों को बसा पायेगी या नही, मुझे डर है कि यह मामला राजनैतिक दलबंदी मे न फंस जाय। म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायतो के चुनाव जल्दी ही आ रहे है। मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि इसी वर्ष ले आवेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन ऐसा न हो कि राजनैतिक दलबंदी में पड़ कर इस आधार पर संरक्षण दें लैंडलैस लेवर की परिभाषा की इस प्रकार घोषणा करें, कोआॅपरेटिव की इस प्रकार घोषणा करें, यह मुझे डर लगता है। सीलिंग आप लायें, मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों के चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलबन्दी के रूप मे इनका इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा और यह सरकार के लिये भी घातक नीति होगी। वर्ना सरकार सीलिंग में सफल होगी। वर्ना कोई तत्व आ जाय और उसको चैलेन्ज करे, वे बच नहीं सकते बशर्ते कि सरकार ईमानदार है, ईमानदारी से सीलिंग करना चाहती है। सरकार की निगाह साफ होनी चाहिये वर्ना जो नीति इस समय है वह तो सरकार को असफल करके रहेगी।

तो सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा प्रावधान है वह है रूल ४३ में। रूल ४३ के अन्तर्गत जो भूमि सीलिंग के बाद बचेगी उसको भूमिहीनों में बांटना है और उसके बाद कोआॅपरेटिव को देना है। एग्जेम्पशन के निर्णय के लिए बोर्ड बना दिया है। लेकिन अलॉटमेन्ट में हर चीज़ हो सकती है। रेवेन्यू का सबसे छोटा ऑफिसर होता है वह तहसीलदार होता है, उस पर आपने यह सब छोड़ दिया है कि वह अन्डर रूल्स अलॉट कर दे। मैं इसके लिए घोर आपत्ति करता हूं। सरकार की नीति की सफलता सबसे अधिक इस रूल ४३ पर ही आधारित है। ठीक प्रकार से भूमिहीनो को जमीन नही मिली, अन्य लोगों को मिल गयी, ठीक प्रकार से वितरित नहीं हुई तो सरकार असफल होगी। तहसीलदार को जो यह अधिकार दिया है उसको ये अधिकार नहीं देने चाहिये। उसके बजाय आज तक जिस प्रकार से लैंड अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा अलॉटमेन्ट होता है उसी प्रकार होना चाहिये।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इस नियम से तो तहसीलदार एस.डी.ग्रो. से भी बड़ा बन गया है। जहां सारी जिम्मेदारी आपने एस.डी.ग्रो. पर डाली है, लैंडलेस कं ग्रॉपरेटिव ग्रादि सब एस.डी.ग्रो. के दिये हुए हैं। इसलिए इस रूल में परिवर्तन होना चाहिये न कि केवल तहसीलदार एडवाइस ले ले। इसके लिए बाकायदा बोर्ड या एडवाइजरी कमेटी बनाये ग्रौर बहुमत के ग्राधार पर निर्णय होना चाहिये कि लैंडलेस कौन है ग्रौर उसको कितनी भूमि मिलनी चाहिये। रूल का जितना मैं ग्रध्ययन कर पाया हूं, सभापति महोदया, उसके ग्राधार पर मैंने सदन का इस ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित किया।

ग्रब मैं विशेष रूप से कोटा क्षेत्र की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। बड़ा ग्रफसोस है, ऐसा मुझे नजर ग्राता है। एक बात चल रही थी, एक मंत्री महोदय ने कहा जनसंघ का कोटा में काम है, लोग जनसंघ के पास जाते हैं लेकिन लोग ग्रापके पास नहीं ग्राते हैं। इसलिए यह नीति ग्रपना कर ग्राप कोटा जिले के साथ भेदभाव की बात कर रहे है। समझ में नही ग्राता है कि नहरी क्षेत्र में २२ एकड़ स्टेन्डर्ड भूमि मानी है।

(७ म० प०)

लेकिन गंगानगर, जो नहरी इलाका है, वर्षों से जहां पर नहर से खेती होती है, में ग्रापने २६ एकड़ रखा है। गंगानगर जहां पर वर्षो से नहर चली ग्रा रही है। वहा का किसान नहर का उपयोग करना जानता है उसके पानी का उपयोग करना जानता है। उससे कोई भी समस्या उत्पन्न होती है उसको दूर करना जानता है, खाद पैदा करना जान गया है, बीज पैदा करना समझ गया है। ग्रौर जहां सीपेज ग्रौर लॉगिंग की समस्या नहीं वहां पर ग्रापने २६ एकड़ रखा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोटा जिले के ग्रन्दर ग्रापने २२ एकड़ रखा है। मुझे समझ में नही ग्राता, गंगानगर में २६ एकड़ रखा है ग्रौर कोटा में जहां उपज भी बहुत कम है वहां २२ एकड़ किस हिसाब से रखा गया है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा नगर के बारे में, जब से नया चुनाव हुग्रा है, बार-बार इस बात को कहा गया है कि कोटा के ग्रन्दर भयंकर रूप से यह सीपेज ग्रौर लॉगिंग की समस्या है। जहां ग्रापने चम्बल बान्ध का निर्माण किया उससे काश्तकारों के दिल में ग्रापके प्रति निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन निष्ठा उत्पन्न होना तो दूर रहा वहां कांग्रेस के प्रति घृणा पैदा हो रही है। जिस क्षेत्र से मैं ग्राया हूं वहां नहर ग्राई है, लेकिन वहां से एक भी कांग्रेसी सदस्य नही ग्राया है। जिस क्षेत्र से नहर होती हुई चली गई, उस प्रत्येक नहरी क्षेत्र से जनसंघ चुनाव जीत कर ग्राया है। जहां ग्रापको वरदान मिलना चाहिए वहां ग्रापको ग्रभिशाप मिला है, सीपेज ग्रौर लॉगिंग हो गया है। वहां पर काश्तकार काश्त नहीं कर सकता, वहां पर पैदावार नहीं होती है, इस तरह से भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोटा जिले के ग्रन्दर नहरी पानी ग्राने के बाद पैदावार कम हुई है। ग्राज से दस साल बाद पैदावार बढ़ेगी-सीपेज कम होगा, लॉगिंग कम होगा तब बढ़ेगी। ग्राज वहां के किसान को यह भी पता नहीं कि मेहनत कब करनी चाहिए जिससे काश्त बढ़ सके। इसलिए ग्राने वाले पांच सालों में तो यह नजर नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आता कि उपज बढ़ सकेगी । आपने कोटा जिले के अन्दर २२ एकड़ को माना है यह किस आधार पर माना है, जब गंगानगर के इलाके में २६ एकड़ मान करके चलते है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका एक्ट बना हुआ है, आपने जो रूल्स बनाये हैं मैं इस सम्बन्ध में अपनी पार्टी का मत नहीं दे रहा हूं, आपने जो नियम बनाये हैं उसी आधार पर निवेदन करना चाहता हूं- कोटा जिले के अन्दर कम से कम स्टेंडर्ड एकड़ ३० एकड़ होना अनिवार्य है । वहां एक बीघा के अन्दर अधिक से अधिक पैदावार ४ मन की मानी गई है । एक एकड़ में दस मन होगी तो इस तरह से तीस एकड़ जमीन होती है । तो वह बात नियम के अन्दर होनी चाहिये ।

जब रूल्स आये थे तो मैं कोटा के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास गया था और मैंने उनसे पूछा था कि इन रूल्स को बनाते समय क्या आपसे राय ली गई थी, आपको यहां के प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया या नहीं ? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है । एक जिले का एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिससे सीधा ताल्लुक रहता है एग्रीकल्चर का, उससे पूछा तक नहीं गया । जिसको एग्रीकल्चर की सब समस्याओं का ध्यान रहता है सीलिंग की सीमा निर्धारण करते समय उससे पूछा तक नहीं गया, यह बड़े अफ़सोस की बात है । कोटा के अन्दर नहरी क्षेत्र आ जाने के बाद एक समस्या उत्पन्न हो गई है इसलिए वहां के लिए ३० एकड़ का प्रावधान रखा जाना चाहिए । दस मन प्रति एकड़ के हिसाब से मानें तो वहां के लिए तीस एकड़ होना आवश्यक है । इसी प्रकार इस ड्राफ्ट रूल्स में थोड़ा लेकुना रह गया है उस और भी मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने रूल्स बना दिए हैं, लेकिन अगर आप कोटा के लिये २२ से बढ़ा कर तीस एकड़ कर देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा और वह क्षेत्र भी आभारी रहेगा ।

कोटा के अन्दर सीपेज की समस्या है और लोगिंग की समस्या है फिर भी वह नहरी इलाका कहलायेगा । वहां हालांकि सीपेज और लॉगिंग की मस्या है फिर भी चूंकि वहां नहर निकाली गई है इसलिये वह नहरी इलाका है वहां भी २२ एकड़ का सीलिंग माना है । जिन आधारों पर आप इसको नहरी इलाका मानते हैं वह होते हुए भी वहां सीपेज है क्योंकि सीपेज से इतना नुकसान हो रहा है, लोगिंग से इतना नुकसान होता जा रहा है, प्रोडक्शन में इतनी हानि हो रही है, इसलिए हमें स्टेंडर्ड एकड़ बनाना होगा । २२ से हटा कर आप तीस एकड़ नहीं रखते हैं तो ४०-५० एकड़ तक रखना पड़ेगा । सीपेज और लॉगिंग के कारण वहां का किसान मायूस हो गया है । आज वह एक बीघा प्रतिमन के हिसाब से अन्न का उत्पादन करने में भी मजबूर हो गया है । चावल पैदा करना तो उसको सिखाया ही नहीं गया, वह उसका उत्पादन करना जानता तक नहीं है । जिन साधनों से अभी उत्पादन कर रहा है उससे प्रति एकड़ उत्पादन कम होता गया है । इसलिए इस तरह का रूल्स के अन्दर संशोधन होना चाहिये कि इस प्रकार का प्रावधान होने पर भी नहरी इलाका घोषित करने के उपरान्त भी एस. डी. ओ. उस पर विचार कर सकता है ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(७. ५ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

कहने को तो वह सारा नहरी इलाका कहलायेगा, मंत्री महोदय, लेकिन कोटा के अन्दर जो नहर निकली है वह नहर तो निकल गई लेकिन पानी ऊपर नही चढ़ता। और खास तौर से उन गांवों में, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, पृष्ठ ४०२ पर जिन गांवों के नाम बताये गये हैं, में से एक गांव तो इस प्रकार का है जहां पर नहर जरूर निकली है लेकिन एक बिस्वा जमीन पर भी पानी नही जाता है। पानी की सतह बहुत कम, नहर नीचे आ जाती है। नहरी इलाका होते हुए भी, इन गांवों को नहरी इलाका घोषित करने के बाद भी भूमि के अन्दर पानी नही मिलता है। और मिलता है तो सीपेज और लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है।

सभापति महोदय, हालांकि यह रूल्स से संबन्धित नही होगा लेकिन फिर भी मैं समझता हूं इस संबन्ध में कहना उचित ही होगा, जिस प्रकार मैंने कॉलोनाइजेशन के बारे मे प्रश्न करते हुए ध्यान आकर्षित किया उसके बारे में स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि कोटा नगर के अन्दर कोटा म्यूनिसिपल एरिया और इन्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर लोगों को कहने को तो सीलिंग से बहुत कम जमीन दी गई है, उन बेचारों को चार-पांच बीघा जमीन बांटी गई है, लेकिन एक राज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां पट्टे पर जमीनें दी गई हैं। एक आदमी काश्तकार है जिसको डेढ़ सौ बीघा जमीन मिल गई। आज आपत्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद भी जहां लोगों ने इस प्रकार से जमीनें दाब ली हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है अधिकारियों का दोष है। गजटेड ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स को जमीनें दी गई हैं, ऐसे-ऐसे अधिकारियों को जमीनें दी गई हैं जिनका नाम लेना मैं यहां पर उचित नही समझता। काश्तकारों को जमीनें दी गई हो यह बात नहीं। कॉलोनाइजेशन में जमीनें दी गई तो कोई बात नही है लेकिन यहां पर तो केवल तीन-चार बीघा जमीन दी गई है और जहां जमीन में पैदा नहीं होता इण्डस्ट्रियल एरिया में जमीन दी गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा म्यूनिसिपल एरिया और इन्डस्ट्रियल एस्टेट में जो कॉलोनाइजेशन विभाग द्वारा जमीनें दी गई है जिनका रेकार्ड तहसील लाड़पुरा में मौजूद है उसको टेम्पर विथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रयास इस ओर चल रहा है उससे मैं समझता हूं आपका यह सीलिंग का कानून उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखता जो लोग नाजायज़फायदा उठाना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा कॉलोनाइजेशन विभाग द्वारा उन लोगों को भूमि दी गई जो गजटेड ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स है। उनके कागजात सीज करके आप जांच करेंगे तो आपको उसमें बड़े–बड़े केडर के अफसर मिलेंगे। उन्होंने किस प्रकार के प्रलोभन से जमीनें ली है उसको देखते हुए उनमें से कई लोगों को डिस्मिसल और मोअत्तिल तक करना पड़ेगा।

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : सभापति महोदय, सीलिंग के बारे में कुछ हिसाब बनाया गया है। तीस एकड़ जमीन हमारे गंगानगर इलाके में रखी है। उसमें से १८

(श्री जावन्दसिंह)

एकड़ जमीन ऐसी होती है जो बारानी होती है जिसमें पानी नहीं मिलता है। सरकार ने यह सब हिसाब लगाया है, नहरी पानी जहां मिलता है उसके हिसाब से लगाया है। इन तीस एकड़ में १८ एकड़, जो बारानी है, में पानी नहर से नहीं मिलता है बाकी १२ एकड़ जो है वह बारिश के ऊपर मुनहसिर रहता है। बारिश हो जाती है तो जमीन पर उपज हो जाती है, नहीं तो वहां नहीं होती है। २,१६० परिवार ऐसे हैं जो मवेशी रखते हैं, लेकिन गंगानगर इलाके में किसी भी जगह चरागाह के लिये जमीन नहीं है जिस जगह मवेशी चर सकें। खेतों के सिवाय कोई जगह नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १०८० रुपया प्रत्येक परिवार के आदमियों में बांटा जाय तो सरकार के हिसाब से एक परिवार में पांच आदमी है इस तरह एक आदमी को २१६ रुपये सालाना आते हैं। एक आदमी के हिस्से को साल में बांटा जाय तो उस हिसाब से एक रोज का ६० न० पै० यानी ६॥ आने औसत आता है। साथ ही पानी का हिसाब जिस प्रकार का मिलता है, उस जमीन पर जिस प्रकार की पैदावार है, उसका जो हिसाब सरकार का है वह अन्दाज सही नहीं है। जो परिवार का अन्दाज किया गया है वह उन सालों का किया गया है जिस साल पाकिस्तान से पानी ज्यादा मिला। उस समय का औसत लिया गया है। हम तो यह निवेदन करते हैं, जो ३१ से ४१ और ५१ से ६१ इन दस-दस वर्षों की गंगानगर की पैदावार को लेकर के औसत माननी चाहिये। जिन सालो में पाकिस्तान का पानी मिला उन दिनों की पैदावार का हिसाब लगाया गया है वह सही नहीं लगाया गया है। इन सालों की पैदावार का हिसाब बने, जो औसत हो वह पैदावार मानी जाय।

इसके अलावा एक दिन की आय के ६० न० पै० बनते हैं जो हमको पानी दिया जाता है उसमें ११० दिन तो पानी नहर का बन्द रहता है यह गवर्नमेन्ट के हिसाब से माना गया है। इसके अलावा नहर की टूट-फूट होती है वह इसमें शामिल नहीं की गई है। नहर टूटने के अलावा और जो नुकसान हो जाता है टिड्डी फसल खा जाती हैं और दूसरी तरह से नुकसान हो जाता है, बीज और खाद ठीक न होने से नुकसान हो जाता है उन सबका हिसाब नहीं लगाया गया है। ऐसी हालत में जो ६॥ आना और ६० न० पै० खर्च का औसत निकाला गया यह सारा हिसाब, जिसके हिसाब से ६॥ आने बनते हैं, कम से कम लगाया है, उसमें तीन आने का खाद, बीज, टिड्डियों का नुकसान होता है। इस तरह से ६ आना औसत पड़ता है एक आदमी के लिये। उसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई डाक्टरों की फीस और जो कुछ भी है वह इन छः आने में से देना होता है। इस तरह के ८० फीसदी किसान हैं जो इसमें आते हैं....

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सभापति महोदय, संबन्धित मंत्री महोदय सदन में नही है।

श्री सभापति : सब मंत्रियो की सम्मिलित जिम्मेदारी होती है, अतः यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री जो विराजे हैं उनको मालिश करानी पड़ेगी ज्यादा बैठ गये तो।

श्री सभापति : Don't make such obsesr vations. It is undignified.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षामंत्री): कोई नहीं हो तो आप ही आ जाना।

श्री जावन्दसिंह : राजस्थान नहर में काफी भूमि पड़ी है जिसके लिये मद्रास और बंबई के लोग आ रहे हैं। हमारे जो गरीब किसान हैं उनको वह भूमि दी जाय तो यह सीलिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी देने के लिये तैयार हैं। सन् ५८ के बाद इसमें घोटाले हुए हैं। ५९-६० में अलॉट कर दिया जावे तो करोड़ों रूपयों की जमीन बेचने के लिये है जो बेची जा सकती है। उनको खरीदने वाले हैं। कम भूमि जिनके पास है या बिलकुल नहीं है वे भी खरीद सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक साल की अवधि और दी जाय।

अगर इस तरह अलॉट कर दिया जावे तो जो गरीब किसान है जिनसे पैसे ले लिये हैं, पैसे दें देंगे; जमीन को छोड देंगे, इसमें मेरा ख्याल है हजारों लोग मर भी सकते हैं।

दूसरी अर्ज यह है कि हमारे गंग केनाल एरिया है उसको कमान्डेड एरिया माना है। उसकी कीमत दस आना मानी है। मौजूदा गवर्नमेन्ट १७ आना मान रही है। इसके साथ साथ हमारे पड़ौस मे जो पंजाब है वहां ज्यादा से ज्यादा १ रुपया मानते हैं। जहां पर पानी बरसाता है और वहां ट्यूब वेल ५ हजार में बन सकता है, जब कि हमारे यहां ३० हजार में बनता है। इसलिये मेरी राय में अभी समय नहीं है जिसमें सीलिंग को लागू किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि लागू करना ही है तो ६ महीने की मयाद और बढ़ायी जानी चाहिये। इसमें गवर्नमेन्ट का खर्चा भी बच जाय और परेशानी भी न हो। इसका कारण यह है कि छः महीने के अन्दर अन्दर यह कर दिया जावे, इसकी मयाद बढ़ायी जावे। जमीन जिसके पास ज्यादा है, वह दूसरे को बेच दे ताकि किसानों में आपसी झगड़ा पैदा न हो; मुआवजे का झगड़ा न हो। इस तरह से दोनों तरफ से गवर्नमेन्ट का खर्च भी बच सकता है।

एक मेरे मित्र ने यह भी बताया कि कोटा में २२ एकड़ का तय किया है। मैं यह नहीं चाहता कि उसमें कम या ज्यादा किया जाय। लेकिन कोटा का हिसाब गंगानगर जिले से मिलाते हैं। यदि उस तरह से हिसाब लगाया जाय तो गंगानगर में १३२ एकड़ मिलनी चाहिये। उनको मालूम होना चाहिये कि गंगानगर में ६ इंच बरसात नहीं होती है जब कि कोटा में ३६ इंच बरसात होती है, खेती सब पानी पर निर्भर करती है। जैसे जैसलमेर में वर्षा ३ इंच होती है, वहां जमीन ज्यादा रखी गई है। बांधों के लिये पंजाब गवर्नमेन्ट ने दस साल पहले सीलिंग कायम कर दिया था कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वह बांधों के लिये छोड़ देनी चाहिये।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, सीलिंग कानून जो इस हाउस द्वारा मन्जूर किया गया है उसकी तहत जो नियम बने हैं वह सदन के विचाराधीन है। मैं नियमों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी समझ में इसमें चार प्रमुख बातें हैं। पहली बात यह कि लैन्डलेस टीनेन्ट को, तहसीलदार को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। दूसरी बात लेन्ड होल्डर के बारे में

(श्री जुझारसिंह)

है। तीसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कम्पेन्सेशन और एक्जेम्प्शन के बारे में है। इन चार बातों पर जिसका नियमों में खास तौर मे जिक्र किया गया है, मैं अपने विचार सदन में व्यक्त करूंगा।

मैं देखता हूं कि कल्टीवेटर्स को, लैंड-होल्डर्स को और लैंडलैस टीनेन्ट्स को प्रोसीजर की वजह से बहुत दिक्कत आने वाली है। लैंडलैस लेबरर्स को लैंड एक्वायर करने के लिए सरकार को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तहसील को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और जो डिटेल्स उनको भरने पड़ेंगे, खसरा नम्बर सोइल क्लासीकेशन और दूसरे डिटेल्स, वे इतने कॉम्प्लीकिकेटेड है कि एक अनपढ़ काश्तकार के लिए कि उसको हर बात की जानकारी करने के लिए पटवारी और तहसील के कर्मचारियों के पास जाना पड़ेगा, इस काम के लिए उनको पे करना पड़ेगा। इस तरह से गांवो में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस सीलिंग के नियम के तहत बढ़ने वाला है।

दूसरे जो लैंड होल्डर्स के बारे में तीसरा चैप्टर है उसमें जो सीलिंग फॉर्म ४, जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है उसके ४ पार्ट्स हैं। एक पार्ट में करीब १३-१३ तरह के डीटेल्स हैं। कल्टीवेटर्स से एक्सपेक्ट करते है कि भर कर दें, उसमें भी ये जो फोर्मेलिटीज उनसे एक्सपेक्ट की जाती है वे जरूरत से ज्यादा हैं और वे सरकारी मशीनरी को अवोइड नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह से बहुत जबरदस्त एक्सप्लोइटेशन होने वाला है। इसलिए ये फोर्मेलिटीज और प्रोसीजर कल्टीवेटर्स लैंड-होल्डर्स और लैंडलैस टीनन्ट्स के द्वारा सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है वह फॉर्म भरने के लिए बहुत कॉम्प्लीकेशन्स हो जायंगी। इसलिए इस प्रोसीजर को एज फार एज पोसीबल अवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो सीलिंग्ज की मन्शा है उसका फायदा कल्टीवेटर्स को और लैंडलैस लेबरर्स को भी मिल सके। उसके लिए मेरा सुझाव है कि अब जो कोई भी आदमी जमीन लेना चाहेगा वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास जमीन नहीं होगी। तो सरकार द्वारा टाइमलिमिट फिक्स कर देनी चाहिए जिसके अंदर एक कल्टीवेटर या लैंडहोल्डर अपनी जमीन को, जो क्राइटेरिया सरकार फिक्स करे, उस लिमिट के अंदर सूचना करें इसके लिए सरकार की मशीनरी उसकी आड़ में न आए और जो एस्प्लोइटेशन लैंड होल्डर्स और लैंडलैस लेबरर्स के साथ होने वाला है वह नहीं हो।

मेरा अनुमान है कि लैंडलेस लेबरर्स की संख्या ज्यादा होगी और लैंड कम होगी। चाहे जिस तरह की भी डीलिंग्ज होंगी उससे लैंडलेस लेबरर को करीब करीब मार्केट वैल्यू किसी भी एजेन्सी को देनी पड़ेगी चाहे वह सरकारी एजेन्सी ही न हो। या तो अलॉटमेंट कमेटीज हो सकती हैं या पटवारी हो सकता है या तहसील हो सकती है; कोई भी हो किसी भी तरह लैंडलेस लेबरर को पूरी मार्केट वैल्यू या नीअर मार्केट वैल्यू जमीन लेने के लिए देनी पड़ेगी चाहे सरकार को इसका सैटिस्फैक्शन हो जाय कि उन्होंने कम पैसों में और अच्छे टर्म्स मे उनको जमीन दे दी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो कम्पेन्सेशन का क्लॉज है इसमें सरकार को फेअर होने की जरूरत है। आज भी सरकार अपने कैनाल प्रोजेक्ट्स के लिए, या रोड कन्स्ट्रक्शन के लिए या दूसरी म्युनीसिपैलिटीज के डेवलप-

(श्री जुझारसिंह)

मेंट के लिए या किसी दूसरी चीज के लिए जो लैंड एक्वायर कर रही है उसकी वैल्यू 80 times of the land revenue, even more than 80 percent आज पे कर रही है। तो मैं नहीं समझ सकता कि जिस जमीन पर लैंडहोल्डर खुदकाश्त करता है और जिसे वह पैसे देकर डेवलप करता है उसके बारे में सरकार क्यों फील करती है कि वह किसी तरह का कन्फ्लिक्ट है। उसको समाज और सरकार से न्याय मिलना चाहिए। वह राइटफुली लैंड के पजेशन में है; इसलिए उसको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार मार्केट वैल्यू पे करे और दूसरी जगह पर है तो वहां पर १५ टाइम्स या १० टाइम्स उससे ज्यादा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि लैंडहोल्डर को इस तरह से कम पैसे देकर डिस्क्रीमिनेटरी वे में क्यों....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, मैं निवेदन करूंगा कि एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उप-मंत्री महोदय डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): मैं सुन रहा हूं और लिख भी रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप बता दीजिए कि इन्होने क्या कहा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: १५ टाइम्स कम्पेन्सेशन के बारे में।

श्री जुझारसिंह: यह जो कम्पेन्सेशन हो वह मार्केट वैल्यू पर हो और जो इन्होने प्रोवीजन रखा है– १५ टाइम्स और टेन ईयर्स पीरियड और जो क्लासीफिकेशन किया है– उसमें भी अड़चन नहीं रहेगी। अगर फ्री सेल अलाऊ कर देती है विदिन ए टाइम लिमिट, तो इस तरह की जो दिक्कतें लैंडहोल्डर्स को आने वाली हैं वे सब दूर हो जाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम्पेन्सेशन के बारे में कोई सवाल नहीं रहता अगर फ्री सेल अलाऊ कर देते हैं। अगर सरकार इसको नहीं मन्जूर करती है और एक्वायर करना चाहती है तो मार्केट वैल्यू लैंडहोल्डर्स को देनी चाहिए। यह मोटे मोटे रूप में मेरा सुझाव है।

दूसरी जो कोटा की बात थी उसमें अपने ३०० मन का प्रोड्यूस सीलिंग के लिए फिक्स किया है। जो सिलिंग रिपोर्ट दो-चार साल पहले सदन में प्रस्तुत की गई थी और जिसमें २०० रु० मैग्जीमम सीलिंग के लिए फिक्स हुआ था पर मन्थ या २०० मन पैदावार पर सीलिंग लगाई थी उसमें जो एकरेज कोटा की बहुत सी तहसीलों के लिए रखी थी वह २०० मन प्रोड्यूस के लिए ६० एकड्स हमारी तहसीलों में लागू की थी और आज उन तहसीलों में ५५ एकड़ की सीलिंग इम्पोज की है जब कि उसी ५५ एकड़ से ये ३०० मन एक्सपेक्ट करते हैं। वो उन्होंने डेढ़ गुना उपज दी है लेकिन रकबा पहले से ५ एकड़ कम कर दिया। तो जिन कर्मचारियों ने पहली रिपोर्ट बनाई थी वे भी सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने कई तरह के फिगर्स दी थी एवरेज ईल्ड पर एकड़ बताया था। बहुत डिटेल में उसको देखा था। जहां तक मेरा ख्याल है एवरेज ईल्ड पर एकड़ कोटा और झालावाड़ में सब से कम है। तो यह मेरी समझ में नहीं आता।

(श्री जुझारसिंह)

४–५ दिन पहले मैंने प्रश्न रखा था और उसमें मुझे जो जानकारी सरकार से मिली है वह सरकारी एग्रीकल्चर फार्म्स के बारे में थी। कोटा जिले में ९ एग्रीकल्चर फार्म्स चल रहे हैं जिनमें से ४ सीड मल्टी-प्लीकेशन फार्म्स हैं उनका मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन एक मैकेनाइज्ड फार्म है जिसमें सब तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं। जहां पर नहर का भी साधन है, सब तरह की बातें हैं, उन्होंने पिछले साल में ८० हजार रुपये का नुकसान बताया; जहां पर सब तरह के साधन उपलब्ध हैं। लेकिन काश्तकार के बारे में सरकार कहती है कि यह जमीन इतनी पैदावार दे देगी क्योंकि यहां नहर का साधन हो गया या एवरेज रेनफाल अच्छा है। तो कैसे माना जाय कि काश्तकार को हर साल फायदा होगा? आपने more to the disadvantage of the land-holder सीलिंग के नियम बनाये हैं, यह एक अच्छी चीज नहीं है।

दूसरी बात जिसके बारे में मैं निवेदन करूंगा वह भी कोटा से सम्बन्धित है और वह भी एक प्रश्न के उत्तर में सूचना के रूप में मिली थी कि वहां पर वाटर लोगिंग और सीपेज की बड़ी समस्या हो गयी है। इसके संबंध में मेरे कोटा के साथी ने निवेदन भी किया था। तो जो उत्तर दिया गया उसमें यह भी था कि वहां पर इस वाटर लोगिंग और सीपेज की समस्या की वजह से शुगरकेन की क्रॉप को बन्द कर दिया गया है। जब वहां पर शुगरकेन की क्रॉप को बन्द कर दिया गया है तो मैं नहीं मानता कि उस लैण्ड को किस तरह से इरिगेशन की डेफीनिशन में लेते हैं। जो मेन कॉमर्शियल पेइंग क्रॉप है अगर उसी की पैदावार बन्द कर दी जाये और जो समस्या सरकार के खुद के द्वारा क्रियेट की गयी और उनके लिए भी २२ एकरेज का एवरेज रखें जिनकी जमीन गवर्नमेंट की नेग्लीजेन्स की वजह से बेकार हो गई है, उनका ध्यान नहीं रखा जाये और उनको एक-रेज भी कम दी जाये तो यह उनके प्रति न्याय नहीं होगा। इसकी तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता है।

इसके अलावा एक और प्रश्न सदन के सम्मुख रखता हूं। चम्बल कमान्डेड एरिया में बहुत कम एरिया में पानी गया है, बहुत सी जगह की नहरें भी खुद गयी हैं लेकिन जब तक क्वेडेड तैयार नहीं होते तब तक दूसरे किनारे तक पानी नहीं पहुंच सकता। फिर भी उनको कमान्डेड एरिया में शामिल कर लिया गया है। जब तक पानी वहां नहीं पहुंचता तब तक उस एरिया को इर्रिगेटेड एरिया मान लें तो यह न्याय संगत नहीं है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन एरियाज़ के अन्दर जब तक साधन पानी के नहीं हो जाते तब तक वहां पर सीलिंग लागू नहीं करनी चाहिए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक गांव में नहीं, सैकड़ों गांवों में ऐसा देखा है कि वाटर लेवल ऊंचा होने के कारण वहां पर पानी नहीं पहुंचता। आज ही मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था, हालांकि कई बार सवालों के जवाब गलत दिये जाते हैं। मैंने किसी गांव के बारे में पूछा था कि फसल तक पानी नहीं पहुंचता क्योंकि उसके खेत की लेवल ऊंची है। तो उसका मेरे

(श्री जुझारसिंह)

पास जवाब आया है कि पानी पहुंच गया है हालांकि मैं देखकर आया हूं कि वहां पर अभी तक पानी नहीं पहुचा है। यहां पर जवाब सही नहीं आते हैं, हो सकता है । लेकिन प्रेक्टीकल पोजीशन जो है वह यह है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लिफ्ट इरिगेशन से पानी नहीं पहुंचाया जायेगा हालांकि उनको कमान्डेड एरिया मान लिया गया है। तो उनके बारे में सीलिंग लगाते समय बहुत प्रेक्टीकल वे में सोचने की जरूरत है।

एक बात और जो बहुत जरूरी है वह यह है कि सीलिंग का इम्पोजीशन सरकार के डिस्क्रीशन पर छोड़ा गया है कि राजस्थान के अन्दर कौन से एरिया में सीलिंग आप लगायें और कब से लगायें। मैं कहता हूं कि जब आप कानून एक मान लेते हैं और उसके रूल्स बना लेते हैं तो उसमें डिस्क्रिशन का यूज़ नहीं होना चाहिए। यह सब जगह एक ही साथ लागू होना चाहिए ताकि सबको जो सहूलियतें मिलने वाली हैं वे एक साथ मिलें। तो यह जो डिस्क्रिशन का क्लॉज़ है यह सब पर एक साथ लगा दिया जाना चाहिए।

यही मेरे बड़े बड़े ऑब्जेक्शन्स हैं। इनको कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज हम सीलिंग के रूल्स पर विचार कर रहे है। कहीं पर माननीय सदस्यों ने सीलिंग की आवश्यकता नहीं समझी और कहीं पर उन्होंने अपनी अनुमति भी प्रकट की है। मैं समझता हूं कि मेरा और मेरी पार्टी का यह ध्येय है कि सीलिंग होना चाहिए और धन और धरती का बंटवारा होना चाहिए क्योंकि हम जब राजस्थान छोड़कर हिन्दुस्तान के लोग एक ही परिवार के माने गये हैं और हम अगर एक परिवार के मेम्बर हैं तो फिर हमारा एक आदमी हवाई जहाज से यात्रा करे और दूसरे आदमी को पेट भर रोटी की व्यवस्था नहीं हो, तो हमें उस ओर देखना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ हमें त्याग भी करना पड़ेगा। उसमें अगर जमीन किसी जमीदार से छीनी जायेगी तो वह कहां जाने वाली है ? पाकिस्तान जैसे देश में तो नहीं जाने देंगे, यह हिम्मत करते चलते हैं। लेकिन अपने परिवार में अगर बंटवारा हो तो मैं समझता हूं कि मेरे में और मेरे कबीले के लोगों में कोई फर्क नहीं है। हम एक ही परिवार के मानस हैं। इस रूल्स के बनाने में इतना समय लगा दिया और ५९ से लेकर अभी तक नहीं बनाये तो हो सकता है यह भी कोई राजनैतिक बात हो या हो सकता है और कोई कठिनाई हो। लेकिन यही हमारे लिए तो बहुत बड़ा घातक हो गया है। उससे हम लोग कितने फंस गये हैं और कितने वंचित रह गये हैं। सरकार ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और जो इस सम्बन्ध में ढिलाई की है इससे यह सरकार हमारी दुश्मन है। क्योंकि हम एक मां–बाप के परिवार के सदस्य हैं इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए और हमें किसी तरह से दुख भी नहीं होना चाहिए। इधर बैठने वालों के पास भी जमीनें हैं और उधर के लोगों के पास भी हैं। मैं भी हो सकता हूं; शायद मेरा बाप हो सकता है, लेकिन हमें हर परिवार को पूरी

(श्री हीराभाई)

रोटी देनी चाहिए। तो मेरे कहने का सवाल यह था कि सीलिंग में जमीन अलॉट करने के बारे में और भी लम्बा समय निकालने की नीति आपकी देख रहे हैं। आप कब नोटिफिकेशन करेंगे ? जो भूमिहीन आदमी है वह तो आज इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि नोटीफिकेशन को समझ सकें। जो आपका कानून बना वह भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो उसके बजाय आप यह कर सकते थे कि हर एक तहसील या जिले में जो भूमिहीनों के आंकड़े हैं और जो अमुक एकड़ तक जमीन है और उसके नीचे जिन्हें भूमिहीन माना है इन सब आधार पर वहां के लोगों की जमीन सीलिंग में लेकर सीधे इन लोगों को दे देना चाहिए और अगर वहां पर जमीन नहीं है तो वहां के कलेक्टर या तहसीलदार को आदेश दिया जाये कि आपके एरिया में इतनी संख्या में भूमिहीन है और उनको फलां एरिया में, जहां जमीन है, जमीन अलॉट करें। तो यह इस तरह से बहुत कुछ हो सकता था। उसकी जांच के लिए आप बोर्ड बनाने जा रहे हैं। एस० डी० ओ० उसका अध्यक्ष रहेगा और जिला कृषि अधिकारी है वह भी रहेगा और कृषि निपुण भी होगा। अगर वह नहीं हो तो पंचायत समिति का सहवरण सदस्य होगा। तो वह जमींदार का भी लड़का हो सकता है या पैसे वाले का भी आदमी हो सकता है सहवरण किया हुआ, तो उसके लिए आपने यह रखा है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। ये कई तरह की बाधायें पहुंचायेगा, अगर पंचायत के प्रधान को रख दें या प्रधान को छोड़ दें क्योंकि वह ऐसे नीचे दर्जे में नहीं जाना चाहे तो फिर ऐसे जो भूमिहीन लोग हैं और ज्यादातर आदिवासी या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको भी नोमीनेट कर सकते थे। इस चीज का मैं बिल्कुल स्वागत कर सकता था। लेकिन एक वकील के बाद दूसरे वकील खड़े होते चले जा रहे हैं, तो ठीक है उसमें आपने तीन साल का टाइम दिया था। जो शिकमी काश्तकार के बारे में होगा उनको उसके अधिकार दे दिये जायेंगे। लेकिन आज कहां अधिकार दिये ? आप कितनों को बता सकते हैं कि हमने इतने लोगों को शिकमी काश्तकार के रूप में मजदूरों की ढंग से खेती कर रहे थे, को शिकमी काश्तकार के अधिकार दे दिये हैं ? वह आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है। प्रशासन जिस सत्तारूढ़ दल का है और जिधर की केबिनेट बनती है वह कहीं इधर–उधर न हो जाय इसलिए थोड़ा सा पुचकार करके रखते हैं, थोड़ी सी गरीबों की दुहाई देते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री से लगा रहना है। तो उस हालत में वहां के इशारे पर चीफ सैक्रेटरी आदेश देता है उसके अनुसार तहसीलदार और एस० डी० एम० उन पैसे वालों के लड़कों को सहवरण करते हैं। गरीबों को कहीं सहारा भी नहीं मिल सकता है। मेरी राय थी कि एक वोट के साथ-साथ मामूली पिछड़े वर्ग के जो लोग है; आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट्स या इस वर्ग के जो हैं उनमें से और गिरे हुए लोगों में से एक एक सदस्य रख देते तो फिर उनकी भलाई कर सकते थे क्योंकि वे धूप में तपे हुए आदमी होते हैं। वह उस वर्ग का कुछ भला कर सकते हैं।

दूसरा मुआवजे का सवाल है। हमारे विरोधी पक्ष के जो नेता हैं उनको भी यह बुरा नहीं लगना चाहिए। वे अपनी पुरानी बातों को छोड़कर राजनीति में भाग लेने लग गये हैं। राजपाट जो पहले था उसको छोड़कर

(श्री हीराभाई)

जनता की सरकार के लिए मैदान में आ गये हैं। तो मेरा निवेदन है कि अपनी पार्टी वालों को, अपने सगे-सम्बन्धियों को निवेदन करना चाहिए। मैं जबरदस्ती बान्ध कर नहीं कहता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं। सत्तारूढ़ दल के साथ जो जागीरदार हैं, राजा-महाराजा हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि आप मिनिस्टरों के सहारे चलने की बात छोड़ दें, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आज हैं कल नहीं, उनका सहारा आपका टूट जायगा। तो आप जनता के सहारे चलना सीखें। तभी जाकर जनता और प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत कर सकते हैं और हम गरीब जनता को लाभ दे सकते हैं। जो घर बैठे राजा-महाराजा कहलाते हैं उनकी बातों को छोड़ दें। जो कुछ है उनकी आदत वह होगी, लेकिन जो इस मैदान में उतर गये हैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिस वर्ग के बारे में मैं यह कह रहा हूं उसके लिए त्याग करें। किसी तरह की भावना से उन्हें बंधा हुआ नहीं होना चाहिए और उसके लिए तैयार होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मुआवजे का सवाल आता है, तो माननीय सभापति महोदय, इसमें दो तरह के आदमी हैं। एक तो जमींदार और एक जागीरदार। मैं समझता हूं कि खुदकाश्त करने वाले जागीरदार थे और उनको खुदकाश्त की जमीन इतनी ज्यादा है और साधन उनके पास नहीं हैं, तो उसके बारे में मैं तो यह समझता हूं कि उनको मुआवजा देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आमदनी का जरिया पहले से था और पहले ही मुआवजा अपनी आय के अनुसार दे चुके हैं, इसलिए अब उनके पास जो जमीन है उसका उनको त्याग कर देना चाहिए, सरकार छीने या न छीने। सरकार तो पैसे वालों की सरकार है। उनसे मतलब नहीं है। लेकिन उन लोगों से मेरा निवेदन है कि उनको दो तरफ की आमदनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो एक आदमी को पेट भर कर रोटी नहीं मिलती है और दूसरी तरफ आप तीन-तीन तरफ की आमदनी लेना चाहते हैं। आप हिन्दुस्तान के गरीब नागरिकों को अलग मानते हैं। हमको उन्हें अपना भाई समझना चाहिए, एक कबीले के लोग मानना चाहिए। जब कि उस गरीब को एक टाइम रोटी नहीं मिलती है तो आप पूरी खायें, लेकिन भविष्य के लिए इकट्ठा न करें। दो तरफ का मुआवजा जिनको देने जा रहे हैं उससे मेरा विरोध है। सरकार से तो मेरा विरोध है ही, लेकिन जो जागीरदार या राजा-महाराजा हैं उनसे मेरा निवेदन है कि क्या आप पैसा लेंगे? आपकी भूमि का आपकी जनता का पेट काट कर पैसा लेंगे? वे इस खजाने में से निकाल कर आपको देंगे तो उधर वे गरीबों से वसूल करेंगे। इस तरह आपके बेटा–बेटी बेकार होंगे। तो मेरे ख्याल से जो प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे स्वतन्त्रपार्टी के हों, चाहे जनसंघ के हों, उनको उनके लिए त्याग करना पड़ेगा। एक हाथ से देना और एक हाथ से वापिस लेना-यह तरीका मेरे ख्याल से सरकार का ठीक नहीं है।

तो यह मुआवजे का सवाल था कि ५०००) तक मुआवजा तय हो सकता है और उसको १० किश्तों में चुकाया जा सकता है और अगर ५००) रु० हो तो एक किश्त में चुका दें, ऐसी कुछ भावना है। इस तरह

(श्री हीराभाई)

से उनको राजी करना ही चाहते हैं। लेकिन यहां रहने हम और आप सभी, अलग से जाने वाले हैं नहीं। इससे घर बिगाड़ कर घर जमाये मे तो टाइम लगेगा। एक वन वाले का मकान जल गया तो ४५,०००) का नुकसान हुआ है, उसको ५०००) रु० में पूरा करना चाहते है तो नहीं होगा। हमारा खजाना लोगोंको लुटाकर वापिस कर लगाकर पूंजी इकट्ठा करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि सारा रुपया व्यभिचार में या दूसरे कामों में लगेगा। वह आपके हाथों में रहने वाला नहीं है, न हमारे हाथों में रहने वाला है। मैं स्वतन्त्र पार्टी के नेता का उदाहरण दे रहा हूं। वे त्यागी लोगों में से हैं। उनकी भावना को मैं मानता हूं और बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन खाली उदाहरण दे रहा हूं। उनकी अगर मिल्कियत है तो खजाने की मालियत नहीं मानी जा सकती। उनका ही है परिवार, मगर उनसे अलग उनका ही परिवार मानना पड़ेगा। यह मुआवजे की रीति-नीति है वह गलत है। मुआवजे का असर खजाने पर पड़ेगा तो वापिस वह गरीब शिकार होगे। गरीब नहीं होगे तो क्या मिनिस्टर होगे जो दो दो हजार वेतन लेते है? क्या वे उसमें कटौती कर देंगे? वे नही करेंगे। राजा-महाराजा उसमें कटौती नहीं करेंगे तो शिकार तो गरीब लोग हैं। टैक्स के लिए बराबर हम चिल्लाते है। हमारी नीति साफ है कि बड़ो को फायदा दें और टैक्स गरीबो पर लगायें। तो खजाने पर सीधा डाका नहीं डलवाना चाहिए और किसी तरह से इस प्रशासन से खजाना लुटवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब जाकर प्रजातन्त्र की रक्षा हम भविष्य में कर सकते हैं; क्योंकि चाहे कितना ही मुआवजा ले लें आज, लेकिन भविष्य में चलने वाला नहीं है। वह चलेगा तब तक जब तक कि हम हैं और आप हैं। इस बारे में अभी से आपको त्याग करना चाहिए।

दूसरी बात अब टाइम का सवाल है, माननीय सभापतिजी, टाइम का जो सवाल है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : २ मिनट में समाप्त करें।

श्री हीराभाई : मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। जब सिंचाई के एरिया की बात लाकर खड़ी करते हैं, जमींदारी का सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन पहले तो जमींदारी का पोषण किया जब तक आपका हित पहुंचा। उस एरिया मे ज्यादा निवासी थे, आबादी नहीं बढ़ी थी तब से बहुत बड़े प्लॉट घेर रखे थे। तो क्या आज वह बपोती हो गई? हमारे परिवार नहीं हैं क्या? आज मुआवजे का सवाल लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं यह सरकार की गलती है, इससे हमेशा ठोकर खानी पड़ती है। ठोकर खानी पड़ेगी और ठोकर खानी चाहिये। अपने आप मौत नहीं मांगे तो मारने वाला मिलेगा नहीं। हमारे जैसे को मौका मिलना चाहिये, क्योंकि आरत पड़ी हुई तो छूटेगी नहीं। जो सीलिंग का कानून बनाया है उसमें बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। बोर्ड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कम से कम मेम्बर आदिवासियों का नहीं तो शिड्यूल कास्टवालों का तो रखना चाहिये। आदिवासी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे खुद आदिवासी है। इसलिये आदि-वासियों का पक्ष नहीं लूंगा लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट का तो रखना चाहिये। मैं आपके सामने

(श्री हीराभाई)

एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एस.डी.ओ. को अधिकार दिया है। उनसे जागीरदार साहब ने हमारी तरफ गांवों में कैसे जमीन प्राप्त करली ? एस.डी.ओ. ने जमीन देने का निर्णय दे दिया तीन-तीन, चार-चार हजार की डिक्री दे दी। एक तरफ कानून लागू हो गया लेकिन कम से कम २० साल से किसान शिकमी काश्तकार के रूप में जिस जमीन पर काम कर रहे हैं वे पढ़े-लिखे नहीं हैं और जागीरदार पढ़े-लिखे थे। उन्होंने क्या किया कि पटवारी से मिल कर अपने नाम से रसीदें कटवा लीं और एस. डी. ओ. से फैसला ले लिया और खड़ी फसल नष्ट करवा दी। हमारी तरफ गढ़ी और बागीडोरा का उदाहरण दे सकता हूं। तुड़वाने वाले व्यक्ति हमारे हवाई जहाज के ड्राइवर भी हैं और सुखाड़िया साहब के सम्बन्धी भी हो सकते हैं। गरीबों ने कई बार मिनिस्टर साहब के पास जाकर कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। माननीय सभापतिजी, इस हालत में मेरी राय है कि इस तरह गरीबों के साथ आप नहीं निभा सकते। इसलिये बोर्ड के बारे में मैंने अर्ज किया और सीलिंग रूल्स बना रहे हैं उसमें जल्दी ही भूमिहीन लोगों के भले के लिये दुरुस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसानों का भला नहीं होगा और जागीरदारों से बुरा बनना पड़ेगा और इस बीच में कांग्रेस के नेता लोग जमीन हड़प लेंगे तो हमारा कार्य रह जायगा।

श्री सभापति : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, आज हाउस में सीलिंग रूल्स जो विचार प्रकट किये गये हैं माननीय पर चर्चा हो रही है। उस बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर सदस्यों द्वारा, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि रूल्स में कुछ ऐसी कमियां हैं जो मूल एक्ट से कांट्राडिक्ट करती हैं; जैसे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने नहरी इलाके का उदाहरण दिया कि जहां पर पानी नहीं पहुंचता है उस एरिया को भी कमान्ड में लेकर सीमा निर्धारित कर दी। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं ये रूल्स सिलेक्ट कमेटी में भेज दिये जायं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : Rules are never sent to Select Committee.

श्री सभापति : Probably the Hon. Member means the Committee on Subordinate Legislation.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Rules have not been finalised yet and as an exceptional case, it has been placed here so that the Government may know the views of the Hon. Members...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : It will be better for the Government to put these rules before the Public so as to be able to know the public opinion, because about 80 percent of the public is the cultivators.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That has been done.

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, जहां तक एक्ट और सीलिंग लाने का संबंध है जैसा हमारे नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भूमिहीन काश्तकारों को अवश्य भूमि मिलनी चाहिये, इसमें दो राय नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित

(श्री दिग्विजयसिंह)

करूंगा कि ग्राज एलॉटमेन्ट हो रहा है उस पर दृष्टि डालें, तो ग्राज वे काश्तकार वंचित रह जाते हैं जो ग्रसल में काश्तकार हैं ग्रौर उन लोगों को भूमि एलॉट हो जाती है जो कभी काश्तकार नही थे ग्रौर यहां तक कि उन्होने कभी बैलो ग्रौर हल की शक्ल नही देखी होगी। ऐसे शख्सों को एलॉट करने में जो ग्रनियमितताएं हो रही हैं उससे तो इस प्रकार के रूल्स लाने का उद्देश्य निरस्त हो जायगा।

साथ ही रूल्स में कुछ ऐसे पॉइन्ट्स है जिनकी ग्रोर मैं राज्य सरकार का ध्यान ग्रवश्य ग्राकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, फेमिली की जो डेफिनिशन दी है उस फेमिली में ५ व्यक्ति होंगे, लेकिन स्टेन्डर्ड एकड़ एक फेमिली के लिए ग्रधिक नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टीनेन्सी एक्ट के तहत जब ग्राप किसी व्यक्ति को, जिसकी खातेदारी दर्ज है, एक खातेदार मानते हैं उस शक्ल में भले ही वह एक फेमिली का मेम्बर क्यो न हो, यदि ग्रापके रेकॉर्ड में वह खातेदार दर्ज है तो टीनेन्सी के पूरे राइट्स उसको मिलने चाहिये ग्रौर उसके लिए उसको ग्रधिकार है। उसको यदि ग्राप फेमिली में शुमार करते हैं तो टीनेन्सी राइट्स का कांट्रेडिक्शन है। इसलिए जो फेमिली डिफाइन किया है वह प्रति खातेदार पर डिफाइन करते ३० स्टेन्डर्ड एकड़, तो राज्य सरकार की उदारता होती। हर खातेदार ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रख सकेगा, इससे ग्रधिक रखने का उसको ग्रधिकार नहीं होगा; ऐसा करना चाहिए था।

इसी तरह से रूल २४ में ग्रापने रखा है कि सन् ५८ तक जो कोई ट्रान्सफर्स हो गये हैं उनको वेलिड मान लिया है ग्रौर ९ दिसम्बर, १९५९ तक वे ट्रान्सफर्स वेलिड माने हैं जो लैंडलेस टीनेन्ट्स को कर दिये हैं। मैं कहूंगा कि हाल ही में धारा १९ की तहत ग्रनग्रॉथेराइज्ड ग्रॉकुपेशन्स को रेगुलेराइज़ करने के ग्रधिकार ग्रापने दिये हैं ग्रौर जब एक तरफ ग्राप इस बात को मान्यता देते हैं कि कब्जा है तो ठीक है। ग्रौर दूसरी तरफ यह कहते हैं कि उसके बाद ट्रांसफर्स हुए हैं उनको इल्लीगल करार देकर फिर से एलॉट किया जाय। यह एक दूसरे के विपरीत बात है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि लैंड लैस काश्तकारों को ९ दिसम्बर ५९ से पहले ट्रान्सफर्स हुए हैं वे वेलिड माने हैं ग्रौर दूसरी तरफ कहते हैं कि रेगुलराइज कर दिया जाय उसको ग्राप लीगल मानते हैं। लेकिन लीगल प्रोसेस में जिन्होंने लैंड बेची है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है ग्रौर जिसको एन्ट्रीज़ रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में हो गई है, नामान्करण हो गया है इस तरह के सन् ५९ के बाद के बेचानों को ग्राप मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि जो ट्रान्सफर्स ग्राज तक हुए हैं उनको वेलिड मानना चाहिये। रहा सवाल मुग्रावजे वगैरह का, इसके लिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकार जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान कर दे; लेकिन जहां तक वैधकरण का सवाल है, जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं जब तक यह एक्ट एन्फोर्स नहीं होता तब तक मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

एक ग्रौर बात की ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। पंजाब सरकार ने सीलिंग एक्ट ग्रपने यहां लागू किया है, वहां यह किया है कि जो एक्सेस होल्डर्स हैं उनके लिये टाइम लिमिट है। उस टाइम लिमिट में

(श्री दिग्विजयसिंह)

वे अपने आप अपनी भूमि को ऐसे काश्तकारों को दे दें जो लैंड लेस की डेफिनिशन में आते हैं। जब हमारे सामने एक दूसरी पड़ोसी सरकार का उदाहरण मौजूद है, उन्होंने तो यहां तक किया कि लैंड लेस टीनैन्ट्स की लिस्ट बना दी और एक्सेस होल्डिग वालों को सूचना दे दी है कि आप इन लोगों को लैंड दे सकते हैं, ऐसी सूरत में मैं कहूंगा कि हमारी राज्य सरकार भी एक्सेस होल्डर्स को मौका दे कि अमुक अवधि में वे लैंड लैस टीनैन्ट्स को एलॉट कर सकते हैं, बेच सकते हैं; तो मैं समझता हूं ऐसा करने से एक्ट के इम्प्लीमेन्टेशन में मदद मिलेगी। न सिर्फ राज्य सरकार को लैंडलैस को जमीन दिलाने में बल्कि फिक्सेशन ऑफ सीलिंग में भी मदद मिलेगी। आप इसके लिए अवधि लगा दीजिये कि ६ महीनों में ऐसा हो जाय तो जल्दी ही हो जायगा। जिस तरह चाहें कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत आती है तो धीरे धीरे करलें....

श्री सभापति : You may continue your speech tomorrow. We now adjourn to meet tomorrow at 2.30.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ८ बजे, मंगलवार, दिनांक १० सितम्बर, १९६३ के म. प. २.३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, दिनांक ९ सितम्बर, १९६३)

(प्रातः कालीन बैठक)

२. सदन की मेज पर रखा गया पत्र ७१

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, १९६२ की धारा १० (३) के अन्तर्गत, डीलिमिटेशन कमीशन की आज्ञा संख्या २, दिनांक २४ अगस्त, १९६३ की प्रति सदन की मेज पर रखी।

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ७१

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य विधान सभा ने जिला जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा एक उद्योगपति को शीप ब्रीडिंग फार्म (Sheep Breeding Farm) के लिये एलॉट की जा रही जमीन के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कृषि मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

४. राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारित) (सरकारी) नियम १९६३ के प्रारूप पर विचार १०३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम-क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ [The Rajasthan Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) (Government) Rules. 1993] के प्रारूप को—जो दिनांक १६ मार्च, १९६३ को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जाय।"

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२. श्री मुरलीधर व्यास
३. श्री अमरसिंह जासोल
४. श्री विजयसिंह झाला
५. श्री अमरसिंह (दूदू)
६. श्री कृष्णकुमार गोयल
७. श्री गोविन्दसिंह
८. श्री जुझारसिंह
९. श्री हीराभाई

श्री दिग्वजयसिंह बोल रहे थे कि सदन की बैठक रात्रि के ठीक ८ बजे, मंगलवार दिनांक १० सितम्बर, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १० सितम्बर, १९६३ की कार्य-सूची

राजस्थान टीनेन्सी (भूमि की अधिकतम क्षेत्र-निर्धारण) (सरकारी) नियम, १९६३ के प्रारूप पर अग्रेत्तर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६१ का उत्तर देखिए)

List Showing Jagir Work Pending In Nagaur District

1. Cases between Rs. 500/- to Rs. 1,000/- which are to be finalised 60 cases are pending and some cases expected to be instituted.

2. Cases below Rs. 500/-. 100 cases are pending. More cases are expected to be instituted.

3. 5000 cases of Khalsa Villages.
   2000 cases of religious Jagirs.

4. 200 cases of Pasayat Jagirs.

Indents

In 3000 cases indent under preparation. In 20,000 cases indents are under issue.

Cash Payment

In 13,128 cases which have been finalised.

In 5,300 cases which are under decision.

19,709 cases are expected to be instituted under Nehru award.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिए)

उदयपुर डिविजन में स्वीकृत की गई राशि का पूर्ण विवरण

संख्या	स्थान का नाम	स्वीकृत राशि	विवरण
१.	मदीना महल, जयपुर	१०,०००	इसका उपयोग नहीं हुआ।
२.	लकुलिसा का मन्दिर, इकलिंगजी	४,०००	,,
३.	महाराणा प्रताप के महल, चावंड	५,०००	,,
४.	अम्बा माता का मन्दिर, जगत	३,०००	इस मन्दिर के लिए इसके अलावा गत वर्षों में कई स्वीकृतियां दी गई, परन्तु उनका उपयोग नहीं हो सका।
५.	मन्दिर, ईसवाल	५००	उपयोग हो चुका है।
	कोटा		
६.	शिव मन्दिर, रामगढ़	५,०००	इस राशि का आंशिक उपयोग हो चुका है।
७.	बादल महल, शाहबाद	५,०००	,,
८.	कटहला महल शाहबाद	५,०००	,,
९.	शेरशाह सूरी की मस्जिद	५,०००	,,
१०.	किलागागरोन, शाहबाद तथा शेरगढ़	१५,०००	उपयोग नहीं हुआ है।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ का उत्तर देखिये)

सूची अग्निकान्ड तहसील व ग्राम दिनांक १–१–६३ से ३१-७-६३ तक

नाम गांव	तहसील	अनुमानित नुकसान	दिनांक
१. आदलवडा	सवाई माधोपुर	७८२.००	१६.१.६३
२. केमरी	नादोती	१६००.००	६.२.६३
३. हुडला	महुवा	१५००.००	२०.२.६३
४. पीपल हेडा	महुवा	१९९.००	८.३.६३
५. पावटा	महुवा	१०००.००	१२.३.६३
६. खोहरा मुल्ला	महुवा	३३९७.००	१४.३.६३
७. रतनपुरा	महुवा	१८९७.००	२१.३.६३
८. खो कलां	महुवा	१०००.००	२५.३.६३
९. हिन्डोन	हिन्डोन	२६२४.५०	९.४.६३
१०. फुलवाड़ा	हिन्डोन	१ बछड़ा	२०.४.६३
११. लहचोड़ा	हिन्डोन	५३२५.५०	१.५.६३
१२. पीपल खेड़ा	बोंली	१५००.००	१५.४.६३
१३. रीदली	महुवा	५४१.००	१३.४.६३
१४. हरीपुरा	महुवा	२९९२.००	१५.४.६३

नाम गांव	तहसील	अनुमानित नुकसान	दिनांक
१५. लपावली	टोडा भीम	१३३८०.००	२९.४.६३
१६. केसरी	महुवा	२०००.००	३०.४.६३
१७. मलारनाडूंगर	बोंली	५००.००	३१.५.६३
१८. गुनसार	हिन्डोन	१४५५.००	१४.६.६३
१९. टोडाभीम दांतली	टोडाभीम	७१,५७९.००	२४.६.६३

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ९ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१४	६	श्री रामप्रसाद लड्डा :	श्री रामप्रसाद लड्ढा :
२३	१	जायज	नाजायज़
२७	अन्तिम से ६	सधनन	संघनन
२९-३०	शीर्षक	-९ सितम्बर, २९६३-	-९ सितम्बर, १९६३-
२९	२०	राई	हाई
३२	अन्तिम से २	(बैर)	(वैर)
४७	५	(बैर)	(वैर)
५४	१६	श्री मानिकचन्द सुराण	श्री मानिकचन्द सुराणा
७१	१३	नियम	नियतन
८२	२१	और	ओर
८९ से ९२	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर-९सितम्बर, १९६३- ध्यान आकर्षित करना	जैसलमेर में शीप-९सितम्बर, १९६३-ब्रीडिंग फार्म संबंधी
९३ से ९६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर-९ सितम्बर, १९६३- ध्यान आकर्षित करना	श्री हरिदेव जोशी द्वारा -९ सितम्बर, १९६३- व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
९५	१८	ज उस	जो उस
,,	२६	रते,	करते
९६	७	उसे	उनसे
९७ से १०२	शीर्षक	जैसलमेर में शीप -९सितम्बर, १९६३- ब्रीडिंग फार्म संबंधी	श्री हरिदेव जोशी द्वारा -९ सितम्बर, १९६३- व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
१०३	२५-२६	से ज्यादा	————
१०५	अन्तिम	स स्या	समस्या
१०९	१३	खात	खाद
१०९	२३	फटलाइज़र	फर्टीलाइज़र
११०	४	चल ी	चली
११२	अन्तिम से ४	बात	बाद

१	२	३	४
११६	१३	चूडावत समानेत्री	चूण्डावत, सभानेत्री
११८	अन्तिम से ५	be	he
१२५	३	साय ाथ में	साथ साथ मैं
१३१	९	श्री सभापति :	श्रीमती सभानेत्री :
,,	१०	(समय सूचक घंटी)	(समय-समाप्ति सूचक घंटी)
१३४	अन्तिम से ४	प्रे शन	प्रे शर
१३८	२१	(पचपद्रा)	(पचपदरा)
१४५	अन्तिम	एक्ट वरुद्ध	एक्ट के विरुद्ध
१५१	,,	रूत	रूलस
१५२	४	रिपो र्ढ	रिपोर्ट
१५७	२२	कोग्रॉपटेड	कोग्रॉप्टेड
१६४	१२	ग्रॉब्जर्वेशन्स	ग्रॉब्जेवशन्स
१६८	९	उ को	उसको
१७२	१२	मस्या है	समस्या है
१७३	२२	ग्राकर्षिक	ग्राकर्षित
१७९	१२	नन्बर	नम्बर
,,	१३	क्लासीवेशन	क्लासीफिकेशन
,,	१४	कॉम्प्लीकिकेटेड	कॉम्प्लीकेटेड
,,	२२	चेप्टर	चेप्टर
१८०	१५	एस्प्लोइटेशन	एक्सप्लोइटेशन
१८२	६	त्रे	वे
१८३–१८४	शीर्षक	-नयम, १९६३	-नियम, १९६३
१८३	१२	उपलल्ध	उपलब्ध
१८४	६	घेकार	बेकार
१९७	४	मौजूह	मौजूद
१९९	३	(प्रातः कालीन बैठक)	————
२०१–२०२	शीर्षक	————	संक्षिप्त विवरण-९ सितम्बर, १९६३- संक्षिप्त विवरण
२०१	२०	निर्धारित)	निर्धारण)
,,	अन्तिम	Rules. 1993]	Rules, 1963]
२०३	शीर्षक	परिशिष्ठ १	परिशिष्ट १
२२४	,,	परिशिष्ठ २	परिशिष्ट २